पंचम माला, खंड 37, अंक 30 बुधवार, 3 अप्रैल, 1974/13 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 30 Wednesday, April 3, 1974/Chaitra 13, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 30 बुधवार, 3 अप्रैल, 1974/13 चैत्र, 1896 (शक)

No. 30, *Wednesday, April* 3, 1974/*Chaitra* 13, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
546	आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की योजना बनाने के लिये अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं देने के लिये केंद्र से अनुरोध	Request by Andhra Pradesh Government for experienced officers from the Centre for formulation of State's Plan	1–3
547	समाचारपत्रों के सिनेमा के विज्ञापनों के लिये स्थान पर प्रतिबंध के कारण बंगाली फिल्म निर्माताओं को कठिनाईयां	Difficulties of Bengali Film Producers due to restriction on Cinema Advertisement space in Newspapers . . .	3–4
550	कोयले की कमी के कारण सीमेंट कारखानों में मजदूरों की जबरी छुट्टी	Laying off of workers in cement factories for want of coal	4–6
551	आनन्द मार्ग हत्याकांड में इक्बाली गवाहों को मार देने का प्रयत्न	Attempt to liquidate approvers in the Anand Marga murder case . . .	6–10
553	उत्पादन के विविधीकरण के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय से मंजूरी	Permission from DGTD for diversification of production .	10–12
556	तकनीकी जानकारी के लिये विदेशी सहयोग	Foreign collaboration for technical know-how . .	12–13
557	भारत में युगोस्लाविया के नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange regulations by citizens of Yugoslavia in India . .	14
558	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व तार तथा टेलीफोन संचार व्यवस्था	Postal, Telegraph and Telephone communications in rural areas during Fifth Plan .	14–16
559	झांसी, उत्तर प्रदेश में रेडियो स्टेशन	Radio Station in Jhansi, U.P	17
560	पंजाब के लिये पांचवीं योजना म परिव्यय में वृद्धि करने का अनुरोध	Request for expansion on outlay for Punjab for Fifth Plan .	17–18
562	जमाखोरों के विरुद्ध अभियान	Drive against hoarders . .	18–20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—10 LSS(ND)/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
548	अनुसंधान और विकास के लिये उद्योगों पर अनिवार्य कर	Compulsory cess on industries for research and development	21
549	लारेंस रोड वेल्फेयर फेडरेशन का दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्ञापन	Memorandum to Lt. Governor of Delhi by Lawrence Road Welfare Federation .	21
552	इन्दौर से बम्बई तक माइक्रोवेव लाईन	Indore-Bombay Microwave Link	21
554	बिहार के एक डाकखाने से बीमा किये हुए लिफाफों का गायब हो जाना	Missing of Insured covers from a post office in Bihar	22
555	दिल्ली-ग्वालियर के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था	Delhi-Gwalior direct dialling	22
561	मारुति कंसलटैंसी सर्विसिज़	Maruti Consultancy Services ..	22–23
563	दैसूरी तहसिल हैडक्वार्टर में एक स्कूल के निर्माण में रुकावट बनने वाले एक टेलिफोन पोल का हटाया जाना	Removal of a telephone pole obstructing construction of a School in Desuri Tehsil Headauarters . .	23
564	पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के इंजीनियरिंग उद्योगों को हानि	Loss to Engineering Industries in West Bengal and Orissa	23–24
565	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में न्यूनतम वेतन	Minimum pay in Indian Telephone Industry . . .	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5487	भारत-अमरीकी संयुक्त उद्यम	Indo-U.S. Joint Ventures	24
5488	कनाडा में भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers in Canada .	25
5489	दिल्ली में बिक्री-कर से छूट	Sales Tax exemptions in Delhi	25
5490	अखिल भारतीय निर्माता संगठन से ज्ञापन	Memorandum from All India Manufacturers Organisation .	25
5491	सीमेंट का निर्यात	Export of cement . .	25–26
5492	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन	Production of consumer goods in Public Sector . . .	26
5493	विविध भारती से श्रद्धांजलि कार्यक्रम	Shardanjali Programme from Vividh Bharati . . .	26
5494	बड़े पैमाने पर गृह निर्माण संबंधी डिजाइन बनाने के लिये विशेषज्ञ तथा उपकरण जुटाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पेशकश	Offer by U.N.D.P. to C.S.I.R. for supplying experts and equipment for designing construction of houses on mass scale	27

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5495	मलयालम फिल्म उद्योग की सहायता के लिये केरल सरकार की योजना	Scheme of Kerala Government to assist Malayalam Film Industry . . .	27
5496	मध्य प्रदेश के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की अदायगी	Grant of pensions to freedom fighters from M.P. . .	27
5497	स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन परिचय प्रकाशित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धन देने का अनुदेश	Request from M.P. Government for funds for publishing freedom fighters' "Who's who".	27
5498	मध्य प्रदेश में 1971-72 और 1972-73 के दौरान साम्प्रदायिक दंगे	Communal riots in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73	28
5500	मध्य प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई	Supply of cement to M.P. .	28
5501	गृह-कल्याण केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by employees of Grih Kalyan Kendra . . .	28–29
5502	सिधी और वाइधान के बीच टेलीफोन व्यवस्था	Telephone link between Sidhi and Waidhan . . .	29
5503	राजस्थान में बचत बैंक की सुविधा वाले डाकघर	Post offices in Rajasthan with facilities to operate Savings Bank Accounts . . .	30
5504	कुतुब मीनार देखने के लिये आये लोगों का लूटा जाना	Robbing of sight-seers at Qutab Minar	30–31
5506	मध्य प्रदेश के डाकू आतंक ग्रस्त क्षेत्र का औद्योगिक विकास	Industrial development of dacoit infested area of Madhya Pradesh	31
5507	भिंड-इटावा टेलीफोन लाईन	Bhind-Etawah Telephone Line	31–32
5508	ग्वालियर स्थित रेडियो स्टेशन पर शक्तिशाली ट्रांसमिटर का लगाया जाना	Higher power transmitter at A.I.R., Gwalior . . .	32
5509	ग्वालियर तथा अन्य नगरों के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialling system between Gwalior and other cities .	32
5510	पंजाब में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में नियंत्रकों की नियुक्ति	Appointment of Controller in sick textile mills in Punjab	32–33
5511	दिल्ली में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में नियंत्रकों की नियुक्ति	Appointment of Controller in sick textile mills in Delhi	33
5512	केरल में दीर्घावधि वीसा लेकर रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals staying in long-term visas in Kerala . .	33
5513	लाइसेंस समिति का निर्णय	Decision of Licensing Committee	34

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5514	विविधीकरण की अनुमति देने के लिये शर्तों को तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा रिकार्ड किया जाना	Recording by D. G. T. D. of conditions for allowing diversification.	34
5515	रोजगार की वृद्धि की दर	Employment growth rate .	35-36
5516	नारियल जटा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Coir industry.	37
5517	नारियल जटा उद्योग का मशीनीकरण	Mechanisation of Coir industry.	37
5518	पश्चिम बंगाल में दूर संचार उद्योग	Tele-communication industries in West Bengal. . .	37
5519	कांच उद्योग में सोडा ऐश की कमी	Shortage of Soda Ash in glass industry . . .	38
5520	मध्य प्रदेश में डा० सलीमुद्दीन की गिरफ्तारी	Arrest of Dr. Salimuddin in Madhya Pradesh . .	38
5521	आकाशवाणी तथा टेलीविजन के माध्यम से कानून की मुख्य बातों का प्रचार	Propagation of salient features of law through A.I.R. and Television	38
5522	पांचवी योजना में संयुक्त राज्य अमरीका से प्रत्याशित निजी पूंजी	Private capital expected from U.S.A. in Fifth Plan . .	39
5523	घोघर डीहा चावल तस्करी कांड	Ghoghar Diha Rice Smuggling Scandal. . . .	39
5524	योजना आयोग के अधिकारी का उर्वरकों के इष्टतम प्रयोग के संबंध में पंजाब कृषि लेखाविद्यालय का दौरा	Visit of Planning Commission official to Punjab Agricultural University on optimum use of fertilisers . .	39-40
5525	करोल बाग दिल्ली में नालियों 'मैनहोल' के ढक्कनों की चोरी	Theft of manhole covers in Karol Bagh, Delhi . .	40
5527	श्रीनगर में औषधियों तथा विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार	Illicit dealings in drugs and foreign currencies in Srinagar	40
5528	दिल्ली में रोजगार कार्यक्रमों पर व्यय	Expenditure on employment programme in Delhi . .	41
5529	दलाई लामा का तिब्बत छोड़कर भारत आना	Departure of Dalai Lama from Tibet to India . . .	41
5530	भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे विदेशी नागरिक	Foreign Nationals working in Public and Private Sectors in India . . .	41
5531	मास्को के निकट भारत का टेलीमीटरी केंद्र	Indian Telemetric Centre near Moscow	42
5533	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to employees of Coir Board	42

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5535	पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वेक्षण	Survey of engineering industry in West Bengal. . .	42
5536	वर्ष 1974-75 की वार्षिक आयोजना के लिये परिव्यय	Outlay for the Annual Plan for 1974-75	42–43
5537	आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये नियतन	Allocation for development of Tribal areas	43
5538	जेपुर, उड़ीसा में एक कागज मिल की स्थापना	Setting up of a paper mill at Jeypore, Orissa . . .	43–44
5539	राजस्थान के प्रमुख तथा महत्वपूर्ण शहरों को हवाई डाक सेवा से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव	Proposal to link major and important towns of Rajasthan with Air Postal Service .	44
5540	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को आकाशवाणी के असिस्टेंटों पर लागू करना	Applicability of recommendations of Third Pay Commission to A.I.R. Artistes .	44
5541	गुजरात में हाल के आन्दोलनों में क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का पुनर्निर्माण	Re-building of property damaged during recent agitation in Gujarat.	44–45
5542	इन्दौर (मध्य प्रदेश) के एक युवक द्वारा पैट्रोल के विकल्प की खोज	Discovery of an alternate to Petrol by a youth of Indore (M.P.)	45
5543	उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस देने के लिये जिम्मेदार आधार	Factors responsible for issue of Licences to entrepreneurs .	45
5544	भारतीय प्रशासनिक सेवा, अधिकारियों को राज्य सरकारों के पास वापिस भेजना	Revision of I.A.S. officers to State Governments. . .	45–46
5545	रेफ्रीजरेटरों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of refrigerators	46
5546	टेलीविजन सैटों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of T.V. sets	46
5547	वर्ष 1974-75 के लिये राज्यों को नियतन	Allocations to States for 1974-75	46–48
5548	वर्ष 1974-75 के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States during 1974-75 . . .	48
5549	पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब	Delay in finalisation of Fifth Plan	49
5550	संकटग्रस्त इंजीनियरी कारखानों संबंधी विशेष दल का प्रतिवेदन	Report of special group on sick engineering units . .	49–50

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5551	आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against IPS officers .	50
5552	आकाशवाणी द्वारा विदेशी भाषाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण	Foreign languages programmes broadcast from A.I.R. .	50–51
5553	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में मैनेजेर की नियुक्ति	Appointment of Manager in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	51
5554	पिछली प्रशासन में खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के अनिर्णित विवाद	Pending disputes of Khadi Gramodyog Bnavan, New Delhi in Delhi Administration.	51
5555	तकनीकी विकास महानिदेशालय के सिफारिशों पर संतीवीनी के सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of COB Licences for Santivini on the recommendations of D.G.T.D. . .	51–52
5556	पांचवीं योजना में लघु उद्योगों की भूमिका पर गोष्ठी	Seminar on role of Small Scale industries in Fifth Plan .	52
5557	कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण	Functioning of Calcutta Telephone	52–53
5558	मैसर्ज फिलिप्स एण्ड कंपनी द्वारा इलेक्ट्रानिक के विकास के लिये प्रस्तुत की गई 7 वर्षीय योजना	7 Year Plan submitted by M/s Phillips and Co. for development of electronics . .	53
5559	छिपे नागाओं की संख्या	Number of underground Nagas	54
5560	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of corruption against officers of All India Services.	54
5561	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर पंजाब और हरियाणा में औद्योगिकरण	Industrialisation of Himachal Pradesh, J & K, Punjab and Haryana	54–55
5562	पंजाब और हिमाचल प्रदेश में टेलीप्रिंटर सेवायें	Teleprinter services in Punjab and H.P.	55
5563	हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व काश्मीर को परिवहन संबंधी राजसहायता दिया जाना	Transport subsidy to Himachal Pradesh and J & K. . .	55–56
5564	मंत्रालयों में सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप-सचिवों तथा सहायक सचिवों की नियुक्ति	Appointment of Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Assistant Secretaries in Ministries . .	56
5565	दिल्ली में सात देशों के महापौरों का सम्मेलन	Seven-Nation Mayors Conference in Delhi . .	56

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	
5566	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे ऐच्छिक संगठन	Voluntary Organisations engaged in the Welfare of Scheduled Castes/Tribes in Andhra Pradesh and Karnatka .	57
5567	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण कार्यक्रम	Samaj Kalyan programme during 5th Plan	57
5568	मारिशस को भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian delegation to Mauritius	57
5569	इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास	Development of Electronic industry	58
5570	आयोजन का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of planning	58–59
5571	गुजरात में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात में गिरफ्तार व्यक्तियो का राजनीतिक दलों से संबंध	Political affiliation of persons arrested in Gujarat under M.I.S.A.	59
5572	महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	Central assistance for employment guarantee scheme in Maharashtra	59–60
5574	सांगली में विभागीय तार-घर के लिये भवन	Building for Departmental Telegraph Office at Sangli .	60
5575	संकटग्रस्त उद्योगों के सरकारीकरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for take over of sick industries	61
5576	वर्ष 1974 के दौरान दिल्ली में चोरी के मामलो की संख्या	Number of cases of theft in Delhi during 1974 . .	61
5577	शकरपुर, दिल्ली में शकपुर पुलिस द्वारा चोरी की शिकायत दर्ज करने से मना करना	Refusal by Shakarpur Police to register complaint of theft in Shakarpur, Delhi .	61
5578	दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में चोरियों के मामलों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	Number of persons arrested in Trans-Yamuna area of Delhi in connection with thefts	62
5579	पोस्ट कार्डों का दुरुपयोग	Misuse of post cards.	62
5580	राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by President of National Federation of P & T Employees . . .	62
5581	भद्रक एच० पी० ओ० का विस्तार	Extension of Bhadrak H.P.O.	63
5582	पांचवीं योजना में उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनायें	Central Sector projects in Orissa in Fifth Plan . .	63
5583	नारियल जटा बोर्ड के सचिव के विरूद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. inquiry against Secretary of Coir Board . . .	63–64

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5584	पुनालूर में स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange at Punalur	64
5585	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों के लिये भर्ती नियम	Recruitment rules for Coir Board employees . .	64
5586	शिशु-आहार के उत्पादन के लिए लाइसेंस/आशय पत्र जारी करना	Issue of licence/letter of intent for production of baby food	65
5587	पांचवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के अधिकतम लाभ उठाने के लिये कमांड-क्षेत्र विकास प्राधिकरण	Command area development authority for maximum benefit from irrigation potentials during Fifth Plan .	65
5588	पश्चिम बंगाल में पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना	Hill Development Scheme for West Bengal . . .	66
5589	होली के दौरान जबलपुर, मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riot in Jabalpur, Madhya Pradesh during Holi	66
5590	उच्चतर वतनमानों में निसंवर्ग पदों में सहायकों को प्राथमिकता दिया जाना	Preference to Assistants in ex-cadre posts in higher grades	66–67
5591	फराशखाना, दिल्ली में गुंडों द्वारा एक हरिजन लड़की से छेड़छाड़	Molestation of a Harijan girl by goondas in Farrashkhana, Delhi	67
5592	मैसूर इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कार्पोरेशन को आशय पत्र जारी करना	Issue of letters of intent to Mysore Industrial and Investment Development Corporation	67
5593	पत्र-कार्ड	Letter cards . . .	68
5594	योजना आयोग के सदस्यों में मतभेद	Differences among Members of Planning Commission .	68
5595	दिवंगत प्रो० एस० एन० बोस के कार्यों का अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन	Bridging out works of Late Prof. S.N. Bose in English and other Indian languages	68
5596	नेताजी जांच आयोग के लिये समय बढ़ाना	Extension of time limit to Netaji Inquiry Commission	68–69
5597	आचार्य विनोबा भावे के सुझाव पर अश्लील फिल्मों के निर्माण पर रोक लगाना	Stoppage of production of obscene films as suggested by Acharya Vinoba Bhave	69
5598	पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने के कार्य को स्थगित करना	Postponement of finalisation of Fifth Plan	69–70
5599	सेंट्रल हैल्थ स्क्वेड के सदस्यों से संबंधित घटनाओं की जांच	Inquiry into incidents involving members of Central Health Squad . . .	70

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5600	आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये पांचवीं योजना में उप-योजना का शामिल किया जाना	Inclusion of sub-plan in the Fifth Plan for development of tribal areas . . .	70–71
5601	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में संचार सुविधायें	Communication facilities in backward areas of Orissa	71–72
5602	उड़ीसा में वायु तथा जल प्रदूषण को रोकना	Checking of Air and Water Pollution in Orissa . .	72
5603	अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति से निपटने के लिये अल्पकालिक योजना	Short term scheme to deal with Inflationary trend in economy	72
5604	पत्रों के पहुंचने में विलंब के बारे में समीक्षा	Assessment regarding delay in delivery of letters . .	72–73
5605	अन्तर्राज्यीय असंतुलन दूर करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता के फार्मूले में परिवर्तन	Change in formula of financial assistance to State to remove inter-State disparity . .	73–74
5606	सशस्त्र विद्रोही मिजो लोगों द्वारा ग्रामिणों से धनराशि एकत्रित करना	Collection of money by armed hostile Mizos from villagers	75
5607	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में कर्मचारियों के स्थायी पद	Permanent strength of Central Secretariat Stenographers Service and Clerical Service	75
5608	कच्चे माल की कमी के कारण आशय-पत्रों की क्रियान्विति को स्थगित करना	Postponement of implementation of letter of intent due to shortage of raw materials	75–76
5609	समाचारपत्रों में सिनेमा विज्ञापनों के बारे में स्थान नियंत्रण की घोषणा का फिल्म प्रचार पर आश्रित रहने वाले लोगों पर प्रभाव	Effect of space restriction of Cinema Advertisements in newspapers on the people dependent on film publicity .	76
5610	वर्ष 1974-75 के लिये परिव्यय में वृद्धि	Increase in Plan outlay for 1974-75 . . .	76–77
5611	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल द्वारा अखबारी कागज के संयंत्र की स्थापना	Setting up of newsprint plant by West Coast Paper Mills	77
5612	वाजीरपुर, दिल्ली में सेंध मारने वाले एक गिरोह का पता लगाया जाना	Unearthing a gang of burglars at Wazirpur Delhi . .	77–78
5613	स्वतंत्रता सेनानियों के झूठे दावे	False claims of freedom fighters	78
5614	थोरियम प्रौद्योगिकी का विकास	Development of Thorium technology	78–79
5615	त्रिपुरा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमिगत मिजो लोगों द्वारा छापे मारना	Raids by underground Mizos on Tripura State Border areas	79

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5616	झूठी जानकारी देने वाले स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters who supplied factual information	79
5617	पूंजीगत वस्तुओं का देश में निर्माण	Indigenous manufacture of capital goods	80
5618	पटना स्थित डाक-तार विभाग के औषधालय के लिये एम्बूलेन्स की व्यवस्था करना	Ambulance for P. & T. dispensary in Patna	80
5619	डाक-तार विभाग औषधालयों में विभागीय जलपान गृहों के कर्मचारियों को डाक्टरी इलाज की सुविधा	Facility of medical treatment to departmental canteen staff in P. & T. dispensaries	81
5620	साहा इन्स्टीटयूट आफ दि न्यूक्लियर फिजिक्स कलकत्ता के बारे में समीक्षा समिति का प्रतिवेदन	Report of the Review Committee on Saha Institute of Nuclear Physics Calcutta	81
5621	बम्बई में भाषायी अल्पसंख्यकों पर आक्रमण के मामले	Cases of attacks on linguistic minorities in Bombay	81–82
5622	बम्बई में कर्मचारियों को खाली फ्लैटों का आवंटन	Allotment of vacant flats to employees in Bombay	82
5623	गरीबी स्तर पर निर्वाह करने वाले लोग	People living on poverty line	82–83
5624	आकाशवाणी में कांट्रेक्ट के आधार पर प्रोडयूसरों के पद बनाने के लिये मानदंड	Criteria for creation of posts of Producers on contract basis in A.I.R	83–84
5625	आकाशवाणी में 'कान्ट्रेक्ट' पर काम करने वाले प्रोडयूसरों तथा नियमित प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के कार्यों में समानता	Identical duties performed by Producers on contract basis and regular Programme Executives in A.I.R	84
5626	दूरदर्शन केंद्रों के लिये भर्ती का नया ढंग	New staffing pattern for T.V. Centres	84–85
5627	आकाशवाणी में काम करने वाले 58 वर्ष की आयु से अधिक अवधि तक बढ़ाई गई सेवा वाले प्रोग्राम अधिकारियों की संख्या	Number of Programme Officers in AIR whose services have been ex xended beyond the age of Fifty-eight	85
5628	वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान खोले गये रेडियो स्टेशन और टेलीविजन केंद्र	New Radio Stations and T.V. Centres opened during 1972-73 and 1973-74	85–86
5629	कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली नगरों का महानगरीय स्वरूप	Cosmopolitan character of cities of Calcutta, Bombay Delhi and Madras	86
5630	उत्तर प्रदश के लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of raw material in small scale industry in Uttar Pradesh	87

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5631	दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में आन्तरिक टेलीफोन व्यवस्था	Internal Telephone network in Government offices in Delhi	87–88
5632	पुरी पोस्टल डिविजन में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना	Opening of PCOs in Puri Postal Division . . .	88
5633	उड़ीसा में टेलीफ़ोन के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting list for telephones in Orissa	89
5634	वर्ष 1974-75 के लिये उड़ीसा के लिये योजना परिव्यय	Plan outlay for Orissa for 1974-75.	89
5635	वर्ष 1974-75 के लिये पंजाब की वार्षिक योजना	Annual Plan for Punjab for 1974-75	89–90
5636	उद्योगों में ईंधन की लागत कम करने के लिये धमन भट्टी स्लैग को इन्सुलेटिंग वूल में परिवर्तित करना	Conversion of Blast Furnace Slags into Insulating Wool for cutting down fuel cost in industries	90
5637	जामनगर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र	Applications for Telephone connections in Jamnagar city	90
5638	गोआ में लोह अयस्क परियोजना स्थापित करना	Setting up of an iron ore project in Goa. . . .	91
5639	केरल के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of industrial licenses in backward areas of Kerala	91
5640	केरल के लिए वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना	Annual Plan for Kerala for 1974-75	91
5641	ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत केरल को दिये गये ऋण	Loan to Kerala under Rural Industries Project . .	92
5642	केरल के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफ़ोन	Public telephones in post offices in Kerala	92–93
5645	राज्य विधान सभा को भंग करने के संबंध में निकाले गए जुलूस में भाग लेने वाले गुजरात में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Central and State Government employees of Gujarat arrested on account of their participation in procession for dissolution of State Assembly	93–94
5646	गुजरात में प्रशासनिक सुधार समितियों को निलंबित करना	Suspension of Administrative Reforms Committee in Gujarat	94
5647	5 मार्च 1974 में गोलीबारी की घटनायें	Firings in Gujarat since 5th March, 1974 . . .	94

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5648	27 फरवरी 1974 को नागाओं द्वारा अपहृत किये गये आसाम वासियों की रिहाई	Release of Assamese kidnapped by Nagas on 27th February, 1974	94-95
5649	ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी का भारतीयकरण	Indianisation of Britannia Biscuit Company	
5650	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pensions to freedom fighters	95
5651	दरभंगा डाक डिविजन के आधीन शाखा पोस्ट मास्टरों का चयन	Selection of Branch Post Masters under Darbhanga Postal Division . . .	95-96
5652	पांचवीं योजना में कर्नाटक के लि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें	Centrally sponsored schemes for Karnataka in Fifth Plan	96
5653	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में रिक्त पड़े उच्च श्रणी लिपिकों और सहायकों के अस्थायी पद	Temporary and permanent posts of UDC's Assistants lying vacant in the Central Secretariat services . .	96
5654	टाइप परीक्षा न पास करने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लोअर डिविजन क्लर्कों को छूट	Exemptions to L. D. Cs in the Central Secretariat Clerical Service who have not passed typing test .	97
5655	लोअर डिविजन क्लर्कों की अपर डिविजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नति	Promotion of L.D.Cs as U.D.Cs.	97
5656	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में लोअर डिविजन क्लर्कों को सेवा समाप्त करने संबंधी दिये गये नोटिस	Notices of termination of service served on L.D.Cs. in Central Secretariat Clerical Services	97
5657	कलकत्ता-दिल्ली ट्रंक लाईन	Calcutta-Delhi Trunk Line .	98
5658	"मराठा" के नई दिल्ली रचित संवाददाता के प्रेस कार्ड का नवीकरण	Renewal of presscard of Marath's New Delhi Correspondent	98
5659	आसाम में डाकघरों को खोलना	Opening of post offices in Assam.	98-99
5660	परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने वाली संस्थायें	Institutions preparing Project Reports	100
5661	गुजरात में आन्दोलनों के कारण उद्योगों की हानि	Losses to industries due to agitations in Gujarat. .	100
5662	औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने की प्रक्रिया में सुधार	Streamlining of procedure for grant of industrial licences	100
5663	विविधीकरण के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना	Issue of COB licences for items produced by companies under diversification	101

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
कानपुर में एक गोदाम से हजारों बमों के बरामद किए जाने का समाचार—	Reported recovery of thousands of live bombs from a godown in Kanpur—	
श्री शशिभूषण	Shri Shashi Bhusan	102–103
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	102–105
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	105–106
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	Committee on Subordinate Legislation	
10 वां प्रतिवेदन	Tenth Report	106
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
108वां प्रतिवेदन	Hundred and eighth Report	106
समितियों के लिए निर्वाचन—	Elections to Committees—	
(एक) प्राक्कलन समिति,	Estimates Committee	107
(दो) लोक लेखा समिति, और	Public Accounts Committee; and	107–108
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings	108–109
बागान श्रम (संशोधन) विधेयक—	Plantations Labour (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति	Concurrence in Rajya Sabha Recommendation to appoint Member to Joint Committee	109
संसद सदस्यों को आपत्तिजनक कलेंडरों के कथित वितरण के बारे में	Re. Distribution of allegedly offensive calendars to M.Ps.	109–112
पांडिचेरी की संचित निधि में से व्यय के प्राधिकरण के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Presidents Order in regard to the authorisation of expenditure out of consolidated Fund of Pondicherry—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	112–116
सामान्य बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में	Re. Proposed strike by General Insurance employees	117
वर्ष 1974--75 के मौसम के लिए गेहूं की वसूली तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीति के बारे में चर्चा—	Discussion re : Procurement and Pricing Policy of Wheat for 1974-75 Season—	
श्री बी० वी० नायक	Shri B V. Naik	117–118
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	118–119
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	119–120
श्री इंद्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	121–122

3—10 LSS(ND)/74

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	122–123
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	123–124
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . .	124–125
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	125–126
श्री पी० वेंकासुब्बया	Shri P. Venkasubbaiah .	126–127
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	127–128
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	128
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani .	128–130
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	130–131
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	131
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	131–132
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	132–133
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque . .	133
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	133–134
डा० कैलास	Dr. Kailas. . .	134–135
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . .	135–136
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya	136
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal patel . .	136
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha . .	136–137
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	137
श्री नागेंद्र प्रसाद यादव	Shri N. P. Yadav .	137
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed .	137–142

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 3 अप्रैल, 1974/13 चैत्र, 1896 (शक)
Wednesday, April 3, 1974/Chaitra 13, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की योजना बनान के लिये अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं देने के लिये केंद्र स अनुरोध

*546. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य योजना बोर्डों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की योजना बनाने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं मांगी है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्यों को वित्तीय सहायता की एक केन्द्रीय स्कीम 1972–73 से आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य आयोजन मण्डलों के गठन तथा अपने योजना विभागों के सुदृढ़ीकरण पर राज्यों द्वारा किए गये अतिरिक्त खर्च के दो-तिहाई भार का वहन केन्द्र करता है। जहां तक तकनीकी सहायता का सम्बन्ध है यह राज्य सरकारों के अनुरोध पर अनौपचारिक रूप से उपलब्ध की जाती है। आयोजन तंत्र को सुदृढ़ करने की सहायता की स्कीम में गैर-सरकारी परामर्शदाताओं को भी काम पर रखने की परिकल्पना की गई है और इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार दो-तिहाई खर्च का वहन करेगी।

(ख) जी, नहीं।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : यह कहा गया है कि अतिरिक्त व्यय की दो तिहाई राशि को केन्द्र वहन करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार राज्यों को किस प्रकार की तकनीकी सहायता देना चाहता है ?

श्री मोहन धारिया : हमने राज्य सरकारों से अपने योजना बोर्डों की सहायता करने के लिए कहा है। इस प्रयोजन के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो यथासम्भव विशेषज्ञ होना

चाहिए और अन्य विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जानी चाहिए और साथ ही हमने राज्य स्तर पर आयोजना व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी उनसे अनुरोध किया है और इसके लिए कुल व्यय की राशि में से दो-तिहाई धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि भू-दल सर्वेक्षण आदि के लिए आन्ध्र सरकार के पास तकनीकी सुविधाओं का अभाव है और यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या योजना मंत्री केन्द्रीय योजना से भू-जल सर्वेक्षण के लिए तकनीकी सलाह की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहन धारिया : अभी तक आन्ध्र सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। परन्तु यदि वे ऐसा कोई प्रस्ताव करेंगे, तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि योजना बोर्डों का गठन करने के बारे में तकनीकी सहायता पर होने वाले अतिरिक्त व्यय में से दो-तिहाई राशि को केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। देश में खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या कुनूर जल-निकासी योजना को पश्चिम बंगाल की पांचवीं योजना में शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह उत्तर के भाग (क) से सम्बन्धित है। 15 दिन के बाद मैं कोई पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कुनर जल-निकासी योजना को पश्चिम बंगाल की पांचवीं योजना में शामिल किया गया है। अगर इसे क्रियान्वित किया जाता है, तो हर साल डेढ़ लाख क्विन्टल धान पैदा होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हुँ कि खाद्यान्न की कमी की समस्या से निपटने के लिए कुनूर जल-निकासी योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राज्य योजना बोर्डों को दी जाने वाली सलाह के बारे में है, न कि योजनाओं के बारे में। मुझे खेद है। आप पन्द्रह दिन के बाद आये हैं, तो आपको अधिक तैयारी करके आना चाहिए था।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या योजना आयोग ने राज्यों की अपनी योजनाओं के बारे में राज्यों को कुछ निर्देश दिये हैं कि वे राज्यों में आधारभूत ढांचे तैयार करने के लिए अपने संसाधनों का विकास करें ? यदि हाँ, तो अब तक जारी किये गये मार्गदर्शी निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अनुभवी अधिकारियों के लिए अनुरोध के बारे में है।

श्री के० लकप्पा : हम अधिकारियों अथवा उनके अनुभव के बारे में नहीं जानना चाहते। मैं राज्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में केन्द्र के निर्देशों के बारे में जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके पूरक प्रश्न के मार्गदर्शी निर्देश क्या हैं ?

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में अब तक क्या मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, प्रश्न यह था कि क्या राज्य की योजना बनाने के कार्य में सहायता करने के लिए केन्द्र से अनुभवी अधिकारियों की सेवायें प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है ।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न इसी से उत्पन्न होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ज्यादा तर्क नहीं करना चाहता । बेहतर होगा, अगर आप इसे स्वयं ही निपटाएं ।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर): यह स्पष्ट है कि राज्यों की योजनाओं और केन्द्रीय योजना को तैयार करने में जिन लक्ष्यों की पूर्ति की जानी है, उनकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है । केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनायें और राज्य सरकारों की योजनायें दृष्टिकोण-पत्र में छपे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की गई थीं । योजना आयोग में मानवीय रूप से जहाँ तक सम्भव हो सका है, हमने यह सुनिश्चित किया है कि राज्यों की योजनाओं और केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं को उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जाय ।

श्री अमृत नाहटा : क्या जिला स्तर पर योजना मशीनरी को बनाने के लिए सहायता देने के प्रश्न पर भी योजना आयोग विचार कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री नाहाटा, यह प्रश्न आन्ध्र के अनुरोध के बारे में है । आपका प्रश्न संगत नहीं है । अब अगला प्रश्न लिया जायगा ।

समाचारपत्रों में सिनेमा के विज्ञापनों के लिये स्थान पर प्रतिबन्ध के कारण बंगाली फिल्म निर्माताओं की कठिनाइयां

*547. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली फिल्म निर्माताओं ने समाचार पत्रों में सिनेमा के विज्ञापनों के लिए स्थान पर प्रतिबन्ध के कारण उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में हाल ही में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या बातें लिखी हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म बीर सिंह): (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री आर० एन० बर्मन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रतिबन्ध के कारण घाटा होने से पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानीय समाचारपत्रों के समक्ष वित्तीय संकट उपस्थित हो गया है ? यदि हाँ, तो समाचारपत्रों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने किन वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : यह मामला फिल्म प्रदर्शकों और समाचार पत्र मालिकों के बीच है । वे कुछ दरें लागू करना चाहते हैं । इसलिए, भारत सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या यह सच है कि बंगाली फिल्में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं और उनमें से अनेक को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और क्या बंगाली बाजार सीमित होने और बाजार

की कमी होने के कारण ये उच्च स्तर की फिल्में प्रतिदिन समाप्त होती जा रही हैं ? यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के इस कलात्मक फिल्म उद्योग को जीवित रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आई० के० गुजराल: मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रायः बंगाली फिल्में अच्छी होती हैं और श्री सत्यजीत राय जैसे निर्माता अपने भावों की अभिव्यक्ति बंगाली फिल्म माध्यम से करते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए काफी उत्सुक हैं कि बंगाली फिल्मों का अन्य क्षेत्रों में भी प्रसार किया जाय। एक विचार इस आशय का है कि बंगाली फिल्मों को हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 'डब' करके उनके बाजार का प्रसार किया जाय। कुछ समय से पश्चिम बंगाल सरकार इस बात पर विचार कर रही है। फिल्म उद्योग का सुधार करने के लिए दत्त समिति द्वारा सुझाये गये कुछ अन्य उपाय भी पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन हैं। बंगाली फिल्म उद्योग को वर्तमान संकट से उबारने के लिए सभी सम्भव सहायता देने के लिए भारत सरकार उत्सुक है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बंगाली फिल्मों को हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में 'डब' करने के लिए क्या कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध की जायेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : जी, हां। अगर कोई निश्चित प्रस्ताव किया जाता है, तो हम सहायता देंगे। वस्तुतः, मैंने एक दो निर्माताओं को कोई निश्चित प्रस्ताव पेश करने के लिए भी कहा। परन्तु अफसोस की बात है कि अभी तक किसी ने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है।

कोयले की कमी के कारण सीमेंट कारखानों में मजदूरों की जबरी छुट्टी

*550. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण सीमेंट कारखानों ने मजदूरों को जबरी छुट्टी देना शुरू कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सीमेंट उद्योग के लिये कोयले की प्रति महीने की अनुमानित आवश्यकता 5.20 लाख मीट्रिक टन की है जिसके लिये प्रतिमाह 4.57 लाख मी० टन सीमेंट के आवंटन की योजना बनायी गयी थी। फिर भी सीमेंट कारखानों को कोयले की वास्तविक सप्लाई सितम्बर, 1973 से फरवरी 1974 की अवधि में काफी कम रही है अर्थात् 2.37 लाख मी० टन से और 3.47 लाख मी० टन के बीच रही है।

इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित कारखाने या तो बन्द कर दिये गये थे अथवा विभिन्न अवधि के लिए उन संबंधित कारखानों में कोयले के स्टाक की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को जबरी छुट्टियां दे दी गई थी।

कारखानें जिनमें कर्मचारियों को जबरी छुट्टियां दी गई

1. इंडिया सीमेंटस, तलायुथु
2. इंडिया सीमेंट्स, शंकरीद्रग
3. ए० सी० सी०, मदुक्कर
4. डालमियां सीमेंट (भारत), डालमियापुरम

कोयले के अभाव में बन्द किए गए कारखाने

1. ए० सी० सी० द्वारका

2. यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन, चुर्क

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : विवरण में यह बात नहीं बताई गई है कि वस्तुत: कितने श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया। पहले वैगनों की कमी हुई, फिर बिजली में कटौती की गई, और उसके बाद पानी की कमी हुई। अब कोयले का अभाव है। कोयले की अत्यधिक कमी की वजह से उत्पादन में कमी हुई और वैगनों के उपलब्ध न होने की वजह से भण्डार जमा हो गया। इसका परिणाम यह हुआ है कि चार कारखानों में पहले ही कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है और दो कारखाने बन्द हो चुके हैं। श्रमिकों को वेतन का भुगतान कराने और उनकी सहायता करने के लिए मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : जबरन छुट्टी पर भेजे गए श्रमिकों को अदायगी करने के लिए नियम है। ऐसा भुगतान सम्बद्ध औद्योगिक कारखानों द्वारा किया जायगा। इस बारे में सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मजदूर संघों और उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें जमा हो रहे भण्डार को हटाने के लिए वैगनें आवंटित करके उद्योग के संकट को समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जी हां, विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक विकास मंत्रालय इस मामले पर रेल मंत्रालय और कोयला तथा खान मंत्रालय के साथ परामर्श कर रहा है। कोयले की उपलब्धता और कोयले की ढुलाई के बारे में स्थिति में सुधार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

Shri B. S. Bhaura : I would like to know whether the honourable minister would inquire into the fact that the cement factory owners are unitedly laying off the workers to create artificial shortage of cement?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम सब इस बात को जानते है कि संकट का कारण कोयले की अपर्याप्त सप्लाई है और कुछ मामलों में बिजली की सप्लाई में कटौती होना है। सिमेन्ट निर्माताओं द्वारा इकट्ठे होकर संकट उत्पन्न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : समुद्र तटीय नौवहन का उपयोग करके कोयले की ढुलाई में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सी० सुब्रम्हण्यम : कुछ मामलों में और विशेषत: दक्षिणी क्षेत्र को कोयले की ढुलाई करने के लिए हम समुद्र तटीय नौवहन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे है। परन्तु अफसोस है कि नौवहन साधन भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

श्री एस० गोपाल : विवरण से यह पता चलता है कि तामिलनाडु में केवल चार कारखाने ने श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में कितने कारखाने हैं और केवल तामिलनाडु के चार कारखाने ही क्यों प्रभावित हुए? यह भेदभाव होने के क्या कारण है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : भेदभाव की कोई बात नहीं है। यह प्रश्न विशेषकर कारखानों के बारे में हैं जिन में श्रमिकों की जबरन छुट्टी की गई है। ऐसी बात नहीं है कि इसका अन्य कारखानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनपर भी प्रभाव पड़ा है, परन्तु उतना नहीं। कोयले की कमी और वैगन उपलब्ध न होने के कारण लग भग सभी कारखानों पर प्रभाव पड़ा है।

श्री एस० गोपाल : तमिलनाडु पर सब से अधिक विपरित प्रभाव पड़ा है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : दक्षिण में होने के कारण वे कोयला क्षेत्रों से सब से दूर है। इसलिए विशेषकर इस संकट की स्थिति में वहां कोयला पहुंचाना बहुत कठिन हो गया है।

श्री पी० आर० शिनाय : देश की दक्षिणों और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित सीमेंट कारखानों को नियमित रूप से कोयला सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हाल ही में कोयले के स्रोत को उन एककों के साथ जोड़ दिया गया है जिनको कोयला सप्लाई किया जाना है। इस प्रकार वे कोयला भेजने का प्रयत्न कर रहे है। जहां तक रेलवे का संबंध है, माननीय सदस्यों को पता है कि श्रमिक अशांति के कारण कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। इसी लिए, कोयला नहीं भेजा जा रहा है, इसके अतिरिक्त, वे पूर्ण हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव केवल सीमेंट पर ही नहीं अपितू अन्य सभी वस्तुओं पर भी पड़ेगा।

आनन्द मार्ग हत्याकांड में इकबाली गवाहों को मार देने का प्रयत्न

+

*551. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री राम प्रकाश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि आनन्द मार्ग हत्याकांड में इकबाली गवाहों को मार देने का सुव्यवस्थित प्रयत्न किया गया था ;

(ख) क्या इस में किसी उच्च अधिकारी का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) बिहार सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Shri Yamuna Prasad Mandal: Mr. Speaker, Sir, these Anandmargis have been playing havoc in the country. In this context, many I know from the hon'ble Minister (a) how many innocent youngmen have been killed by them, (b) how many murders have been apprehanded besides their leader and (c) whether some hon'ble Members had met Shri Sarkar, leader of the murders in Patna Central Jail and discussed the matter with him.

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि आनन्दमार्ग के कुछ सदस्य हिंसात्मक गतिविधियों में लगे हैं। जिस मामले के बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसमें आनन्द मार्ग के नेता पर काफी गंभीर आरोप लगाये गये हैं। और वह मामला अभी तक विचाराधीन है, जब यह मामला विचाराधीन था, एक अभियुक्त को गया से पटना ले जाया जा रहा था और जब वह जीप पटना के जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बाहर पहुंची तो लगभग 25–26 वर्ष की आयु के एक युवक ने अभियुक्त पर एक हथगोला फैंका, सौभाग्य से वह हथगोला जो सेना के उपयोग के लिये बनाया गया था, फटा नहीं था उस व्यक्ति ने गोला फैंकने के बाद अपने रिवालवर से गोलियां चलाई परन्तु वे किसी व्यक्ति को नहीं लगीं। रक्षक दल द्वारा की गई खतरे की आवाज को सुनकर आक्रमक व्यक्ति गंगा नदी की ओर दौड़ा और उसमें कूद गया। पुलिस दल ने उसका पीछा किया और उसको पकड़ने के लिये दो सिपाही गंगा में कूद पड़े और उसको गिरफ्तार कर लाया परन्तु रिवाल्वर बरामद नहीं किया जा सका। बाद में पता चला कि आक्रमक व्यक्ति

आनन्दमार्ग का अवधूत विजयानन्द था। पूछताछ के दौरान आक्रमक व्यक्ति ने बताया कि माधवानन्द की जीवन लीला समाप्त करने का प्रयत्न कुछ कट्टर आनन्दमार्गियों द्वारा रचे गये षड़यन्त्र का अंग था। इस मामले की जांच की जा रही है। केवल यही एक मामला नहीं है, जिस में आनन्दमार्ग के अनुयायी का हाथ है। कट्टरता बढ़ने के साथ-साथ, समय समय पर हिंसात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं और जैसे सरकार को पता चलता है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

Shri Yamuna Prasad Mandal: I had asked the names of four hon. Members who had gone to Central Jail to see their leader, who were they?

श्री नवल किशोर शर्मा: यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे सभा से छिपाया नहीं जाना चाहिये। सदस्यों को यह जानने का अधिकार है।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : इस प्रश्न में दो बातों की जानकारी मांगी गई है। एक बात यह थी कि वास्तव में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई थी। जहां कहीं हमें कोई सुराग मिला या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने तुरन्त जांच की है और लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इस मुकदमे सहित व मुकदमे भी चल रहे है। अन्यथा, यह कहना असम्भव है कि कितने अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ा था या हत्या किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है या इस ग्रुप ने वास्तव में कितने व्यक्तियों की हत्या की थी।

जहां तक श्री पी० आर० सरकार के साथ साक्षात्कार का संबंध है, मैं ने एक पहले अवसर पर बताया था कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री समर गुह और दो अन्य सज्जन जेल में श्री सरकार से मिल थे।

एक माननीय सदस्य : उनका प्रयोजन क्या था?

श्री उमाशंकर दीक्षित : इसका पता नहीं।

श्री के० लक्कप्पा : हम जानना चाहते हैं कि वे किस प्रयोजन से उनको मिले थे क्यों कि बिहार में बड़ पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सभा में गड़बड़ नहीं करनी चाहिये। वह कृपया बैठ जायें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह गृह मंत्रालय को पता है कि पुलिस के पास कितने मामले पंजीकृत है और कितने मामलों में आनन्दमूर्ती के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई है और क्या यह सच नहीं है कि तीन या चार वर्ष पूर्व श्री ज्योति बसू पटना गये थे और इन आनन्दमार्गियों ने उन पर गोली चलाई थी परन्तु श्री ज्योति बसु बच गये थे किन्तु उन का एक मित्र मारा गया था और गवाही दी गई थी कि आनन्दमार्गियों ने ही ज्योति बसु पर गोली चलाई थी। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि पुलिस ने आनन्दमूर्ति के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये हैं और क्या इन मामलों में वह मामला भी शामिल है जिसमें श्री ज्योति बसू पर गोली चलायी गई थी और बाद में सरकार ने उस मामले को ठप्प कर दिया था? मुझे यह पता नहीं कि केन्द्रीय सरकार के आग्रह पर उसे ठप्प किया गया था अथवा बिहार सरकार के आग्रह पर।

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य ने काफी जानकारी दे दी है, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, प्रश्नकर्ता जानना चाहते हैं कि क्या इस में कुछ अधिकारिओं का हाथ है। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मैं ने उसका स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस के पास कितने मामले पंजीकृत है?

श्री उमाशंकर दीक्षित : उसके लिये अलग नोटिस भेजना होगा .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : यह आपको विचार करना है कि यह संगत है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न सामान्य है कि क्या आनन्द मार्ग हत्याकांड में इकबाली गवाहों को मार देने का सुव्यवस्थित प्रयत्न किया गया है। परन्तु आप विशिष्ट बातें तथा और नाम पुछ रहे हैं। अतः यदि आप किसी विशेष मामले में कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको पृथक नोटिस भेजना होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : पहले आनन्दमार्गी छात्रों और युवकों के होस्टल में जाते थे और उनसे अपील करते थे। यह मेरा अपना अनुभव है। वे मेरे पास भी आये थे। जो उनकी बात नहीं मानत थे उन्हें वे मार देते थे। मेरे पास कुछ सम्बद्ध जानकारी है जो मैं गृह मंत्रालय के समक्ष रखना चाहता हूं मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय को पता है कि घटना में हाल ही में हुई घटनाओं में आनन्दमार्गी के नेताओं ने छात्रों और युवकों के पास जाने का प्रयत्न किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि जो सरकार के एकदम विरुद्ध हो।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे संगत है ?

श्री प्रय रंजनदास मुन्शी : मेरे पास जानकारी है। मैं एक महीने के अन्दर यह सिद्ध करूंगा कि इन लोगों ने किया है। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि उन्होंने बिहार में छात्रों और युवकों के एक वर्ग को भड़काने का प्रयास किया तथा ऐसे लोगों को भी जो छात्रों से तथा युवक वर्ग से संबंधित नहीं है सरकार के विरुद्ध स्थिति पैदा करने के लिय भड़काया।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष की बात बिल्कूल नहीं सुन रहे हैं। प्रश्न साधारणसा है :

"आनन्दमार्ग हत्याकान्ड में इकबाली गवाहों को मार देने का प्रयत्न"।

आप तो मंत्री महोदय को जानकारी दे रहेहैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे।

श्री के० एस० चावड़ा : इसलिए मैं बीच में बोला था।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी : मुझे पता है आप क्यों बीच में बोले थे।

श्री वायालार रवि : यह समाचार बड़ा प्रचलित हो रहा है कि सरकारी अधिकारियों के एक वर्ग तथा पुलिस के कुछ कर्मचारियों की आनन्द मार्ग तथा आनन्दमार्गियों के साथ सांठगांठ है। क्या यह बात सच है कि ये अधिकारी भी इन हत्याओं के मामले में अन्तर्गस्त है और क्या तथ्य को छिपाने का कोई प्रयास किया जा रहा है और यदि है तो क्या मंत्रालय ने इन आरोपों की कोई जांच की है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, हमने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

Shri Madhu Limaye : Sir, the question 'is' whether there was an organised attempt to liquidate the Approvers in Ananda Marg murder case"

Sir, Just now a reference has been made to four MPs. May I know whether any body can meet any prisoner without the permission of jail authorities and whether no Jail officer is required to be present at the time of meeting? If the permission for the meeting and the presence of the officer is necessary then I would like to know whether four of our hon. Friends had any conversation with the followers of Ananda Marg to liquidate the approvers? I would like to have a catagorical reply in 'yes' or 'no'.

Shri Uma Shankar Dixit: I have no information in this regard.

Shri Madhu Limaye: This is a question of organised attempt.

Mr. Speaker: He would have replied, had the information been available with him.

Shri Madhu Limaye: He can say, 'no'. The Hon. Minister should have given a categorical reply when efforts are being made to throw mud on Parliament Members. If the Members are found involved in organised attempt, then legal action should be taken against them. If there is found no involvement then a specific reply to this effect should have been given. The Members of the ruling party should not be allowed to throw mud and the Hon. Minister should not keep silent regarding the clarification of the matter. Legal action should be taken if certain Members have done something wrong. (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी नहीं मांग रहे हैं।

Shri Madhu Limaye: I am seeking information from the Hon. Minister.

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दें।

श्री मधु लिमये : मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस बारें में जानकारी नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आपने ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति दी है जो किसी उद्देश्य से पूछा गया है। इस सदन के सदस्यों पर कीचड़ उछाली गयी है।

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister should give a categorical reply. Is Shri Ananda Murty a member of Socialist Party?

अध्यक्ष महोदय : आपको अवसर मिला है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते: हम संसद सदस्यों पर कीचड़ नहीं उछालने देंगे। हमें स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : माननीय सदस्य जिस ढंग से उत्तेजित हो रहे हैं वह संदेहास्पद है ... (**व्यवधान**)

यहाँ हमारी पार्टी के माननीय सदस्य ने केवल इतना पूछा है कि क्या कुछ व्यक्तियों ने जाकर इस व्यक्ति से साक्षात्कार किया।

श्री मधु लिमये : इस प्रश्न के संदर्भ में ही।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मेरे विचार से यह इस संदर्भ में नहीं था।

जब कोई ऐसी घटना होती है, तो बहुत से लोग मूल बात से अर्थात् आनन्दमार्ग से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। मेरे विचार से यह इसी संदर्भ में पूछा गया था। उनका न कोई तात्पर्य ऐसा है नहीं उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य बाद में रिकार्ड देख सकते हैं कि यह माननीय सदस्य ने किसी की हत्या का षड़यंत्र रचा। परन्त यदि उन्होंने अभी दूसरे षड़यंत्रों के बारे में तथा जो कुछ बिहार में हुआ है उसके बारे में रहा है तो यह दूसरी बात है। जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, परन्तु यह सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी राम प्रकाश। मुझे खेद है, आप देर से आये हैं।

श्री राम प्रकाश : विवरण में बताया गया है कि बिहार सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है यह सूचना कब तक सरकार के पास आ जायेगी।

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not possible to state the time, but they are being reminded.

उत्पादन के विविधीकरण के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय से मंजूरी

*553. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सी० ओ० बी० लाइसेंसों को जारी करने में अनिमितताओं के बारे में 15 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 3525 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन के विविधीकरण के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक मंजूरी की संदर्भ संख्या और तारीख का ब्यौरा उपलब्ध करेगी ;

(ग) अगर रिकार्ड नहीं रखा गया है, तो क्या यह अनियमितता का मामला है, और इसकी जांच की जानी चाहिए ; और

(घ) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनयम के अधीन लाइसेंस मंजूरी देने संबंधी कोई कागजात नष्ट नहीं किए जा सकते ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) 27–10–66 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति/प्रतिलिपि संलग्न **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6612/74]** की शर्तों के अनुसार औद्योगिक उपक्रमों को नई वस्तुओं का उत्पादन करन के लिये बिना लाइसेन्स प्राप्त किये विविधीकरण करने की स्वाधीनता प्रदान की गई थी बशर्ते कि———

(क) देश में उपलब्ध छोटे बैस्पिग उपकरणों के अलावा कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनों को स्थापित नहीं किया जायेगा ;

(ख) विदेशी मुद्रा का कोई अतिरिक्त व्यय निहित नहीं होगा ;

(ग) विविधीकरण कुल उत्पादन के 25% से अधिक नहीं होगा ; और

(घ) विविधीकरण में उन विशिष्ट वस्तुओं को शामिल नहीं किया जायेगा जिन्हें पहले लघु उद्यागों में संरक्षण प्रदान करने के विचार से सूचीबद्ध किया जा चुका है।

ऐसे उपक्रमों को तकनीकी विकास के महानिदेशालय या अन्य समुपयुक्त संबंधित तकनीकी प्राधिकारी को अपने संशोधित उत्पादन कार्यक्रम के विवरणों तथा उत्पादनार्थ प्रस्तावित नई वस्तुओं के विवरण की सूचना देनी होगी। इस प्रकार विविधीकृत उत्पादन के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) फाइलों का वर्गीकरण करने संबंधी प्रशासनिक आदेशों के अनुसार उन फाइलों को जिन पर लाइसेंसों की स्वीकृति दी जाती है स्थायी अभिलेख माना जाता है।

श्री के० एस० चावड़ा : सी० ओ० बी० लाइसेंस विविधीकरण पर आधारित थे। ये लाइसेंस उन्हें इस शर्त पर दिये गये कि वे तकनीकी विकास महानिदेशक को सूचना देंगे। जिन मामलों में तकनीकी विकास महानिदेशक को सूचित नहीं किया गया है क्या सरकार उन औद्योगिक कारखाने के सी० ओ० बी० लाइसेंस रद्द करेगी? क्या उन्होंने उत्पादन के विविधीकरण के बारे में सूचना दी हैं, यदि हां, तो कब यदि नहीं तो इस गैरकानूनी लाइसेंस को रद्द न करने के क्या कारण हैं?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने इस विषय पर 20 से भी अधिक प्रश्न पूछे है। पता नहीं उन्हें क्या कठिनाई हो रही है। मैं इस विषय पर उनसे बात-चीत करना चाहूंगा कि वह क्या बात सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। विविधीकरण के बारे में दो अधिसूचनायें हैं। एक वर्ष 1966 की है और हमारी संबंध उसी से है। हम प्रश्नों का उसी संदर्भ में उत्तर दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक दूसरा प्रश्न पछा है जो अतारांकित है और जिसमें उन्होंने 1969 की अधिसूचना का संदर्भ दिया है। 1969 की अधिसूचना पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। उसमें औषधि निर्माण के बारे में विविधीकरण का संदर्भ दिया गया है। जहां तक उसका संबंध है, वह अब लागू नहीं है। अतारांकित प्रश्न में उन्होंने यह बात जाननी चाही है कि क्या किसी ने भी सूचित नहीं किया। यदि यह बात हमारे ध्यान में आती है तो हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे। क्योंकि इन सभी मामलों में उत्पादन के लिये कच्चे माल की आवश्यकता है, इसलिए संचित किया जाना आवश्यक है और उत्पादन के आधार पर ही उन्हें कच्चा माल दिया जाता है। यह स्थिति है। यहां यही सुरक्षा है। अतः ऐसे किसी मामले की संभावना नहीं है जहां उत्पादन के बारे में नबताया गया है।

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्री महोदय ने कहा है कि मैंने क्या पूछा है। मेरा अनुपूरक प्रश्न पृष्ठ4 पर जो कुछ लिखा गया है उसी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि इस छूट के अनुसरण में जो औद्योगिक कारखाने नयी वस्तुओं की निर्माण करेंगे अथवा अपना उत्पादन बढ़ायेंगे उन्हें इस बारे में तकनीकी विकास महानिदेशक अथवा इन बातों से संबंधित अन्य उपयुक्त तकनीकी अधिकारी को सूचना देनी होगी। इसलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री के० एस० चावड़ा : यह प्रश्न स्वयं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण में से उत्पन्न होता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने बीसियों प्रश्न पूछे हैं। सामान्य वाद-विवादों में भी उन्होंने यह बात उठायी हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : सामान्य वाद-विवाद में उन्होंने उत्तर नहीं दिया, मैं क्या कर सकथा हूं?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं उनकी बात नहीं समझ सका हूँ, इसलिये यही अच्छा है कि वह आकर मुझे से बात चीत कर लें। हम अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।

श्री के० एस० चावड़ा : ठीक है, मैं उनसे बात-चीत कर लूंगा। अब मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

तकनीकी जानकारी के लिये विदेशी सहयोग

*556. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० एस० टी० ने तकनीकी जानकारी के लिए विदेशी सहयोग के बारे में प्रतिवेदन तयार किया है तथा प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्न विषयों पर हैं:

(1) स्थायी तकनीकी व आर्थिक मूल्यांकन तथा आयात की जाने वाली समुचित प्रोद्योगिकी के चयन के लिए क्रिया विधि,

(2) प्रोद्योगिकी के बारंबार आयात को रोकने के उपाय,

(3) आयातित प्रोद्योगिकी का अनुकुलन, अवशोषण तथा प्रसारण के लिए क्रियाविधि और विदेशी प्रौद्योगिकी के संभरक पर निरंतर निर्भरता के बिना देशीय प्रोद्योगिकी का और विकास करना।

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि अब सिफारिशों का झुकाव आत्मनिर्भरता अर्थात् देशीय प्रौद्योगिकी पर आश्रित रहने की ओर कम है तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात की ओर अधिक है क्योंकि एन० सी० एस० टी० के हाल ही के प्रतिवेदनों के अनुसार इस में कुछ विशिष्ट सावधानी के आधार पर ही उक्त सन्तुलन बनाया गया है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह तो भारतीय प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में भी हमें भविष्य में उसी के आयात पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। ऐसा आयात सुधार करने अथवा उसे अपना लेने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रयास यह है कि यह कार्य देश के भीतर ही कर लिया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तेल, उर्वरक तथा ऊर्जा जैसे अत्यन्त महत्वपर्ण क्षेत्रों में क्या यह सही नहीं है कि सरकार देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी की तुलना में आयातित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के पक्ष में अधिक है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि उस क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी तो फिर किसी भी सूरत में विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस के लिये सीमित मात्रा में देशीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। और केवल उन्हीं मामलों तथा अन्य कुछ न टल सकने वाले मामलों में सरकार प्रोद्योगिकी के आयात के बारे में सोचती है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या एन० सी० एस० टी० द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन में कोई सीमा निश्चित की गई है? यदि नहीं, तो इन उद्योगों के लिये विदेशी सहयोग की कब तक आवश्यकता रहेगी?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : वस्तुतः जब हम कोई लाइसेंस या सहयोग के लिये अनुमति देते हैं तो उस में पांच, सात पर नौ वर्ष की समय-सीमा अवश्य निर्धारित कर देते हैं जो कि उक्त-प्रौद्योगिकी की आधुनिकता के हिसाब से होती है।

जहां तक समय-सीमा का संबंध है, प्रतिवेदन में कहा गया है कि वे लोग सहयोगकी निर्धारित समय-सीमा के बाद भी हमें जारी रखने को कहते हैं परन्तु उसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : वे कौनसे क्षेत्र हैं जिन में तकनीकी जानकारी के लिये अभी भी विदेशी सहयोग की जरुरत रहती है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : "गाइड लाइन्स टू इन्डस्ट्रीज" ("उद्योगों के लिये मार्ग दर्शन–पुस्तिका") नाम की एक पुस्तक है जिसमें यह बताया गया है कि विदेशी सहयोग कितने समय तक रह सकता है।

श्री बी० वी० नायक : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति को प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में विचार करने के अतिरिक्त अपने देश के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी के निर्यात के बारे में भी विचार किया है? और क्या आयात तथा निर्यात के संतुलन के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और इसे केवल एक–तरफा कार्यवादी न बनाने के बारे में को निष्कर्ष निकालना संभव हो सका है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने बड़ा ही संगत प्रश्न पूछा है। किसी भी देश के लिये केवल देशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना संभव नहीं है। साथ ही, यह भी बात नहीं है कि हम प्रौद्योगिकी का विदेशों से केवल आयात ही करते हैं और अन्य देशों को इसका निर्यात नहीं कर रहे हैं। सौभाग्य से, गत पांचवर्षों से, हमने अपनी प्रौद्योगिकी का विशेषकर अफ्रीकी देशों तथा दक्षिण पूर्वी आशियायी देशों को और किसी सीमा तक मध्य पूर्वी देशों को निर्यात करना आरंभ कर दिया है और उन देशों ने हमारी प्रौद्योगिकी को स्वीकार किया है और कुछ उद्योग उसके आधार पर चल रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते: क्या सरकार, विशेषकर जापान जैसे देशों के प्रोद्योगिकी शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों, से एक नयी लघुउद्योगीय प्रौद्योगिकी जिसके बारे में स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने सुझाया था तथा जिस का आधार बिजली तथा डीज़ल हो सकता था, और जिसको पूंजी की कमी, भारी जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्याओं की दृष्टि से छोटे छोटे गांवों में फैलाया जा सकता है, के संबंध में विशेषज्ञमत प्राप्त करने का विचार रखती है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : क्या यह बात मूल प्रश्न से संगत है?

श्री वसंत साठे : यह तो एक मूल्यवान सुझाव है?

प्रो० मधु दंडवते : क्या सरकार इस सुझाव को मानने तथा उस पर गहराई से विचार करने को तैयार है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : निश्चय ही जब माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, और विशेष रूप से जब कि उनके साथ स्वर्गीय डा० राम मनोहर का नाम जोड़ा गया है तो हम इस पर विचार करेंगे।

भारत में युगोस्लाविया के नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन

*557. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 में युगोस्लाविया के कितने नागरिक विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विनियमों का उल्लंघन करने के लिये दोषी पाए गए हैं ;

(ख) उनकी कार्य-प्रणाली क्या थी ;

(ग) किन भारतीयों ने उन्हें सहायता और प्रोत्साहन दिया ; और

(घ) उक्त अपराधों के लिए भारतीयों और युगोस्लाविया के नागरिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1973-74 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसमें युगोस्लाविया के किसी नागरिक ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का उल्लंघन किया हो।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकरराव सावंत : क्या सरकार ने इस आशय के समाचार देखे है कि ...

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने विशिष्ट रुप से इसका खण्डन किया है तो फिर यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री शंकरराव सावंत : इस बारे में अखबारों में समाचार छपे हैं। वह उसका खण्डन क्यों नही करते जबकि उसमें एक मित्र देश का नाम भी आता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय पर विश्वास नहीं करते जिन्होंने विशिष्ट रूप से इसका खण्डन किया है।

श्री शंकरराव सावंत : समाचार थे कि कुछ युगोस्लाविया नागरिक अन्तर्ग्रस्त है। मैं जानना चाहता हूं कि इन का खण्डन क्यों नहीं किया गया। विशेषतया जब कि युगोस्लाविया एक हमारा मित्र देश है।

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य किन समाचारों का जिक्र कर रहे है और न ही मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार को उसका खण्डन करना चाहिये अथवा नहीं।

श्री शंकरराव सावंत : क्या अन्य किसी देश के नागरिक इस कदाचार में अन्तर्ग्रस्त थे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वह इसके लिये अलग सूचना दें।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-तार तथा टेलीफोन संचार व्यवस्था

+

*558. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** :
श्री तरुण गोगोई :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधरी हुई डाक-तार तथा टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष उपबन्ध किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन उपबन्धों की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) i. **डाक सेवाएं**

पांचवीं योजना के दौरान सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों और बहुत ही पिछड़े हुए / पहाड़ी इलाकों में स्थित सबसे नजदीक के डाकघर से 2 मील से अधिक की दूरी वाले ग्राम पंचायत ग्रामों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को डाक की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ ही डाक अधिक बार वितरित की जा सकेगी।

ii. **दूर संचार सेवाएं**

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5000 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 7000 तारघर खोलने का प्रस्ताव है। इन कार्यालयों को खोलने के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत नीति इस समय विचाराधीन है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : ग्रामीण क्षेत्रों को और अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराने में सरकार की इच्छा को देखते हुए, क्या मैं यह विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि क्या वह डाक व तार प्राधिकारी सामुदायिक विकास ब्लॉक मुख्यालयों को सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करने के उद्देश्य से श्रेणीबद्ध केन्द्र (कैटेगरि सैक्शन) घोषित करना उचित समझेंगे?

संचार मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) : इस मामले पर विचार हो रहा है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा वहां संचार सुविधाओं के लिए यह बहुत जरुरी है कि वहां प्रशासन तथा विकास की एक जैसे एकक स्थापित किये जायें। क्या पहाड़ी तथा विशेषकर आदिवासी क्षेत्रो में सरकार ऐसे सब-डिविजन, डिबीजन आदी स्थापित करने संबंधी मानदण्डों में कुछ रियायत बरतेगी?

प्रो० शेर सिंह : निश्चय ही हम रियायतें देते हैं और कुछ मामलों में दी भी हैं। सामान्य स्तर में रियायत देते हुए हमने हाल ही में धर्मशाला में एक टलीग्राफ डिवीजन आरंभ किया है।

श्री तरुण गोगोई : डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधायें अभी भी नगरीय क्षेत्रों तक ही सिमीत हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-तार टेलीफोन सुविधायें देने के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है?

प्रो० शेर सिंह : मैं होने वाले खर्च के सभी आंकड़े इसी समय नहीं दे सकता हूं। मैंने बताया है कि पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 सार्वजनिक टेलीफोन तथा 7000 तारघर स्थापित किये जायेंगे।

श्री तरुण गोगोई : और नगरिय क्षेत्रों में कितने?

प्रो० शेर सिंह : 7 लाख से अधिक टेलीफोन होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी मांग अधिक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अधिक मांग नहीं है?

प्रो० शेर सिंह : जहां तक ट्रंक काल आफिस तथा पब्लिक काल आफिस का प्रश्न है, ट्रंक काल अफिस तो हम तब भी खोल देते हैं यदि हमें उस पर होनेवाले खर्च पर 25 प्रतिशत की आय मिल जाये। परन्तु कई बार 25 प्रतिशत प्राप्त नहीं होता है। पिछड़े क्षेत्रों के लिये हम

केवल 15 प्रतिशत प्राप्त करने पर ही जोर देते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये न्युनतम सीमा 10 प्रतिशत रखी है। परन्तु वह भी उपलब्ध नहीं हो रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 सार्वजनिक टेलीफोन तथा 7000 तार घर खोले जायेंगे। उनमें से कितने-कितने पश्चिम बंगाल में खोले जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : केरल में कितने?

प्रो० शेर सिंह : हमने अभी तक यह निश्चय नहीं किया है कि प्रत्येक राज्य में कितने-कितने खोले जायेंगे?

Shri Shrikrishna Agrawal: The Hon'ble Minister has said that five thousand telephone exchanges would be opened. The automatic telephone exchanges operating in the villages are not functioning properly. I want to know as to what efforts are being made to improve their condition?

Prof. Sher Singh: Many complaints are being received that the service of the rural telephone exchanges is not upto the mark. We are forming their groups to improve them. We will appoint an Engineering Supervisor and other mechanics for repairing them so that their service may be properly maintained.

श्री त्रिदीब चौधरी : ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश डाकघर विभागेत्तर हैं। [क्या इनके पुर्नगठन और विभागेत्तर] कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों को सुधारने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तार सेवायें वास्तव में भी सक्षम तथा लाभकारी हो सकें?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में इन विभागेत्तर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये गये हैं।

Shri Nathu Ram Ahirvar: May I know whether it is a fact that the Government close down the post offices functioning in the rural areas on the plea that they are incurring losses and if so, whether the Government propose to introduce a scheme under which the post offices may be opened for providing facilities to the Public and not for the purpose of earning profit?

Prof. Sher Singh: The Post offices are not opened for earning profit. As I have already said. Just now in regard to P. C.O.s that it 25 per cent income is earned we open a Post office and if 15 per cent income is earned in backward area, we open a Post office there. There is no question of earning profit. Service has got to be rendered. We keep in mind the aspect of necessity and facility of the people while opening the Post offices even if there is no profit.

श्री विक्रम महाजन : सरकार किस प्रकार प्रस्ताविक लागत का अनुपात लगाती है जिसे किसी विशेष ग्राम के लोगों से वसूल करना होता है क्या इस में कुल ऊपरी लागत शामिल की जाती है अथवा केवल टेलीफोन सेवा को चलाने की आवर्ती लागत को ही शामिल किया जाता है? दूसरे पांचवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में कितने डाक-तार घर खोले जायेंगे?

श्री के० ब्रम्हानन्द रेड्डी : हमें आशा है कि हम देश में पांचवीं योजना के दौरान 31,000 डाक घर खोलेंगे इसके लिये आर्थिक परिव्यय लगभग 8.5 करोड़ रुपये होगा। हम इसे युक्तियुक्त बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ राज्यों में डाक तथा तार घर अधिक है। और कुछ राज्यों में ये नहीं हैं। अतः हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी राज्यों की सेवा बेहतर रूप से हो।

Radio Station in Jhansi, U. P.

*559. **Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Radio Station in Jhansi;

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken thereon; and

(c) if not, for how long Bundelkhand region has to wait for this Radio Station?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) झांसी में रेडियो स्टेशन खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में छतरपुर में एक रेडियो स्टेशन पहले ही स्थापित किया जा रहा है। झांसी के स्थान पर छतरपुर को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बीच में होने के कारण चुना गया है।

Dr. Govind Das Richhariya : I want to submit to the Hon'ble Minister that his predecessors had given assurances that the question of opening a Radio Station at Jhansi, under the plan, was under consideration. Bundelkhand has got historical and literary importance, it is the birth place of Maithilisharan Gupta and in 1857 Lakshmibai had revolted there. I want to know whether keeping in view the assurances given by the former minister and the importance of Bundelkhand, the Hon'ble Minister would reconsider the matter?

Shri I. K. Gujral : Mr. Speaker, Sir, we all are aware of the significance of Jhansi. Whatever the Hon'ble Member has said, is correct. I admit that something should be done in Jhansi. But the difficulty is that the amount, which is being allocated is not sufficient. But it is not our intention to back from the assurances already given by us. So, I have said in my reply that at present this matter is not being considered by us, but I am ready to reconsider about Jhansi.

Dr. Govind Das Richhariya : May I know whether the Hon'ble Minister would kindly take up this matter during the last years of the Fifth Plan.

Shri I. K. Gujral : I have already said that I am ready to reconsider the matter about Jhansi, if money is allocated for that.

पंजाब के लिये पांचवीं योजना में परिव्यय में वृद्धि करने का अनुरोध

*560. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के लिए पांचवीं योजना में परिव्यय में वृद्धि करने के लिए केन्द्र से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

929.75 करोड़ रुपये के पंजाब सरकार के पांचवी योजना प्ररूप प्रस्तावों पर राज्य सरकार के साथ पहले अधिकारी-स्तर पर विचार-विमर्श किया गया और बाद में योजना आयोग तथा मुख्य मंत्री के मध्य हुई एक बैठक में चर्चा की गई। परन्तु पंजाब की पांचवी योजना के आकार के संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा पांचवी योजनावधि में केन्द्रीय सहायता

और बाजार ऋण के आबंटन से संबंधित वस्तुपरक सूत्रों के बारे में निर्णय लेने के बाद ही किया जायेगा ।

पांचवी योजना प्रस्तावों के मिलने के बाद से पांचवीं योजना परिव्यय में वृद्धि करने का अनुरोध राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मान सिंह भौरा : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया जायेगा और इस में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी ? मैं इस मामले में आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं ।

श्री मोहन धारिया : पंजाब सरकार ने पांचवी पंच वर्षीय योजना के लिये 929.75 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है। जैसा कि सभा को ज्ञात है कि यह राज्य सरकार द्वारा जुटाये जाने वाले संसाधनों केन्द्रीय सहायता तथा उपलब्ध किये जाने वाले ऋणों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है और वर्ष के अन्त तक अन्तिम नियतन सम्भव हो सकता है।

श्री मान सिंह भौरा : मंत्री महोदय ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि पंजाब में बिजली, उर्वरक तथा डीजल एवं अन्य वस्तुओं का अभाव है, क्या सरकार इस उद्देश्य से पांचवी पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लिये एक विद्युत संयंत्र और एक उर्वरक संयंत्र कि व्यवस्था करने के लिये विशेष प्रबन्ध करेगी ।

श्री मोहन धारिया : पंजाब सहित समूचे देश के लिये केन्द्रीय सरकार सभी सम्भव प्रयास करेगी, ताकि आवश्यकतानुसार बिजली तथा उर्वरक उपलब्ध किये जा सकें।

जमाखोरों के विरुद्ध अभियान

562. श्री भोगेंद्र झा : क्या गृह मंत्री जमाखोरों, काला बाजारी करने वालों और खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में 6 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर कानूनी रूप से जमा स्टाकों को बाहर निकालने के लिये जनता के सहयोग के साथ एक देशव्यापी अभियान चलाने और बड़े-बड़े जमाखोरों को तत्काल गिरफ्तार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जैसा कि इस सदन में पहले बताया गया है राज्य सरकारों को विभिन्न खाद्यान्न नियंत्रण आदेशों को लागू करने, काला बाजारी करने वालों व जमाखोरों से निपटने के लिए अपने तंत्र को सुदृढ़ करने, सरकार द्वारा निर्धारित भण्डारों की सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने, तथा, जहां आवश्यक हो, जमा किए गये भण्डारों को बाहर निकालने की दृष्टि से भारत रक्षा नियमों तथा आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है ।

श्री भोगेंद्र झा : श्रीमान जी, गतवर्ष 10 अगस्त को इस सभा को बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को जमाखोरों तथा चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध भारतीय रक्षा नियमों का उपयोग करने के लिये निदेश जारी किये थे। अतः, देश भर में कुल कितने मामलों में भारतीय रक्षा नियमों का उपयोग किया गया है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ? दूसरे हाल ही में गुजरात में जमाखोरी वाले माल को बाहर निकालने

के लिये एक छापा मारा गया था। उसका परिणाम क्या निकला है और क्या अन्य राज्यों को लोगों के सहयोग से छापे मारने के लिये निर्देश दिये जा रह हैं? यदि लोग समर्थन दे, घेराव करें या सूचना दें, तो उस स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे अथवा क्या वे जमा किये गये भंडारों को बाहर निकालने में उनके साथ सहयोग करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे पास एक विवरण है जिससे यह पता चलता है कि 30 नवम्बर 1973 को कुल कितने जमाखोर, चोर बाजारी करने वाले तथा खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वाले कितने व्यक्ति जेल में है अथवा जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आपकी अनुमति से मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूँ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा नियम तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या	भारत रक्षा नियम तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमा चलाए गए व्यक्तियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश . .	14	696	
2	आसाम . .	3	162	
3	हरियाणा . . .	2	133	
4	हिमाचल प्रदेश . . .	शून्य	39	
5	केरल . . .	शून्य	130	
6	महाराष्ट्र .	1	1,943	
7	मनीपुर . . .	शून्य	3	
8	उड़ीसा . . .	4	45	
9	पंजाब	शून्य	312	
10	तमिलनाडु . . .	7	845	
11	त्रिपुरा . . .	शून्य	56	

1	2	3	4	5
12	उत्तर प्रदेश . . .	7	369	
13	बिहार . . .	4	272	
14	गुजरात . . .	*8	*774	
15	जम्मु तथा कश्मीर . .	5	3	
16	मध्य प्रदेश . .	15	896	
17	कर्नाटक . . .	जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।		
18	राजस्थान . .	वही	वही	
19	पश्चिम बंगाल .	वही	वही	
20	नागालैण्ड . . .	शून्य	शून्य	
21	मेघालय . .	शून्य	शून्य	
संघ शासित प्रशासन				
1	अंडमान तथा निकोबार . .	शून्य	12	
2	दादरा तथा नागर हवेली .	शून्य	5	
3	दिल्ली . . .	शून्य	303	
4	गोआ, दमन तथा दीव . .	शून्य	63	
5	पांडिचेरी . .	शून्य	21	
6	चंडीगढ़ .	शून्य	38	
7	लक्षद्वीप . .	शून्य	शून्य	
8	मिजोरम . . .	शून्य	शून्य	
9	अरुणाचल प्रदेश . . .	शून्य	शून्य	

(क) विभिन्न राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जमाखोरों, चोर बाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त नहीं की गई है बल्कि कानून के अन्तर्गत जारी है ।

(ख) कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यो के बारे में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) कालम 3 के अन्तर्गत दी गई जानकारी विशिष्ट तिथि को हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में है। जैसा कि कालम 4 में दर्शाए गए उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, से स्पष्ट है कि यहाँ तक कि राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों, जिनके संबंध में कालम 3 में शून्य जानकारी दर्शायी गई है, विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अनुसंधान और विकास के लिये उद्योगों पर अनिवार्य उपकर

*548. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास के लिए उद्योगों पर अनिवार्य उपकर लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है, और

(ख) इस विषय पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सं वना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक, मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) उद्योगों में अनुसंधान और विकास की प्रगति के लिए उपकर लगाने का सुझाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा किया गया था। इस समय समिति प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार करने में लगी हुई है जिन्हें सरकार के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

लारेंस रोड वेल्फेयर फेडरेशन का दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्ञापन

*549. **श्री झारखंडे राय :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड वेलफेयर फेडरेशन ने 19 अक्तूबर, 1973 को दिल्ली के उपराज्य-पाल को एक ज्ञापन पेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का सार क्या है और उस पर सरेकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) लारेंस रोड कल्याण संघ द्वारा की गई मांगों का सम्बन्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन जैसी एजेंसियों से है। की गई अथवा अपेक्षित कार्यवाही समेत मांगों के सारांश का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6613/74]**

Indore-Bombay Microwave Link

*552. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the time by which the work of laying a direct microwave (telephone) line from Indore to Bombay is likely to be completed; and

(b) the progress made so far?

The Minister of Communications (Shri K. Brahmananda Reddy) : (a) Installation works on Indore-Dhulia-Bombay route are in progress and the system is expected to be commissioned during 1976-77.

(b) The Indore to Bombay microwave link forms part of a project for linking Delhi to Bombay via Jaipur, Kota and Dhulia with spurs to Bikaner, Ajmer and Jodhpur from Jaipur and Ahmedabad and Bhopal from Indore. The total scheme is being executed at a cost of Rs. 15.89 crores. The sites at all the stations have been acquired and approach roads constructed. The civil engineering works consisting of building construction and tower foundations are in progress. The radio relay equipment for all the stations is being imported from Canada. Associated materials like multiplexing equipment power plants, batteries tower materials etc. are being procured from indigenous sources.

Missing of insured covers from a Post Office in Bihar

*554. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that 6 insured covers containing about Rs. 60,000/- sent by a nationalised bank from Muzaffarpur District in Bihar were found missing from a Post Office; and

(b) the action taken by Government in this matter?

The Minister of Communications (Shri K. Brahmananda Reddy): (a) Yes, Sir.

(b) The case has been reported to the Police and their investigation is in progress. Police have so far arrested two persons including one R. M. S. employee on suspicion. A close liaison is being maintained between Bihar Police and P. & T. Department.

दिल्ली-ग्वालियर के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था

*555. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के महा डाकपाल ने अभी हाल की ग्वालियर दौरे के दौरान मध्य प्रदेश वाणिज्य-मंडल को यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली और ग्वालियर के बीच सीधे डायल घुमाकर ट्रंक टेलीफोन करने की व्यवस्था वर्ष 1974 में पूरी हो जायगी; और

(ख) उक्त योजना को पूरा करने का निर्धारित समय क्या है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानंद रड्डी) : (क) ऐसा कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि मध्य प्रदेश सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल ने मध्य प्रदेश वाणिज्य मंडल को यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली और ग्वालियर के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा सन् 1974 में पूरी हो जाएगी ।

(ख) आगरा का ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज छठी योजना-अवधि के शुरु में जब चालू हो जाएगा तब ग्वालियर के टेलीफोन एक्सचेंज को इससे जोडने की योजना है । आगरा के ट्रंक आटोमटिक एक्सचेंज के जरिए ग्वालियर के उपभोक्ता दिल्ली टेलीफोन प्रणाली का नम्बर डायल कर सकेंगे ।

Maruti Consultancy Services

*561. **Shri Jagannathrao Joshi:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Industiral Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2565 on the 28th November, 1973 regarding issue of licences on feasibility report of Maruti Consultancy Services and state :

(a) the names and technical experiences of the experts of the Maruti Technical Consultancy before its registration in November, 1970; and

(b) the number of such licences in respect of which the feasibility or project report has not been prepared by Maruti Technical Consultancy since November, 1970 todate?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) Maruti Technical Services Pvt. Ltd., stands registered with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana and is not enlisted with this Ministry as a consultancy firm. The information asked for is not available with this Ministry.

(b) There is no compulsory requirement that applications for Industrial licences etc. should be accompanied by a feasibility/Project report prepared by a consultancy firm. Therefore, statistics regarding industrial licences issued on the basis of feasibility/project reports are not maintained. However there has been no case where letter of intent has been issued to any party on the basis of the feasibility or project report prepared by M/s. Maruti Technical Services.

Removal of a Telephone Pole Obstructing construction of a School in Desuri Tehsil Headquarter

*563. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the construction work on the Girls School building at Desuri Tehsil headquarter in Pali district (Rajasthan) has stopped because the P&T Department has not removed their pole despite requests made to it; and

(b) whether the concerned villagers and others have made written requests to the P&T Department in this connection and if so, the action taken so far?

The Minister of Communications (Shri K. Brahamananda Reddy): (a) Request for shift of P&T pole near girls school was received by the Divisional Engineer on the 11th Feb., 1974.

(b) The Sarpanch of Desuri and another person from the village have sent a telegram to the Divisional Engineer on the 11th February. Demand note for shifting charges (only out of pocket expenses) of Rs. 181/- was sent to Sarpanch of Desuri on the 15th March and has been paid on 29th March; shifting work has been immediately started.

पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के इन्जीनियरिंग उद्योगों को हानि

*564. **श्री गजाधर माझी :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में बिजली की कमी के कारण पश्चिम बंगाल और उडीसा के इन्जीनियरिंग उद्योगों को कितनी हानि हुई ; और

(ख) इस बारे में सरकर का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्र (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) बंगाल और उड़ीसा में केवल बिजली की कमी के कारण इंजीनियरी उद्योग की हुई हानि का सही सही आकलन करना सम्भव नहीं है क्योंकि उद्योगों को हानि कई कारणों से पहुंची हैं जिनमें बिजली की कमी एक प्रमुख एक कारण है और साथ ही इसलिए कि उत्पादन सम्बन्धी आंकडे राज्यवार नहीं रखे जाते । फिर भी, कतिपय इंजीनियरी उद्योगों को बिजली की कमी के कारण हुई हानि का जो आकलन सरकार के पास है उसे लोक सभा में दिनांक 25-7-73 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर में प्रस्तुत किया जा चुका है । इसके बाद की अवधियों में उत्पादन में होने वाली हानि अभी निकाली नहीं गई है ।

(ख) सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली की कमी को दूर करने के जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें ये सम्मिलित हैं :—

1 स्वीकृत अन्तर्राज्यीय तथा अन्तक्षेत्रिय सम्पेषण श्रृंखला के निर्माण कार्य को तेजी से करने जिससे आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले पड़ोसी क्षेत्रों में बिजली भेजी जा सके ताकि उपलबध जनित्रण क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जा सके ।

2 जो परियोजनाएं काफी हद आगे बढ़ चुकी हैं उनके निर्माण में तेजीसे कार्य हो रहा है ।

3 जहां कहीं भी सम्भव है, नागरिक निर्माण की प्रगति को तीव्र किया जा रहा है ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में न्यूनतम वेतन

*565. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन टेलीफोन एण्डस्ट्रीज में एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 367 रुपये प्रति मास निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्धारित वेतन तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आता; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण करने के क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी) : (क) जी नहीं । इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर के प्रबन्धकों ने 8 मार्च, 1974 को कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अनुसार आई० टी० आई०, बंगलौर के किसी भी कर्मचारी का कम से कम वेतन तथा भत्ता 351 रुपये मासिक निश्चित किया गया था । कम्पनी के प्रादेशिक कार्यालयों और अन्य कारखानों के लिए विचार विमर्ष के बाद एक अलग समझौता किया जाएगा ।

(ख) जी नहीं । तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है ।

(ग) आई० टी० आई० और कामगारों के बीच हुआ पिछला मजूरी करार 19–6–1973 को समाप्त किया गया । अतः कामगारों का भावी वेतन और भत्ते विनियमित करने के लिए प्रबन्धकों और कामगारों के बीच एक नया करार किया जाना आवश्यक था ।

भारत अमरीका संयुक्त उद्यम

5487. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गैर–सरकारी क्षेत्र में तीन बड़ी निदेश परियोजनाओं में अमरीकी सहयोग का कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएं किस प्रकार की होंगी और कितना निवेश किए जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) : अनुमानतः यह 10 फरवरी, 1974 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित भारत में अमरीका के राजदूत के वक्तव्य के बारे में है ।

तीन परियोजनाओं का ब्यौरा अखबार की रिपोर्ट में नहीं दिया गया था और सरकार को जो कुछ अखबार की रिपोर्ट में बताया गया था इसके सिवाय ऐसी परियोजनाओ के किसी विवरण की जानकारी नहीं है ।

इस समय सरकार के समक्ष कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, जब कभी ऐसे प्रस्ताव होते हैं, उन पर वर्तमान नीति के अनुसार गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

Indian Engineers in Canada

5488. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state whether Government will collect information through Indian Embassy in Canada in regard to the number of Indian Engineers in Canada at present?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : The Council of Scientific and Industrial Research maintains an "Indians Abroad" Section of the National Register of registration of Indian scientists, engineers, technologists, medical personnel, etc. in overseas countries (including Canada). Forms for registration are available with Indian Mission abroad. Registration is voluntary.

211 Indian Engineers in Canada were on the Register as on 1-1-1974.

दिल्ली में बिक्री-कर से छूट

5489. श्री० एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन के ग्रामीण उद्योगों को बिक्री कर से छूट देने और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे शिल्पिओं को प्रोत्साहन देने का परामर्श देगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रीलय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली में अनेक ग्राम उद्योगों के उत्पादन को बिक्री कर से पहले ही छुटी दी गई है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार सभी ग्राम उद्योगों के उत्पादन के सम्बन्ध में सामान्य छूट देना उपर्युक्त नहीं होगा क्योंकि अनेक मामलों में नगरीय क्षेत्रों के लघु उद्योग भी उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने हैं और इन दोनों किस्मों में अन्तर करना कठिन है। ऐसी सामान्य छूट से राजस्व की पर्याप्त कमी के साथ साथ छूट का दुरुपयोग भी होगा।

अखिल भारतीय निर्माता संगठन से ज्ञापन

5490. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने 26 फरवरी को सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) ज्ञापन इस मंत्रालय में प्राप्त हो गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट का निर्यात

5491. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री अशोधित तेल के आयात बिल को पूरा करने के लिए सीमेंट के निर्यात में वृद्धि करने के बारे में 27 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1039 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में सीमेन्ट का निर्यात किया जाता है तथा प्रतिटन सीमेन्ट का जहाज पर्यन्त नि:-शुल्क मूल्य क्या है ?

औद्योगिकी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : भारत तथा ईरान के बीच द्विपाक्षिक व्यापार समझौते के अंग स्वरुप दिसम्बर, 1974 के अंत तक 3 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 1975 की अवधि में 5 लाख मीट्रिक टन सीमेन्ट निर्यात करने का विचार है। ईरान को निर्यात किए जाने वाले सीमेंट के विषय में प्रतिमीट्रिक टन गन्तव्य स्थल तक भाडा मुक्त सीमेन्ट की कीमत के करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

5492. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तनम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपभोक्ता वस्तुओं का बडे पैमाने पर उत्पादन आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) सरकारी क्षेत्र में परियोजनाएं बनाते समय, उन अधिक खपत वाली वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है, जिनके उत्पादन में भविष्य में काफी अन्तर आने का अनुमान है।

(ख) विद्युत लैम्पों और टायरों एवं ट्यूबों जैसी कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को जिनकी भविष्य में कम आपूर्ति होने का अनुमान है, बनाने के प्रस्ताव प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

'विविध भारती' से श्रद्धांजलि कार्यक्रम

5493. **श्री डी० बी० चंद्रगौड़ा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 फरवरी, 1974 को शाम के 8 बजकर 15 मिनट पर 'विविध भारती' से सुविख्यात पार्श्व गायक श्री चन्तुसला वैंकटेश्वरा राव को जिनकी मृत्यु उस दिन प्रातः काल हुई थी, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 'श्रद्धांजलि' कार्यक्रम प्रसारित किया गया था किन्तु प्राधिकारियों ने ऐसे गम्भीर कार्यक्रम में वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण बन्द नहीं किये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे समय में गरिमा और शिष्टाचार बनाये रखने की भावना से अपने नियमों का पुनर्विलोकन करेगी और उनमें संशोधन करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) 11 फरवरी, 1974, जिस दिन श्री राव का स्वर्गवास हुआ था, को हैदराबाद, विजयवाडा केन्द्रों की वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के अन्तर्गत रात सवा आठ बजे से नौ बजे तक होने वाले "जन रंजनी" कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री राव के रिकार्ड किये गये गीत ही प्रसारित किए गए थे। श्रोताओं के अनुरोध पर आधारित रिकार्ड किये हुए संगीत के कार्यक्रम को विजयवाडा केन्द्र से 12 फरवरी, 1974 को पुनः प्रसारित किया गया था। यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री राव की स्मृति में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं था। तथापि ऐसे उपर्युक्त अनुदेश जारी किए जा रहे हैं कि सुप्रसिद्ध कलाकारों की मृत्यु होने पर वाणिज्यिक सेवा के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रसारण न किए जाए।

बड़े पमान पर गृह-निर्माण संबंधी डिजायन बनान के लिए विशेषज्ञ तथा उपकरण जुटाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पेशकश

5494. श्री गजाधर माझी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर गृह निर्माण सम्बन्धी डिजाईन बनाने के लिए विशेषज्ञ तथा उपकरण जुटाने हेतु सयुंक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मलयालम फिल्म उद्योग की सहायता के लिये केरल सरकार की योजना

5495. श्री वयालार रवि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग की सहायता के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है; और

(ख) यदी हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्रीय सरकार का इस योजना के क्रियान्वयन में किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

Grant of Pension to Freedom Fighters from M. P.

5496. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of those freedom fighters of Madhya Pradesh who have been granted pension under the Freedom Fighters Pension Scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : So far 2436 Freedom Fighters belonging to Madhya Pradesh have been granted pension under the scheme. It is, however, not possible to give names of all these persons.

Request from M. P. Government for Funds for Publishing Freedom Fighters "who's who"

5497. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh had requested the Central Government to give funds for publishing the freedom fighters : "Who's Who"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) A sum of Rs. 6000/- had been sanctioned to the Government of Madhya Pradesh under a Centrally approved scheme in March 1970, as a first instalment on account of the above publication. As the scheme was discontinued, it was not found possilbe to release any further assistance and the State Government had been informed accordingly.

Communal Riots in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73

5498. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have ascertained the facts that led to communal riots in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73;

(b) the precautionary measures taken by Government to prevent these riots; and

(c) the follow-up action taken?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) According to available information factors which led to incidents of violence between different communities in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73 differed from place to place and incident to incident. Broadly speaking, allegations of misbehaviour towards women, disputes over land or other property, misunderstandings in the course of observance of traditional festivals or religious processions, allegations of cow-slaughter and other miscellaneous quarrels have led to such incidents.

(b) and (c) The State Government have maintained necessary vigilance. Appropriate precautionary measures were also taken in areas where tension was prevailing or where incidents of violence had taken place in the past. Registration of criminal cases and prosecution of persons involved in the commission of crimes, appropriate inquiries in serious incidents, and grant of ex-gratia relief wherever considered necessary, were some of the follow-up measures taken by the State Government.

Supply of Cement to M. P.

5500. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh has been supplied with cement of even less than 50 per cent of its requirements; and

(b) the action taken by Government to supply cement to Madhya Pradesh according to its requirements?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) and (b) On the basis of the consumption during the last five years i.e., 1968 to 1972 a quota of 4.79 lakh tonnes was fixed for the State of Madhya Pradesh for the period 1st July, 1973 to the 30th June, 1974. Against this quota a quantity of 3.74 lakh tonnes has been supplied so far during the period July 1973 to February 1974. The supply to Madhya Pradesh would, therefore, appear to be satisfactory in the context of the overall production of cement in the country.

गृह कल्याण केंद्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5501. श्री बेकारिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह कल्याण केन्द्र के कर्मचारियों की 40 दिवसीय हड़ताल समाप्त हो गयी है और कर्मचारी इस शर्त पर काम पर वापस आए हैं कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा ;

(ख) क्या ऐसी समिति गठित की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं और इसके निदेश-पद क्या है और यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) गृह कल्याण केन्द्र के कर्मचारियों का एक वर्ग दिनांक 29 जनवरी, 1974 से हड़ताल पर था। गृह कल्याण केन्द्र कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष के साथ कई बार विचार-विमर्श करने के परिणाम-स्वरूप, समझौते की कुछ शर्तें तय हुईं और हड़ताली कर्मचारी 38 दिनों की गैरहाजिरी के बाद, दिनांक 7 मार्च, 1974 (अपराह्न) को ड्यूटी पर आ गए। समझौते की एक शर्त यह है कि गृह कल्याण केन्द्र के सारे संगठन की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिससे कि इसकी कार्य-प्रणाली को पूरी तरह से बदला जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि :-

(i) यह संगठन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों, विशेषकर गरीब कर्मचारियों के परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है;

(ii) सरकारी निधि का ठीक ढंग से उपयोग किया जाता है ;

(iii) जहां तक संभव हो, यह केन्द्र उत्पादन-कारी तथा लाभकारी कार्यकलापों को हाथ में लेता है;

(iv) पूरे समय कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य के घंटों, उनके वेतनमानों तथा अन्य शर्तों का उस वास्तविक कार्य से उचित सम्बन्ध है जो प्रत्यक श्रेणी के कर्मचारियों को नियत किया गया है।

(v) विभिन्न वर्ग के श्रमिकों के लिए कार्य के उचित मानदण्ड निर्धारित हैं। समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :

(i) वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह तथा कार्मिक प्रभाग के वित्तीय सलाहकार) --अध्यक्ष।

(ii) समाज कल्याण विभाग के एक संयुक्त सचिव।

(iii) श्रम मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव।

(iv) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक) के संयुक्त सचिव (स्थापना)।

(v) उप सचिव (कल्याण), कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक)--सदस्य सचिव।

समिति के गठन के लिए औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी।

सिधी और वाइधान के बीच टेलीफोन व्यवस्था

5502. श्री रणबहादूर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सिधी और वाइधान के बीच टेलीफोन व्यवस्था पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ख) सिंगरौली कोयला खान में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एन०सी०डी०सी) के कोयला क्षेत्रों को टेलीफोन की सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाएगी।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में सीधी और वाइधान के बीच टेलीफोन सम्पर्क वर्ष 1974-75 में स्थापित होने की संभावना है।

(ख) सिंगरोली कोयला खान में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एन०सी०डी०सी) के कोयला क्षेत्रों के लिए टेलीफोन सुविधा तारीख 25-3-74 को दी जा चुकी है।

राजस्थान म बजत बैंक खातों की सुविधा वाले डाकघर

5503. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने डाकघर हैं ;

(ख) इनमें से कितने डाकघरों में बचत बैंक खाते खोलने की सुविधाएं हैं ;

(ग) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है और इन राज्यों में तथा राजस्थान में इन डाकघर बचत बैंकों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आता है; और

(घ) पांचवीं योजना में छोटी बचतें बढाने के लिए इन सभी राज्यों में अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधाए प्रदान करने के संबध में अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और इस संबंध में वार्षिक लक्ष्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 7484 ।

(ख) 7484

(ग)	वहां काम कर रहे डाकघरों की कुल संख्या	ऐसे डाकघरों की कुल संख्या जहां बचत-बैंक खाते खोलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।	औसत क्षेत्र जहां ये सुविधायें प्राप्त हैं
उत्तर प्रदश . .	14290	14088	20.2 वर्ग कि० मी०
महाराष्ट्र . .	9470	9387	32.5 वर्ग कि० मी०
पश्चिम बगाल .	6422	6419	16.3 वर्ग कि० मी०
पंजाब और हरियाणा .	7150	7097	17.8 वर्ग कि० मी०
राजस्थान . .	7484	7484	46.0 वर्ग की० मी०

(घ) पांचवीं योजना अवधि के दौरान नये डाकघर खोलने के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है । लेकिन हमारी नीति यह है कि शाखा डाकघर खोलते समय उसे बचत बक का अधिकार भी दे दिया जाय । इस समय करीब 99 प्रतिशत शाखा डाकघरों को बचत-बैंक का अधिकार प्राप्त है ।

कुतुब मीनार देखने के लिये आये लोगों का लूटा जाना

5504. **श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला**

श्री महेंद्र सिंह गिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या 7 मार्च, 1974 को कुतुब मीनार देखने के लिए आये व्यक्तियों को छुरा दिखा कर दिन–दहाडे लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा उपायों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए अब क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या वर्ष 1974 के पहले दो महीनों में दिल्ली में अपराध दर एक बार फिर बढ गई है और यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसी एक घटना 6 मार्च 1974 को हुई थी न कि 7 मार्च को। इस मामले में अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये हैं और सम्बन्धित सम्पत्ति बरामद कर ली गई है।

(ख) इन क्षेत्रों में गस्त बढ़ा दी गई है। सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं।

(ग) 1974 के प्रथम दो महीनों में दर्ज किये गये अपराध के आंकडों में पिछले वर्ष के तत्सम्बन्धी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कमी हुई।

Industrial Development of Dacoit Infested Area of Madhya Pradesh

5506. Shrimati V. R. Scindia : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether certain steps are being taken at official level for the industrial development of dacoit infested and industrially backward areas of Datia, Bhind, Morena, Sheopuri, Guna and Gwalior Districts in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahaman Ansari) : (a) and (b) Yes, Sir. According to the Madhya Pradesh State Government's proposals for the Fifth Plan and also the Annual Plan for 1974-75, a Scheme entitled 'Scheme for State participation (equity) or preference in the new industrial enterprises in the dacoit infested and selected backward areas' was taken up in 1973-74 under the programme for Large & Medium Industries, which is proposed to be continued with an outlay of Rs. 50 lakhs for the Fifth Plan and Rs. 7 lakhs for 1974-75. The scheme is intended to provide opportunities for gainful employment and also to ensure balanced regional development by offering some more incentives for setting up of industries in these areas.

2. In addition to the scheme referred to above, except for the Gwalior District, all the other districts referred to in the Question have been selected to qualify for concessional finance from financial institutions. and some Blocks from those districts are also included in the 'areas' selected to qualify for the Central Scheme of investment subsidy.

Bhind-Etawah Telephone Line

5507. Shrimati V. R. Scindia : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the date from which newly laid telephone line from Bhind city in Madhya Pradesh to Etawah city in Uttar Pradesh has started working;

(b) whether the people of Bhind have been provided with the facility to have direct talks with the people in Etawah by this new line but this Etawah line is not given to make calls to Agra and Kanpur as a result of which the subscribers have to face difficulty; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to remove this difficulty?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) A physical trunk circuit to provide direct communication between Bhind and Etawah has been provided from 1st January 1973.

(b) and (c) Being a physical trunk circuit, this line provides satisfactory transmission performance only for establishing short distance trunk calls between Bhind and neighbouring small stations of Madhya Pradesh on the one hand and Etawah and the neighbouring small stations in U.P. on the other. The subscribers of Bhind do not face any difficulty in getting calls to Aga, Kanpur etc., as long distance calls to all major stations are established by Gwalior (which is connected to Bhind by a direct trunk line) on high grade channels via well-defined switching centres.

High Power Transmitter at A.I.R. Gwailor

5508. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the scheme of Government for making the Radio Station at Gwalior more powerful; and

(b) the progress made so far in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) & (b) The power of the Radio Station at Gwalior has been raised from 5 K.W. to 10 K.W. with effect from 28-2-1974.

Direct Dialling System Between Gwalior and Other Cities

5509. Shrimati V. R. Scindia: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce direct dialling system between Gwalior and some other prominent cities; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) & (b) Subscriber Trunk Dialling has been planned from Gwalior to Agra and Bhopal and is expected to be commissioned during the fifth plan. Gwalior is also proposed to be connected to a new Trunk Automatic Exchange at Agra early in the Sixth Plan. Through Agra Trunk Automatic Exchange Gwalior subscribers will be able to directly dial their calls to Delhi, Jaipur, Bharatpur, Aligarh, Mathura and some other important stations of India progressively during the Sixth Plan and beyond.

Appointment of Controller in Sick Textile Mills in Punjab

5510. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the present number and names of those sick textile mills in Punjab where Government have appointed Controllers; and

(b) the amount of loss and profit of the said mills during the year 1973-74?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) and (b) At present, there are four textile undertakings in Punjab, whose management has been taken over by Government under the provisions of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. The names of these

undertakings and the profit/loss (provisional figures) made by them during 1973-74 are as follows :—

Sl. No.	Name of the undertaking	Net profit/loss after depreciation and bonus	Remarks
		(Rs. in lakhs)	
1.	Dayalbagh Spinning and Weaving Mills, Amritsar.	(—) 0.94	Full production started in June, 1973 (figures for June to December, 1973)
2.	Suraj Textile Mills, Malout Mandi, Punjab.	(—) 4.10	Full production started in August, 1973 (figures for August to December 1973).
3.	Kharar Textile Mills, Kharar (near Chandigarh)	The physical possession of these mills has not yet been taken over due to stay orders issued by Courts.	
4.	Panipat Woollen Mills Kharar (near Chandigarh)		

Appointment of Controller in Sick Textile Mills in Delhi

5511. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number and names of Sick textile mills in Delhi at present where Government have appointed the Controllers; and

(b) the statement of the loss and profit of these mills during 1973-74 ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) and (b) Ajudhia Textile Mills Limited is the only textile undertaking in Delhi, whose management has been taken over by Government under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. The undertaking incurred a net loss of Rs. 14.00 lakhs (provisional figures), after providing for depreciation and bonus, during the period April to December, 1973.

Pak National Staying on Long-Term Visas in Kerala

5512. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of Pakistani nationals on long-term visas in Kerala district-wise; and

(b) the number among them of those, the period of whose visas was extended more than once?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

6—10 LSS(ND)/74

लाइसेंस समिति का निर्णय

5513. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री एककों के विस्तार के लिये लाइसेंस जारी करने के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3523 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित लाइसेंस समिति का क्या निर्णय था ;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में ऐसा निर्णय प्राप्त करना आवश्यक न था; और

(ग) यदि नहीं, तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा करना आवश्यक न था ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अनुमति/अनापत्ति पत्र, लाइसेंस समिति के इस निर्णय के आधार पर जारी किए गए थे कि वर्तमान प्रतिष्ठान द्वारा अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन नई वस्तु का उत्पादन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि अतिरिक्त वस्तु उसी 'शीर्ष' की सारणी में आती हो तथा उसमें नए ट्रेड मार्क अथवा पेटंट का प्रयोग निहित न हो ।

यह सामान्य निर्णय था तथा शर्तों को पूरा करने वाले सभी मामलों पर इसे लागू किया गया था । लाइसेंस समिति का निर्णय उद्योग विकास विनियमन अधिनियम की धारा 3(डी०डी०) के साथ पढ़ते हुए उसके उपबंधों पर आधारित है ।

विविधीकरण की अनुमति देने के लिये शर्तों को तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा रिकार्ड किया जाना

5514. **श्री के० एस० चावडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविधिकरण की अनुमति देने की शर्तों में एक यह है कि प्रत्येक वस्तु का नाम तथा क्षमता तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अपने रिकार्डों में अधिसूचित की जाये;

(ख) क्या पार्टियों की उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व तकनीकी विकास महानिदेशालय की अनुमति प्राप्त करना भी आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1966-70 के दौरान विविधिकरण का रिकार्ड अर्थात् मद, तथा क्षमता, संख्या तथा अनुमोदन पत्रों की तिथि क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) अक्टूबर 1966 में जारी किए गए आदेशों, जिनसे कि लाइसेंस शुदा क्षमता के 25 प्रतिशत तक के विविधता लाने की अनुमति दी गई थी, के द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने संशोधित उत्पादन कार्यक्रम उत्पादन के लिये प्रस्तावित नई वस्तुओं के नाम माइनर बैलेन्सिग प्लान्ट (यदि कोई लगाया गया हो) के मूल्य व प्रकृति के बारे में जानकारी उपयुक्त तकनीकी प्राधिकारी को दें । पार्टियों से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे उत्पादन शुरू करने से पहले तकनीकी विकास महानिदेशालय से अनुमति लें । चूंकि पार्टियों ने विविधीकरण वाली वस्तुओं के उत्पादन सहित सम्पूर्ण मासिक उत्पादन के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं अतः विविधीकरण के अलग से आंकड़े नहीं रखे गये ।

रोजगार की वृद्धि की दर

5515. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वास्तविक आंकड़ें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां, । संगठित क्षेत्र में रोजगार विकास की दर 1971-72 में 102.8 प्रतिशत थी वह 1972-73 में बढ़कर 104.1 प्रतिशत हो गई ।

(ख) 1971-72 और 1972-73 में विकास दर के राज्यवार आंकड़ें संलग्न विवरण में दिए गए है ।

विवरण

संघठित क्षेत्र में 1971-72 और 1972-73 के दौरान विकास दर प्रतिशता बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विकास दर की प्रतिशतता	
		1971-72	1972-73
0	1	2	3
क-राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	105.8	103.5
2.	असम	105.0†	100.8
3.	बिहार	101.2	106.4
4.	गुजरात	104.0	105.5
5.	हरियाणा	109.1	106.5
6.	हिमाचल प्रदेश	113.4	104.7
7.	जम्मू तथा कश्मीर	††	107.9
8.	कर्नाटक	103.9	104.8
9.	केरल	105.3	103.2
10.	मध्य प्रदेश	105.3	105.4
11.	महाराष्ट्र	100.7	104.7
12.	मणिपुर	105.7	उ०न०%
13.	मेघालय	@	100.1
14.	नागालैंड	**	**

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विकास दर की प्रतिशतती	
		1971-72	1972-73
0	1	2	3
15.	उड़ीसा	103.3	102.1
16.	पंजाब	104.3	105.3
17.	राजस्थान. . . .	105.0	105.0
18.	तमिलनाडू . . .	102.3	101.8
19.	त्रिपुरा	103.1	106.2
20.	उत्तर प्रदेश . .	100.4	105.3
21.	पश्चिम बंगाल	100.9	103.1
ख-संघ शासितक्षेत्र			
1.	अंड़मान तथा निकोबार द्वीपसमूह .	**	**
2.	अरुणाचल प्रदेश	**	**
3.	चण्डीगढ़	107.6	97.2
4.	दादरा और नगर हवेली . . .	**	**
5.	दिल्ली	102.4	101.3
6.	गोआ, दमन और दीव . . .	106.1	106.0
7.	लक्षदीप	**	**
8.	मिजोराम	उ०न०	£
9.	पाण्डिचेरी . . .	107.2	112.5
	अखिल भारतीय जोड़ .	102.8	104.1

†मेघालय सहित संयुक्त राज्य असम के आधार पर ये आंकड़ें तैयार किए गये हैं।

%आंकड़ें उपलब्ध न होने के कारण, इस राज्य के बारे में रोजमार के आंकड़ों की दिसम्बर 1971 से पुनरावृत्ति हो रही है तथा 1973 को छोड़ दिया गया है ।

@जैसा कि उपयुक्त टिप्पणी में दर्शाया गया है, मेघालय के आंकड़े असम में शामिल हैं

††मार्च, 1973 से यह राज्य अखिल भारतीय रोजगार अनुमानों में शामिल किए गये हैं ।

**ई० एम० आई० कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता ।

£नियमित रूप से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

नारियल जटा उद्योग का आधुनिकीकरण

5516. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग का आधुनिकीकरण करने के विचार से युरोपीय आर्थिक समुदाय से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की कोई सम्भावना हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां । खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) के अन्तर्गत, हार्डफाइबर सम्बन्धी अन्तर सरकारी (इन्टर गवर मेंटल) ग्रुप ने 'नारियल जटा संवर्धन सर्वेक्षण' करने की सिफारिश की थी जिससे रशिया के कॉयर निर्यात करने वाले देशों को कॉयर उत्पादों के विपणन के लिये उपयुक्त लाभप्रद प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्यिक जानकारी प्राप्त हो सके । आशा की जाती है कि भारत में शीघ्र ही सर्वेक्षण किया जायेगा और इसकी सिफोरिशों पर भारत में कायर उद्योग का आधुनिकीकारण करने के लिये ई० ई० सी० से तकनीकी जानकारी प्राप्त किये जाने की संभावना है ।

नारियल जटा उद्योग का मशीनीकरण

5517. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग के मशीनीकरण की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) मंत्रीकृत कॉयर एककों का पूर्वेक्षण करने के लिये गठित अध्ययन दल ने चुने हुए स्थानों में विद्युत चालित करघों से बनी रोल मैट, जापान मेट, कार मेट और अन्य सम्बन्धी उत्पादों का उत्पादन करने के लिये निर्यातोन्मुख यंत्रीकृत एककों की स्थापना करने हेतु अनुमति प्रदान करने संबंधी नीति निर्णय किये जाने की सिफारिश की है । इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार उद्योग

5518. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से अधिक दूर संचार उद्योग स्थापित करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा था । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के नए कारखानों के लिये स्थान का विचार करते समय पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखा जायेगा ।

कांच उद्योग में सोडा एश की कमी

5519. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच और कांच की वस्तुएं बनाने वाले एककों में सोडा ऐश की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) कांच उद्योग की सोडा ऐश (गहन किस्म के) की वार्षिक आवश्यकता करीब 80,000 मी० टन की है । देश में सोडा ऐश की समग्र कमी के कारण कांच उद्योग की अपनी आवश्यकता का यह माल पूरी मात्रा में देशीय स्त्रोतों से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । कमी की पूर्ति राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करके की जा रही है ।

Arrest of Dr. Salimuddin in Madhya Pradesh

5520. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Dr. Salimuddin of Neemuch city in Madhya Pradesh was arrested and imprisoned after the war of 1965 on charge of spying for Pakistan;

(b) whether the same person has been presented the guard of honour by C.R.P. recently between the period December, 1973 to January, 1974; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Hohsin) : (a) Dr. Salimuddin of Neemuch was detained under Rule 30 of the Defence of India Rules from 13-9-65 to 27-11-65 on suspicion of pro-Pak leanings.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Propagation of Salient Features of Law Through A.I.R. and Television

5521. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Court does not recognise the propriety of ignorance of law;

(b) whether it is necessary that salient features of law should be made known to the general public through A.I.R. and Television; and

(c) if so, the action being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to the well-known maxim that ignorance of law is no excuse. The Court does recognize the above maxim.

(b) and (c) Programmes on Law and connected subjects are already being arranged by the All India Radio stations and the Television Centres.

पांचवीं योजना में संयुक्त राज्य अमरीका से प्रत्याशित निजी पूंजी

5522. **श्री ज्योतिर्मय बसू :**
श्री रामदेव सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं योजना की अवधि के दौरान संयुक्त अमेरिका से भारत में निवेश हेतु भारी मात्रा में निजी पूंजी के आगमन की आशा कर रही है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) चूंकि निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना प्रमुख रुप से विदेशी उद्यमियों से सहयोग के प्रस्ताव की मोटी शर्तों पर बातचीत कर लेने के उपरान्त विदेशी सहयोग के लिय आवेदन प्रस्तुत करने वाले उद्यमियों के पहल तथा उद्यम पर निर्भर करती है, पांचवीं योजना की अवधि में भारत में किए जाने वाली अमरीकी पूंजी निवेश की संभावित राशि को आंककर बताना कठिन है । फिर भी पांचवीं योजनावधि में अमरीका से नीजी पूंजी के भारी मात्रा में आने की आशा नहीं है । 1974 में अमरीकी उद्यमियों के साथ सहयोग के 119.63 लाख रु० की इक्विटी पूंजी वाले 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई ।

भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर वर्तमान नीति तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

Ghoghar Diha Rice Smuggling Scandal

5523. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in a local Hindi daily dated the 17th February, 1974 under the caption, "Efforts to hush up the Ghoghar Diha rice smuggling scandal" (Ghoghar Diha Chawal Taskari Kand Ko dabanecki koshish);

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether Government have made an enquiry in this regard; and

(d) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d) The required information is being obtained from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the Lok Sabha on its receipt.

योजना आयोग के अधिकारी का उर्वरकों के इष्टतम प्रयोग के संबंध में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का दौरा

5524. **श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक अधिकारी ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया और उर्वरकों के इष्टतम प्रयोग की सम्भावनाओं पर बातचीत की ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया). (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग में उत्तरी क्षेत्र कायभारी कार्यक्रम सलाहकार ने 26-2-74 को लगभग एक घंटा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया और अन्य बातों के अलावा विश्वविद्यालय के अधिकारियों और पंजाब से कृषि निदेशक से देश में इस समय उर्वरक के अभाव के संदर्भ में रसायनिक उर्वरकों के उपयोग की अत्यधिक मितव्ययी प्रणालियां बनाने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के बारे में विचार-विमर्श किया । उन्हें सूचित किया गया कि उपयुक्त फसलचक्र का पता लगाने के लिये अनुसंधान किया जा रहा है ताकि मिट्टी में नेत्रजन की मात्रा लगाने तथा फसल विकास के विभिन्न चरणों में उर्वरक की विभिन्न मात्राओं का निश्चय किया जा सके । सलाहकार ने इस बात पर बल दिया कि किसानों को उस कार्यनीति के बारे में जानकारी दी जाय जिससे देश में इस समय उपलब्ध उर्वरकों की अपर्याप्त मात्राओं से निकट भविष्य में अधिकतम लाभ प्राप्त किए जा सकें ।

Theft of Manhole Covers in Karol Bagh, Delhi

5525. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether about 70 manhole covers on various roads in Karol Bagh area of Delhi were stolen in the month of February :

(b) whether such thefts had occurred in the past as well;

(c) whether the Delhi Police have failed to detect these thefts; and

(d) the scheme proposed to be drawn up by Government to prevent the recurrence of such theft?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) In February, 1974 theft of 73 manhole covers was reported from Karol Bagh area. Two cases of theft were registered and are under investigation.

In January 1974, theft of 5 manhole covers was reported. Two cases of theft were registered and investigated. Both were sent as untraced as there was no clue of the property or the culprit.

(d) Patrolling has been intensified in the affected area.

श्रीनगर में औषधियों तथा विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार

5527. श्री ज्योतिर्मय बसू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर कई वस्तुओं, निषिद्ध स्वदेशी औषधियों तथा विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार का अड्डा बन गया है;

(ख) क्या राज्य में प्रतिवर्ष केवल मादक द्रव्यों पर 5 करोड़ रुपए का काला धन लगाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि श्रीनगर कई वस्तुओं निषिद्ध स्वदेशी औषधियों तथा विदेशी मुद्रा का अड्डा बन गया है अथवा यह कि राज्य में प्रति वर्ष केवल मादक द्रव्यों पर 5 करोड़ रुपए का काला धन लगाया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियां, इस संबंध में सतर्क हैं और स्थिति का सामना करने के लिये समय-समय पर आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाईयां करती रहती हैं ।

Expenditure on Employment Programme in Delhi

5528. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount spent till December, 1973, out of the sum of Rs. 2.5 crores allocated to Delhi, for the employment programme;

(b) the number of educated unemployed provided employment under the said programme;

(c) whether Government have received any complaint regarding misuse of funds; and

(d) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Rs. 43.63 lakhs.

(b) 1948.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दलाई लामा का तिब्बत छोड़कर भारत आना

5529. श्री ज्योतिर्मय बसु:
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी . :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ब्रिटेन में एक समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका के अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) ने दलाई लामा के तिब्बत छोड़कर भारत आने के बारे में षड़यंत्र रचा था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रेस रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

भारत में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे विदेशी नागरिक

5530. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रुसी तथा अन्य पूर्व युरोपीय देशों के नागरिक सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों, भारी इंजीनियरिंग, इस्पात, विद्युत, परिष्करण शालाओं, पोत निर्माण तथा अन्य परियोजनाओं में कार्य कर रहे है ।

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या का देशवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनको वीसा देने की शर्तें क्या हैं; और

(घ) क्या विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं उन्हें दी जाती है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Indian Telemetric Centre Near Moscow

5531. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) whether Soviet Russia have accorded their concurrence for the setting up a Telemetric Centre of India near Moscow; and

(b) if so, the facts thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b) The USSR Academy of Sciences has agreed to set up a telemetry station near Moscow for the reception of data from the Indian Scientific Satellite. India will provide a taperecorder for installation at this station in order to have exactly the same format for data recording as at Sriharikota. A telecommand station with Indian equipment will also be set up by India at the same place for commanding the satellite from the ground. All commands will be by Indian personnel.

नारियल जटा बोर्ड क कर्मचारियों को बोनस

5533. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के क्या कारण हैं; और;

(घ) क्या इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रायल में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) जी, हां। कॉयर (नारियल जटा) बोर्ड ने एक संकल्प स्वीकृत किया है कि उनके कर्मचारियों को बोनस अधिनियम, 1955 के अधीन कम से कम न्यूनतम बोनस तो दिया ही जाना चाहिए। सरकार ने अभी तक इस विषय में अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वेक्षण

5535. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संस्थान ने 1950-59 के बीच हावड़ा में लघु औद्योगिक एककों के संबंध में पश्चिम बंगाल में कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग के निर्यात प्रधान होने के नाते उनके मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण पर कोई विचार किया था; और

(ग) क्या सरकार सर्वेक्षण की प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1974-75 की वार्षिक आयोजना के लिये परिव्यय

5536. श्री बी० पी० नायक : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में निर्धारित परिव्यय आयोजना के कुल परिव्यय के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो यह बजट कुल परिव्यय का कितना प्रतिशत है; और

(ग) यदि कोई कमियां हैं तो क्या उन्हें पांचवीं योजना की शेष अवधि में पूरा नहीं किया जा सकेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 1974-75 में सरकारी क्षेत्र के लिए स्वीकृत परिव्यय पाँचवी पंचवार्षिय योजना के कुल परिव्यय का लगभग 13 प्रतिशत है। सामान्यतया पंचवर्षीय योजना के दौरान बजटरी परिव्ययों में प्रतिवर्ष वृद्धि होगी, अत: समस्त अवधि के दौरान कुल परिव्यय प्राप्त कर लिए जाने चाहिए।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये नियतन

5537. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश के आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिये वर्ष 1974-75 में क्षेत्रवार कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) पांचवी योजना में राज्यों की राज्य योजनाओं से अलग आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आदिवासी क्षेत्रों समेत पिछड़े वर्गों के विकास के लिए मुख्य कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जायगा। विभिन्न क्षेत्रों से उनके लिए मिलने वाले परिव्यय की सीमा अभी उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने 1974-75 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अधीन वित्तीय आवंटन कर दिये हैं और राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछड़ वर्ग क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :—

	(रुपये लाख में)
राज्य . . .	2465.00
संघ राज्य क्षेत्र . . .	84.00
जोड़	2549.00

(ख) पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवों पंच वर्षीय योजना के प्रारुप में 5000 करोड़ रुपयों की विशिष्ट धन राशि की व्यवस्था का विचार किया गया है। यह राशि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों से आदिवासी क्षेत्रों के भाग के रूप में आने वाले परिव्यय के अतिरिक्त होगी।

जयपुर, उड़ीसा में एक कागज मिल की स्थापना

5538. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट (उड़ीसा) जिले में जयपुर में एक कागज मिल स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यह मिल अभी किस चरण मे है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार इस मिल को चलाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 60,000 मी० टन वार्षिक लेखन व मुद्रण के कागज के उत्पादन के लिए कोरापुट जिले (उड़ीसा) में नया कारखाना लगाने के लिए मै० उड़ीसा पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड को आशयपत्र स्वीकृत किया गया है। संयंत्र व मशीनरी प्राप्त करने के लिए ये फर्म देसी मशीनरी निर्माताओं से बातचीत कर रही है। देसी निर्माताओं ने इस फर्म को निर्खनामा प्रस्तुत किए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। इस योजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

Proposal to Link Major and Important Towns of Rajasthan with AIR Postal Service

5539. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has any proposal to link the major and important towns of Rajasthan with air postal service during 1974-75; and

(b) if so, the names of those towns and the time by which this job will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) & (b) Jaipur and Udaipur are the only two stations of Rajasthan which are linked by air and mails for these places are being air-lifted. Other proposals can originate when more towns of Rajasthan are put on the air-map.

Applicability of the recommendations of Third Pay Commission to A.I.R. Artistes

5540. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Staff Artistes of the All India Radio, who are considered to be the Central Government Employees, are getting their salaries in accordance with the new pay-scales as recommended by the Third Pay Commission; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) and (b) The Third Pay Commission has not made any recommendations in regard to the fee scales for staff artistes in All India Radio. The Commission was of the view that the category of staff artistes who are contract employees and not regular Govt. servants, was outside their purview and terms of reference.

The fee scales of staff artistes of AIR were, however, to be considered for revision in the light of Government's decisions on the recommendations of the Third Pay Commission, but in the meanwhile, at the instance of the Staff Artistes' Union, the National Productivity Council was entrusted with the task of job evaluation of various categories of staff artists. A report of the Job Evaluation Team has been received but the Staff Artistes' Union have requested that no action should be taken on the report pending receipt of the Union's comments which are awaited.

गुजरात में हाल के आन्दोलन में क्षतिग्रस्त संपत्ति का पुनर्निर्माण

5541. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में 7 मार्च, 1974 तक हाल के आन्दोलन के परिणामस्वरूप 2.5 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को क्षति पहुंची थी;

(ख) क्या यह सम्पत्ति सरकारी और वह भी केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति थी;

(ग) क्या इस सम्पत्ति के पुनःनिर्माण के लिये भारी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी; और

(घ) इससे राजकोष पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Discovery of an Alternate to Petrol by a youth of Indore (MP)

5542. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of the Central Government that a youth of Indore (Madhya Pradesh), Shri Abhayankar has discovered the alternative to petrol and that alternative is Solvent ether; and

(b) if so, the facts in the regard ?

The Minister of Industrial Development and Science & Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस देने के लिये जिम्मेदार आधार

5543. श्री एम० एस० पुरती : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस देने से पूर्व सरकार और कंट्रोलर आफ केपिटल इशूज दोनों ही उत्पादन क्षमता, मांग, सहयोग करार, विद्युत् जल, वित्त तथा कच्चे माल की उपलब्धता जैसे आधारों पर विचार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जन-शक्ति के आधार पर विचार नहीं करती है;

(ग) क्या किसी उद्यम की सफलता के लिये सही जनशक्ति की उपलब्धता एक आधारभूत आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय सरकार इन बातों पर विचार करती है जैसे निर्माण स्थल की उपयुक्तता, वर्तमान क्षमता तथा उत्पादन के लिए प्रस्तावित वस्तु की भावी मांग; आयातित तथा वैसी कच्चे माल की उपलब्धता के संदर्भ में लगाए जाने वाले संयंत्र की क्षमता, बिजली पानी तथा परिवहन की उपलभ्यता, देश में उपलब्ध जानकारी को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावित उद्योग के लिए ऐसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता तथा शर्तें जिनकी अनुमति दी जानी चाहिए ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए सभी प्रयास भी किए जाते हैं जिनमें तकनीकी तथा गैर तकनीकी व्यक्तियों को बड़ी संख्या में रोजगार दिए जा सके तथा उपयुक्त मानव शक्ति की उपलब्धता पर भी यथोचित विचार किया जाता है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को राज्य सरकारों के पास वापिस भेजना

5544. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को उनकी पदावधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकारों को वापिस नहीं भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों को ये अनुदेश जारी किए जा रहे हैं कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदावधि बढ़ाने पर रोक लगा दें ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियो सहित, विभिन्न सेवाओ के अधिकारियों को उनकी प्रतिनियुक्ती की सामान्य अवधि के समाप्त होने पर, उनके मूल संवर्गों को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। फिर भी कुछ आपवादिक मामलों में, जहां सार्वजनिक हित में आवश्यक होता है, किसी व्यक्तिगत अधिकारी के कार्यकाल को केन्द्रीय स्थापना बोर्ड वरिष्ठ चयन बोर्ड तथा संबंधित संवर्ग प्राधिकारियों की सहमति से उक्त मामले पर समुचित विचार किये जाने के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। इस आशय के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं। अलग-अलग मंत्रालय/विभाग, स्वयं ही कार्यकाल मे इस प्रकार की वृद्धि करने के लिए सक्षम नही हैं।

रेफ्रिजेटरों के मूल्य में वृद्धि

5545. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी 1974 में रेफ्रीजेटरों के बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) मूल्यों में वृद्धि को अनुमति देने का क्या आधार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम० बी० राना) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक उत्पादक ने मूल्यों में वृद्धि की है। वृद्धि की दर 100 लीटर की क्षमता वाले रेफ्रिजिरेटर पर 82.50 रु० से 300 लीटर की क्षमता पर 170.50 पैसे तक है।

(ख) घरेलू रेफ्रीजिरेटर को आवश्यक वस्तु नहीं घोषित किया गया है। इस वस्तु पर मूल्य नियन्त्रण लागू नहीं किया गया है।

टेलीविजन सेटों के मूल्यों में वृद्धि

5546. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी ओर फरवरी, 1974 में टेलीविजन सेटों के विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) इस वृद्धि को अनुमति क्यों दी गई है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जनवरी-फरवरी 1974 में टलीविजन सेटों के विक्रय मूल्य में 250 रु० प्रती सेट के हिसाब से वृद्धि हुयी।

(ख) वर्तमान में टी० वी० सेटों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी यह उल्लिखित है कि टी० वी० के निर्माण में प्रयोग होने वाले स्वदेशी और आयातित दोनों तरह के घटकों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि के कारण टी० वी० के मूल्य बढ़ाने पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, भारत इलैक्ट्रोनिक्स, बंगलोर में निर्मित पिक्चर ट्यूब का मूल्य 140 रु० प्रति ट्यूब के हिसाब से बढ़ गया है क्योंकि ग्लास बल्ब के आयात पर सीमा शुल्क की लेवी से संबद्ध वर्गीकरण को बदल दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कारण से टी० वी० सेटों के मूल्य मे कुल वृद्धि करनी पड़ी है।

वर्ष 1974-75 के लिये राज्यों को नियतन

5547. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना के लिये प्रत्येक राज्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनको न्यूनतम और अधिकतम अनुदान प्राप्त होंगे; और

(ग) इन विषमताओं के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वार्षिक योजना 1974-75 के लिए राज्यों को अस्थाई रूप से नियतित केन्द्रीय सहायता :

विवरण

(करोड़ रुपया)

राज्य	केन्द्रीय सहायता
1. आन्ध्र प्रदेश	48.75
2. असम	40.04
3. बिहार	68.68
4. गुजरात	32.17
5. हरियाणा	15.99
6. हिमाचल प्रदेश	22.35
7. जम्मू तथा कश्मीर	30.21
8. कर्नाटक	35.46
9. केरल	35.72
10. मध्य प्रदेश	53.32
11. महाराष्ट्र	49.98
12. मणिपुर	7.52
13. मेघालय	8.85
14. नागालैंड	7.12
15. उड़ीसा	32.70
16. पंजाब	20.64
17. राजस्थान	45.06
18. तमिलनाडु	41.15
19. त्रिपुरा	7.61
20. उत्तर प्रदेश	106.89
21. पश्चिम बंगाल	44.91
22. पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए नियंत्रित	25.00
सभी राज्य	780.15

(ख) और (ग) पांचवीं योजना अवधि में राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन के सिद्धान्तों तथा पद्धति के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा फैसला किए जाने तक वर्ष 1974-75 में

राज्यों को अस्थाई तौर पर केन्द्रीय सहायता को वही राशि आवंटित की गई जो उन्हें 1973-74 की योजनाओं के लिए दी गई थी। इसके साथ ही साथ पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 25 करोड़ रुपये की और अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

अस्थाई रूप से किए गए प्रबन्ध के अनुसार सामान्यत: कुल केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगी किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में वहां के व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान का अंश अधिक होगा जैसा कि चौथी योजना के समय भी था। चौथी योजना में इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपनाई गई पद्धति निम्नप्रकार थी :

(1) 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण-असम, मेघालय, नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र, जम्मू तथा कश्मीर का लद्दाख जिला और हिमाचल प्रदेश के किनोर तथा लाहौल जिले;

(2) 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण-उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले (नैनीताल और देहरादून को छोड़ कर) तमिलनाडु में नीलगिरी तथा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले।

वर्ष 1974-75 में विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में ऋण तथा अनुदान के अंश में विभिन्नतायें मुख्यत: प्रत्येक राज्य की योजना के लिए नियुक्त की गई केन्द्रीय सहायता राशियों में अन्तर होने के कारण उत्पन्न हुए हैं। ये राशियां कुल केन्द्रीय संसाधनों की उपलब्धता तथा चौथी योजनावधि में केन्द्रीय सहायता आवंटन के लिए अपनाए गए सूत्र के आधार पर नियत की गई हैं।

वर्ष 1974-75 के दौरान राज्यों को केंद्रीय सहायता

5548. श्री ई० वी० विखे पाटिल :
श्री के० लकप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के पहले वर्ष में राज्यों को किस आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या राज्यों को केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में किसी सूत्र को अंतिम रुप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सहायता देने के वर्तमान सूत्र का राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पांचवीं योजनावधि में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता जिन सिद्धान्तों व मानदण्डों से निर्धारित की जाएगी, उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख विचारार्थ व निर्णय के लिए प्रस्तुत करने का विचार है। इस प्रकार का निर्णय होने तक, 1973-74 में दी गई केन्द्रीय सहायता की भांति, वार्षिक योजना 1974-75 के लिए भी सभी राज्यों के वास्ते समान केन्द्रीय सहायता अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई है।

(घ) राज्य क्षेत्र की योजना व्यय में केन्द्रीय सहायता का उल्लेखनीय योगदान होता है, और इससे राज्यों विशेषत: अल्प विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद मिली है। चौथी योजना में "जनसंख्या का आकार", "राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय" और "राज्यों की विशेष समस्याओं" के मानदण्ड को आधार मान कर अल्प विकसित राज्यों को अधिक मात्रा में केन्द्रीय सहायता दी गई थी। असम, जम्मू व कश्मीर और नागालैंड को, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, चौथी योजनावधि में राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्धारित करने वाले सूत्र से बाहर तदर्थ आवंटन किए गए थे।

पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

5549. श्री ई० वी० विखे पाटिल :क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास से योजना आयोग की कोई बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) क्या इससे पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने और उसे अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) जी, नहीं, जब कभी आवश्यक समझा गया बैठकें बुलाई गई हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

संकटग्रस्त इंजीनियरी कारखानों संबंधी विशेष दल का प्रतिवेदन

5550. श्री झारखडे राय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त औद्योगिक कारखानों के बारे में 28 नवम्बर 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कारखानों सहित संकटग्रस्त इंजीनियरी कारखानों पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं की जांच करने के लिये गठित विशेष दल के प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या सरकार देश के उन विभिन्न उपक्रमों के कार्यकरण की जांच करने के लिये किसी विशेष दल की नियुक्ति पर विचार कर रही है जिनके बारे में जनता द्वारा तथा इस सभा में अनेक शिकायतें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या उपाय हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) विशेष दल की मुख्य सिफारिशें संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है :—

(1) संकटग्रस्त मामलों का शीघ्र पता लगाना आवश्यक है ताकि बंद होने की और संकटग्रस्त मामलों की गम्भीरता को दूर किया जा सके । इस बारे में मूलभूत जिम्मेदारी स्वयं एकक की की होती है तथापि बैंकों वित्तीय संस्थानों औद्योगिक स्थानों इत्यादि को भी प्रारम्भिक संकटों का बोध कराने वाली प्रणली विकसित करनी चाहिए ।

(2) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की भूमिका को और परिवर्तनशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के विकास की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए ।

(3) स्वस्थ्य एककों को संकटग्रस्त एककों के पुनर्जीवीकरण करने में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये, और जहां संभव हो, वहां आर्थिक जीव्यता प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक व्यवस्था और विलयन को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(4) इस पर जो देने के आवश्यकता है कि औद्योगिक एककों की वृद्धि का सुनिश्चय किया जाना एक आवश्यक अभ्युपाय हैं जिससे बढ़ती हुई लागत को निकाला जा सके और प्रौद्योगिकीय विकास को बनाये रखा जा सके ।

7—10 LSS(ND)/74

(5) बन्द पड़े एककों के बारे में सरकार को जहां तक व्यवहारिक हो जांच करने पर विचार करना चाहिए ताकि उन मामलों पर उपयक्त पुनर्जीवीकरण करने के लिए उपाय किये जा सकें चाहे उनसे सहायता के लिए संदर्भ/आवेदन प्राप्त नहीं हुई हो।

(6) जहां कदाशयपूर्ण प्रबन्ध सिद्ध हो गया हो, और/अथवा कार्यवाही के अन्य तरीके असफल हो गये हो तो सरकार को जांच के द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो प्रबन्ध को हाथ में लेना चाहिए। यह कार्यवाही करने का अन्तिम उपाय होना चाहिए।

(7) उन्नत प्रायोजना के माध्यम से मांग/क्रयादेशों के होने वाले उतार चढ़ावों से बचाव के लिए सरकार को कार्यवाही करना आवश्यक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

5551. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1974 के स्थानीय दैनिक में "आई० पी० एस० आफिसर्स फार इनमिड्स्ट आफ ओरगी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्,

(ख) पंजाब सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन) नियम, 1954 के नियम 12 के अधीन इन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

Foreign Languages Programmes Broadcast by A.I.R.

5552. Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of foreign languages programmes which are broadcast by the External Services Division of A.I.R. and the qualifications of the employees working there;

(b) whether no significant improvement has been made despite extending the period of programme for the neighbouring country Nepal as there are no employees having the requisite qualifications for the purpose, and

(c) the arrangements being made to bring about improvement in Nepali programme and to appoint qualified employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The External Services Division of A.I.R. broadcasts programmes in sixteen foreign languages including English. The main qualification of the employees handling these programmes is their proficiency in the language concerned.

(b) This does not appear to be a fact considering the sharp increase in the number of listeners' letters received in 1973 in regard to this Service reflecting on their increased interest in it.

(c) Does not arise.

Appointment of Manager in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

5553. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of the members of the Service Selection Board for the post of Manager in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;

(b) the amount of expenditure incurred by the Khadi and Village Industries commission on holding two interviews for this post; and

(c) the time by which the post is proposed to be filled up by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pending Disputes of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi in Delhi Administration

5554. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the industrial disputes of the employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi came under the jurisdiction of Delhi Administration or under that of the Centre for purposes of adjudication; and

(b) the number of disputes pending adjudication at present and the authorities with whom they are pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) The material is being collected and will be laid on the Table of the House.

तकनीकी विकास महानिदेशालय की सिफारिशों पर संतीवनी को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किया जाना

5555. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय को भेजी जा रही उत्पादन विवरणिकाओं में प्रत्येक श्रेणी की वस्तु के केवल कुल उत्पादन का उल्लेख किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी विकास महानिदेशालय को उत्पादन विवरणिकाओं में शामिल उन मदों का पता कैसे लगता है जिनका उत्पादन विविधिकरण के अन्तर्गत किया जाता है और जिसका कोई उल्लेख कम्पनी नहीं करती; और

(ग) क्या संतीवीनी को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करने की सिफारिश तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा की गई थी और यदि हां, तो इस निदेशालय ने उत्पादन के विविधिकरण की अनुमति कितनी बार और किस किस तिथि को दी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयित फर्मों द्वारा भेजी गई उत्पादन विवरणिकाओं में प्रत्यक वस्तु के उत्पादन के आंकड़े अलग अलग दिखाए जाते है। जब भी कभी विवरणिका में उत्पादन की कोई नयी वस्तु बतायी जाती है, तकनीकी विकास का महानिदेशालय उसे नोट कर लेता है तथा स्वीकृत की गई क्षमता के संदर्भ में उसकी जांच करता है।

(ग) पैट्रोलियम रसायन मंत्रालय व लाइसेंन्सिग समिति की सहमति से तकनीकी विकास के महा-निदेशालय की सिफारिशों के अनुसार वस्तुएं बनाने की सम्पूर्ण क्षमता के अन्दर ही सन्तीविनी सहित विभिन्न वस्तुएं बनाने हेतु 6 जुलाई, 1971 को मैसर्स सैण्डोज इंडिया लिमिटेड, बम्बई को एक सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किया गया था।

पांचवी योजना में लघु उद्योगों की सुविधा पर गोष्ठी

5556. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में लघु उद्योगों की भूमिका पर एक गोष्ठी का आयोजन हाल में नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किया था;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में किन मुख्य बातों पर बल दिया गया और उसमें क्या प्रमुख बातें कहीं गई तथा सुझाव दिए गए; और

(ग) उन के प्रकाश में सरकार ने क्या निर्णय किए ताकि लघु उद्योगों के सुनियोजित विकास को सहायता मिल सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) संगोष्ठी की मुख्य सिफारिशों में निम्न लिखित सम्मिलित है :—

(1) घरेलू क्षेत्र पर अधिकतम जोर दिया जाएगा;

(2) पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर आधारित लघु उद्योगों की वर्तमान परिभाषा को संशोधित किया जाय तथा उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं पर जोर दिया जाए;

(3) लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षण के पश्चात राज सहायता को द्वितीय स्थान दिया जाए;

(4) ऋण स्वीकृत करने की वर्तमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया जाय और उसे सरल बनाया जाए;

(5) पिछड़े क्षेत्रों में छोटे कारखाने लगाते समय इस का ध्यान रखा जाए कि वहीं उपलब्ध कच्चे माल का पूरा पूरा उपयोग किया जाए।

(ग) संगोष्ठी की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

5557. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में गलत नम्बर मिलने, क्रास कनैक्शनों, वास्तविक कालों से अधिक कालों के बिल भेजने, "निष्क्रिय" लाइनों आदि की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति इतनी बिगड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थिति का मुख्य कारण यह है कि टेलीफोन एक्सचेंज वातानुकूलित नहीं है और अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई अपर्याप्त है; और

(घ) यदि कोई उपचारी उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह):(क) से (घ) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में गलत नम्बर मिलने, क्रास कनेक्शनों, ज्यादा रकमों के बिल भेजने, लाइनें निष्क्रीय होने की घटनाएं ज्यादा नहीं बढ़ी हैं।

कलकत्ते में कई समस्याएं हैं, जो वहां की टेलीफोन व्यवस्था में विपरित प्रभाव डालती हैं। पिछले कुछ महीनों में कलकत्ता शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर पावर शेडिंग हुई थी। पावर शेडिंग का टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर के कार्य चालन पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि बिजली की सप्लाई बन्द होने पर वातानुकूलन संयंत्र निष्क्रीय हो जाता है और उपस्कर कक्षों में धूलभरी हवा घुस जाती है। पावर शेडिंग की अवधि के दौरान सामान्य रखरखाव के काम में भी बाधा पड़ती है।

कलकत्ता शहर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर सड़कों की खुदाई करने के कारण, खुदाई करने वाली पार्टियों ने कई बार कलकत्ता टेलीफोन के जमीदोज केबुलों को क्षति पहुंचाई। जमीदोज केबुलों की कई बार चोरियां हो जाने की वजह से भी टेलीफोन प्रणाली के कार्य चालन में व्यवधान उपस्थित हुआ।

टेलीफोन एक्सचेंजों को अबाध बिजली की सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इस संम्बध में राज्य सरकार के साथ लिखा-पढ़ी शुरू कर दी गई है। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण (कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डैवलपमेंट अथारिटी) के साथ विशेष सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि सडकों की खुदाई के दौरान केबुलों में क्षति होने से बचाया जा सके।

पर्याप्त मात्रामें अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई कर दी गई है। अभी हाल ही में डाक-तार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचार मंत्री कलकत्ता गए थे और कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के कार्यचालन में आगे और सुधार लाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है।

मैसर्ज, फिलिप्स एंड कम्पनी द्वारा इलैक्ट्रोनिक्स के विकास के लिये प्रस्तुत की गई 7-वर्षीय योजना

5558. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज फिलिप्स एण्ड कंपनी ने सरकार को इलैक्ट्रोनिक्स परियोजनाओं के विकास हेतु एक सात-वर्षीय योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर मंजूरी दे दी गई है;

(ग) क्या प्रस्तावित परियोजनाओं में से कोई परियोजना पश्चिम बंगाल में भी लगाई जाएगी; और

(घ) क्या ये परियोजनायें सरकारी क्षेत्र में होंगी या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) मे० फिलिप्स इंडिया एण्ड कं० ने 1973 में एक सात वर्षीय योजना औद्योगिक विकास मंत्रालय के परामर्श से इलैक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा गठित एक वार्तादल को प्रस्तुत की थी। इस योजना में उन परियोजनाओं की स्थूल रूप रेखा दी गयी है, जिनको अगले सात वर्ष की अवधि में इस कम्पनी ने शुरू करने का प्रस्ताव किया है। वार्तादल ने अपनी रिपोर्ट जून, 1973 में प्रस्तुत की और उसके बाद विभाग ने मै० फिलिप्स एण्ड कम्पनी के साथ उन विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चाएँ की हैं जिन्हे निकट भविष्य में यह कम्पनी चलाना चाहती है। मोटे तौर पर, इनको या तो इलैक्ट्रोनिक्स व संचार में उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के रूप में अथवा पर्याप्त निर्यात विभव की मद्दों के रूप में पहचान लिया गया है। इन चर्चाओं के आधार पर कम्पनी को सलाह दी गयी है कि वह विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सरकार के विचारार्थ आवेदन पत्र दे दे। इसीलिए परियोजनाओं के निश्चित स्थान-निर्धारण पर और उनके कार्यान्वयन के पैटर्न पर अभी भी निर्णय नहीं लिया गया है।

छिपे नागाओं की संख्या

5559. श्री शंकर राव सावंत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपे रहकर कार्य कर रहे नागाओं की तथा चीन में गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे नागाओं की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1971–72 और 1972–73 में विद्रोही नागाओं द्वारा कितने अधिकारी तथा नागरिक मारे गये ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय लगभग 1700 नागा छिपकर रह रहे हैं। सरकार को चीन में गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे नागाओं के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) 1971–72 के दौरान नागा विद्रोहियों ने 23 अधिकारियों तथा 6 नागरिकों और 1972–73 के दौरान 6 अधिकारियों तथा 5 नागरिकों को मारा था।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

5560. श्री शंकर राव सावंत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में अखिल भारतीय सेवाओं के (भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी) कितने अधिकारी कर्तव्य की अवहेलना करने अथवा भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाये गये थे;

(ख) कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई थी और कितने मामलों में आपराधिक मुकदमें चलाये गये थे और उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान, अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है, जिन के विरुद्ध कर्तव्य की अवहेलना करने अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आवश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई अथवा मुकदमे चलाये गये थे। उपर्युक्त मामलों के संबंध में, 3–4–1974 तक की स्थिति, अर्थात समाप्त कर दिये गए मामलों के परिणामों और अभी तक अनिर्णीत पड़े हुए मामलों की संख्या का भी पता लगाया जा रहा है।

उपर्युक्त सूचना के एकत्रित हो जाने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में उद्योगीकरण

5561. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल में, विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगीकरण को पर्याप्त समझती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उद्योगीकरण को शीघ्र सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) चौथी योजनावधि में पंजीकृत लघु एककों की संख्या से अनुमान लगाने पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में लघु उद्योगों के विकास में बढ़ोतरी का रूख देखा गया है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

	1969	1973 (अस्थायी)
हिमाचल प्रदेश	4,740	6,740
जम्मू तथा काश्मीर	950	2,133
हरियाणा	6,312	13,418
पंजाब	23,212	35,658

(ख) प्रगति में तीव्रता लाने के विचार से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पांचवीं योजना में अनेक संवर्धनात्मक योजनायें शामिल की गई है। अन्य बातों के साथ साथ एक अपयुक्त सहायता एवं परामर्शदात्री सेवाएं, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन विस्तार गतिविधियों को गहन करना अदि इसमें शामिल हैं।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में टेलीप्रिंटर सेवाएं

5562. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर टेलीप्रिंटर सेवाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या पांचवीं योजना में अन्य स्थानों पर ये सेवाएं उपलब्ध करने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो कितने और किन किन स्थानों पर; और

(घ) पंजाब और हरियाणा में इस समय कितने स्थानों पर टेलीप्रिंटर सेवाएं उपलब्ध हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ये स्थान हैं :—धर्मशाला, कुल्लू, मंडी पालमपुर, शिमला और सोलन।

(ख) और (ग) टेलीप्रिंटर उन तारघरों में उपलब्ध कराए जाते हैं जहां उनके लिए काफी यातायात हो। इस समय ऐसे कोई तारघर नहीं है जहां टेलीप्रिंटरों के लगाए जाने की आवश्यकता हो। भविष्य में जब यातायात बढ़ जाएगा, तब आवश्यकतानुसार टेलीप्रिंटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(घ) तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

पंजाब—15 स्थानों में

हरियाणा—8 स्थानों में

हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को परिवहन सम्बन्धी राजसहायता दिया जाना

5563. श्री नारायणचन्द पाराशर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के बारे में 13 मार्च, 1974 के तारांकित, अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर के लिये कोई परिवहन सम्बन्धी राजसहायता भी उपलब्ध की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी राजसहायता दी गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हाँ। समय समय पर यथा संशोधित परिवहन सहायता योजना 1971, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू तथा काश्मीर और कुछ और अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होती है।

(ख) इन क्षेत्रों में स्थित किसी भी औद्योगिक उपक्रम द्वारा अभी तक सहायता की कोई भी राशि मांगी नही गई है, अत: वितरित नहीं की गई है।

Appointment of Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Assistant Secretaries in Ministries

5564. Shri M. C. Daga : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Assistant Secretaries are appointed in each Ministry and if so, who makes the allocation of work among them and the criteria for their appointment; and

(b) the total number of Secretaries, Additional Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Assistant Secretaries in the Home Ministry at present together with the criteria followed for the allocation of work amongst them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : Secretaries, Joint Secretaries and Deputy Secretaries are appointed in each Ministry according to the business allotted to the Ministry and the volume of work. There are now no posts of Asstt. Secretaries. Secretary is the Administrative Head of the Ministry and allocates work among the officers at different levels.

The number of Secretaries, Addl. Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Asstt. Secretaries in the Home Ministry is as follows :—

(i) Secretary	1
(ii) Addl. Secretary	2
(iii) Joint Secretaries	8 (1 post is vacant)
(iv) Deputy Secretaries	24
(v) Asstt. Secretaries	Nil

Work is distributed among the officers of the various levels with reference to the administrative requirements of the Ministry and the job assignment of each post.

Seven Nation Mayors Conference in Delhi

5565. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a seven-nation Mayors Conference is to be held in Delhi in the near future ?

(b) if so, the subjects to be discussed thereat;

(c) whether the Conference is being organised on India's invitation; and

(d) the expenditure India will have to incur on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Questions do not arise.

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे ऐच्छिक संगठन

5566. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे ऐच्छिक संगठनों की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) सरकार ने उन्हें अनुदान देने के लिये क्या कसौटी बनाई है और वर्ष 1972–73 में इन राज्यों को कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) उक्त संगठनों की क्या भूमिका है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण कार्यक्रम

5567. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया है :

(ख) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि पांचवीं योजनावधि में इस धन राशि को कम नहीं किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए अस्थायी रूप से 230 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

(ख) और (ग) यद्यपि इस सम्बन्ध में किसी भी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु 31 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में हुई समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन ने अन्य बातों के अलावा यह भी अनुरोध किया कि पांचवीं योजना में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए जो आवंटन पहले से किया जा चुका है उसे घटने न दिया जाय क्योंकि यह क्षेत्र मुख्यत: समाज के कमजोर तथा पीड़ित वर्गों की सेवा करता है । पांचवी योजना को अन्तिमरूप देते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ।

मारिशस को भारतीय प्रतिनिधि मंडल

5568. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारिशस में औद्योगिक तथा अन्य सहकारी विकासों के अवसरों का पता लगाने के लिये एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच समझौतों की रूप रेखा क्या है और मारिशस के औद्योगिक विकास के लिये भारत किस सीमा तक सहायता करेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मारिशस में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने हेतु उसकी संभाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिये अगस्त, 1973 में एक सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल मारिशिस भेजा गया था । मारिशिस सरकार के साथ किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे । प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास

5569. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री एम० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि आगामी 5 वर्षों में देश की मांग पूरी की जा सके, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) ऐसी योजना पर कितना व्यय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) अगले एक वर्ष में इस संबंध में कार्य कहाँ-कहाँ आरंभ होगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री , इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) पांचवी योजना अवधि में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास के लिये इलैक्ट्रोनिकी आयोग ने एक योजना प्रतिपादित की है। इस में 1974–79 के दौरान इलैक्ट्रोनिकी तथा दूर संचार (असैनिक प्रयोजनों हेतु) क्षेत्र में 253 करोड़ रुपये के कुल निवेश का निर्धारण है; आशा है इस निवेश से 2,300 करोड़ का कुल उत्पादन संभव हो सकेगा तथा 3.6 लाख लोगों की रोजगार की व्यवस्था हो जायेगी। निजी क्षेत्र में निवेश आशा है 67 करोड़ रु० होगा, जब कि शेष सरकारी क्षेत्र में रहेगा। 52 करोड़ रु० की राशि इलैक्ट्रोनिकी में अनुसंधान एवं विकास के लिए निर्धारित की गयी है।

(ग) वार्षिक योजना (1974–75) के दौरान इलैक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित होने वाली प्रस्तावित परियोजनाऐं, अन्य योजनाओं के साथ, ये हैं :—एक इलैक्ट्रोनिकी व्यापार एवं प्रोद्योगिकी विकास निगम का प्रतिष्ठापन, पूर्वी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, उत्तरी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय संगणक केन्द्र, चिकित्सा इलैक्ट्रोनिकी के लिए परीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र, एक संगणक अनुरक्षण निगम और उत्पादन व विकास हेतु एक अर्धकण्डक्टर कम्पलैक्स। विभिन्न परियोजनाओं की स्थान-निर्धारण सम्प्रति सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा उनके राज्य सरकारों को छोटे और उद्यम कर्ताओं की सहायता के लिए परीक्षण एवं विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान दिये जा रहे हैं।

आयोजन का विकेन्द्रीकरण

5570. **श्री अनादिचरण दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोजना का विकेन्द्रीकरण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या देश में प्रत्येक गांव की अपनी आयोजना व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) देश में आयोजन प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ;

(1) स्थानीय साधनों, समस्याओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं के मध्य निकट सम्बन्ध स्थापित करने के आधार पर जिला योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। जिला योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग ने मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं तथा जहां तक आवश्यक हुआ, राज्यों को इस बारे में रीति-विधान संबंधी सहायता सुलभ कर रहा है।

(2) राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि चलाये जाने वाले कार्यक्रमों तथा प्रत्येक जिले को, उनके विकास स्तर व उनकी समस्याओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किये जाने वाले वित्तीय आवंटनों के सन्दर्भ में अपनी योजनाओं का विकेन्द्रीकरण करें।

(3) राज्य आयोजन तंत्र को सुदृढ बनाने के लिए 1972-73 से एक केन्द्रीय सहायता स्कीम आरम्भ की गयी है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों से कहा गया कि राज्य स्तर पर विशेष आयोजन निकायों की स्थापना करें जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के गैर-सरकारी विशेषज्ञों को शामिल किया जाय तथा अपने योजना विभागों की क्षमता बढ़ायें। इस स्कीम के अन्तर्गत एक क्षेत्र-जिला आयोजन एकक की स्थापना की जानी है, जो क्षेत्रीय व जिला आयोजन अधिकारियों को मार्गदर्शन व तकनीकी सहायता सुलभ करेगा। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय का दो-तिहाई भाग केन्द्र द्वारा वहन किया जा रहा है।

(4) केन्द्र ने राज्यों पर दबाव डाला है कि योजना बनाने की प्रक्रिया में जनता को भी शामिल करें। यह देखने के लिए कि योजनाएं समुचित रूप से तैयार हो रही हैं तथा उनका सही क्रियान्वयन हो रहा है, राज्यों को विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि संसद् सदस्यों व विधायकों का पूरा सहयोग प्राप्त करें।

(5) इसके साथ-साथ योजना आयोग ने बहु-स्तरीय आयोजना की आवश्यकता पर भी बल दिया है। स्थानीय संसाधनों का पता लगाना व स्थानीय क्षमताओं और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना इसमें शामिल है। जहां तक योजना बनाने में गांवों को शामिल करने का प्रश्न है राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि सामाजिक सेवाओं और निवेश की जरूरतों का पता लगाने और आधारभूत सुविधाओं के लिए स्थान निर्धारण के मामले में पंचायतों के सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो कि पांचवीं योजना का एक अभिन्न अंग है और जिसे मानदण्ड व स्थान-निर्धारण के आधार पर गांवों/स्थानीय क्षेत्रों में सामाजिक उपभोग की जरूरतों की देख-रेख के लिए बनाया गया है, को ग्रामीण समुदायों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना है।

आयोजन विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में समस्त नीति इस प्रकार है कि जिले से छोटे एकक जब क्षमताओं और समस्याओं का पता लगाने तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में भाग लेंगे, तो आयोजन को केवल जिला स्तर पर एकीकृत कार्य के रूप में आरम्भ किया जाएगा। इसके लिए व्यवहार्यता, परस्पर-संबंधित आंकड़ों की उपलब्धि तथा प्रशासनिक तंत्र के स्वरूप पर विचार करना होगा।

गुजरात में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात में गिरफ्तार व्यक्तियों का राजनीतिक दलों से संबंध

5571. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल ही में खाद्यान्न सम्बन्धी आन्दोलन के सम्बन्ध में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वे किन-किन राजनीतिक दलों से सम्बन्धित हैं; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या विशेष आरोप हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना के लिये केंद्रीय सहायता

5572. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की रोजगार गारंटी योजना के लिए सरकार ने बराबरी के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी थी;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उक्त योजना के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजना के रूप में बराबरी के आधार पर योगदान जारी रखने का प्रस्ताव है ;

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान उक्त योजना के लिए राज्य सरकार को अनुमानत: कितनी राशि की जरूरत होगी; और

(घ) वर्ष 1974-75 और पांचवीं योजना की अवधि के लिए इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1972-73 में शुरू किया गया विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सहायता इस शर्त पर दी गई कि राज्य सरकार भी इतनी ही मात्रा में धन की व्यवस्था करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972-73 और 1973-74 में कई अन्य स्कीमों के साथ-साथ रोजगार गारंटी स्कीम बनाई और उसे क्रियान्वित किया है। केन्द्रीय सरकार 1974–75 से आगे विशेष रोजगार स्कीम चालू नहीं रख रही है।

(ग) और (घ) राज्य की 1974-75 की वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 274.85 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा में 7.50 करोड़ रुपये के परिव्यय को शामिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र व अन्य सभी राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के आकार और विषयवस्तु को अभी अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना है। अत: इस समय यह बतलाना संभव नहीं कि राज्य सरकार को कितनी धनराशि नियत की जाएगी। विभिन्न राज्यों की पांचवीं योजना के अन्तर्गत, विभिन्न स्कीमों के लिए धनराशि नियत की जानी है।

सांगली में विभागीय तारघर के लिये भवन

5574. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांगली (महाराष्ट्र) में वर्तमान विभागीय तारघर किराये के भवन में स्थित है जिससे जनता को असुविधा होती है;

(ख) क्या वहां विभाग के नये भवन बन गये हैं और विभागीय तारघर को इन भवनों में स्थानांतरित नहीं किया गया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सार्वजनिक असंतोष है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सांगली का मौजूदा विभागीय तारघर एक किराए की इमारत में है।

(ख) सांगली में विभागीय तारघर खुलने से पहले, वहां तार शाखा के साथ डाकघर के लिए एक नई इमारत की योजना बनाई गई थी। यह इमारत तैयार हो गई है लेकिन इस इमारत में जगह पर्याप्त न होने की वजह से नये विभागीय तारघर को इस इमारत में नहीं ले जाया गया है।

(ग) जनता से कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

संकटग्रस्त उद्योगों के सरकारीकरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

5575. श्री धामनकर :

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के "स्टीयरिंग ग्रुप" ने देश के संकटग्रस्त उद्योगों के सरकारी करण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को भावी मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) योजना आयोग के एक विशेष दल ने इंजीनियरी एककों के संकट के कारणों और निरोधात्मक एवं उपचारात्मक अभ्युपायों के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निश्चय किया गया है।

वर्ष 1974 के दौरान दिल्ली में चोरी के मामलों की संख्या

5576. कुमारी कमला कुमारी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में दिल्ली में दिन दहाड़े चोरियों के बारे में दिल्ली पुलिस को कितनी रिपोर्टें मिलीं; और

(ख) क्या रिपोर्ट मिलने के तुरन्त बाद कोई तत्काल कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सन 1974 में (1-1-74 से 15-3-74 तक) दिन दहाड़े हुई चोरी के 2269 मामले सूचित किए गये थे।

(ख) ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात तुरन्त कार्यवाही की जाती है। जहां जरूरत होती है स्वान दस्ता भी काम में लाया जाता है और मामले के समाधान के लिए सभी उपाय किए जाते हैं।

शकरपुर, दिल्ली में शकरपुर पुलिस द्वारा चोरी की शिकायत दर्ज करने से मना करना

5577. कुमारी कमला कुमारी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1974 में दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में दिन दहाड़े चोरी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) क्या शकरपुर पुलिस ने शकरपुर, दिल्ली-51 में दिन दहाड़े चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि वह प्रभावित व्यक्ति के सम्बन्धी द्वारा की गई शिकायत तब तक दर्ज नहीं कर सकती जब तक प्रभावित व्यक्ति स्वयं आकर शिकायत दर्ज न कराये; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने से मना करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) फरवरी, 1974 के महीने में इस क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी करने के 82 मामले सूचित किये गये थे।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों के चोरियों के मामलों में गिरफ्तार किये व्यक्तियों की संख्या

5578. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में चोरियों के मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ;

(ख) क्या उक्त अवधि में पुलिस ने उक्त क्षेत्र में चोरी के किसी मामले में कोई वस्तु बरामन्द की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1-1-74 से 15-3-1974 तक की अवधि मे 31 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे ।

(ख) लगभग चौसठ हजार रुपये के मूल्य की चुराई गई सम्पत्ति बरामद की गई थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पोस्ट कार्डों का दुरुपयोग

5579. **श्री रानेन सेन :**

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग द्वारा हाल ही में किये गए नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि व्यापार गृह पोस्ट कार्डों का दुरुपयोग कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग) विभाग ने हाल ही में नमूने के बतौर एक सर्वेक्षण यह देखने के लिए किया था कि ऐसे पोस्टकार्डों का प्रतिशत कितना है जिन पर मसौदे छपे हुए होते हैं । पोस्टकार्डों पर मसौदे छापने का मतलब उनका दुरुपयोग नहीं है ।

राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य

5580. **श्री रानेन सेन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने यह कहा था कि यदि केन्द्रीय सरकार के साथ आगे होने वाली बातचीत असफल रहती है तो समूचा विभाग एक जूट होकर संघर्ष करेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) इस बारे में सरकार ने कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं, परन्तु एन० एफ० पी० टी० ई० से इस संबंध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

भद्रक एच० पी० ओ० का विस्तार

5581. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रक एच० पी० ओ० (उड़ीसा) का प्रस्तावित विस्तार कार्य तथा एन० ओ० प्रांगण (कम्पस) में नया टेलीफोन एक्सचेंज आरम्भ हो गए हैं ताकि कार्यालय का कार्यकरण बेहतर बनाने में सुविधा हो; और

(ख) प्रस्तावित विस्तार कार्य कब तक पूरा हो सकेगा ?

संचार मंत्रालयमें राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) भद्रक के मुख्य डाकघर की इमारत का विस्तार करने के बारे में नक्शे आदि तैयार किए जा रहे हैं। जहां तक मुख्य डाकघर के अहाते में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का सम्बन्ध है, इस प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। फिर भी, टेलीफोन एक्सचेंज को एक दूसरी किराए की इमारत में अभी हाल ही में ले जाया गया है ताकि वह और अच्छे ढंग से कार्य कर सके ।

(ख) भद्रक मुख्य डाकघर की इमारत का विस्तार करने के काम में विलम्ब होने की सम्भावना है क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से अव्यवसायिक इमारती के निर्माण पर जिनमे डाकघर की इमारतें भी शामिल है, प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

पांचवीं योजना में उड़ीसा में केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं

5582. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में पांचवीं योजना में कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या भीमकुण्ड परियोजना को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) क्योंकि उड़ीसा सहित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की पांचवीं योजना के आकार तथा कार्यक्रमों को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना है अतः यह बताना अभी सम्भव नहीं कि केन्द्र तथा राज्यों की पांचवीं योजनाओं के अंतिम स्वरूप में अन्ततः किन परियोजनाओं कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाएगा ।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा योजना आयोग के विचारार्थ भेजी गई अपनी पांचवीं योजना के प्रारूप में भीमकुण्ड बांध परयोजना को राज्य योजना के अंग के रूप में न तो सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया था और न बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नारियल जटा बोर्ड के सचिव के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

5583. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल-जटा बोर्ड के सचिव के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन आरोपों की जांच की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) जांच के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) अगर भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटर पर रख दी जाएगी ।

पुनालूर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

5584. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के परिवहन और बिजली मंत्री ने केन्द्र से पुनालूर, केरल के स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए सरकार को पुनालूर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तारीख 5 मार्च, 1975 के अपने पत्र में केरल के परविहन और बिजली मंत्री श्री एम० एन० गोविन्दन नायर ने संचार मंत्री से पुनलूर में एक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का अनुरोध किया है । इस मामले की जांच करा कर श्री नायर जी को सूचित कर दिया गया है कि देश में आटोमेटिक उपस्कर की भारी कमी के कारण फिलहाल पुनलूर में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना संभव नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) देश में आटोमेटिक उपस्कर की भारी कमी के कारण फिलहाल पुनलूर में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना संभव नहीं है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जब दूसरी स्विचिंग फैक्टरी अपना उत्पादन आरंभ कर देगी, तब आटोमटिक उपस्कर की सप्लाई की स्थिति में सुधार होते ही यह कार्य संभव होगा । भविष्य की टेलीफोन कनेक्शनों की मांगों को पूरा करने के लिए इस बीच पुनलूर में ऊंची क्षमता वाला मैनुअल एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बना ली गई है ।

नारियल जटा-बोर्ड के कर्मचारियों के लिये भर्ती नियम

5585. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन से नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम को अन्तिम रूप दिये जाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) नारियल जटा बोर्ड कर्मचारी एसोसियेशन को भय है कि कायर बोर्ड की उप-समिति द्वारा भर्ती नियम प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने से कर्मचारी अभी तक मिल रहे लाभ से वंचित हो जायेंगे । तदनुसार उन्होंने अपने हितों की सुरक्षा हेतु सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ।

(ग) सरकार नियमों को अन्तिम रुप दिए जाने के पूर्व ही इन सब बातों पर विचार कर लेगी ।

शिशु-आहार के उत्पादन के लिये लाइसेंस / आशय-पत्र जारी करना

5586. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु आहार के उत्पादन के लिए पूर्वी क्षेत्र के लिये कोई लाइसेंस अथवा आशय-पत्र जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आशय-पत्र लाइसेंस को क्रियान्वित करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख) दो पार्टियों (नामत: मै० लक्ष्मी जनार्दन फुड प्रोडक्टस् लिमिटेड, कलकत्ता और मै० बिहार स्टट डरी कारपोरेशन, पटना) को कुछ शर्तों के अधीन पश्चिम बंगाल और बिहार में क्रमश: 1750 मी० टन और 800 मी० टन की आर्थिक क्षमता के लिए शिशू आहार बनाने हेतु 4-7-1970 और 20-8-1973 को आशय-पत्र दिये गये हैं ।

(ग) आशय-पत्रों के पश्चात् दोनों पार्टियों को औद्योगिक लाइसेन्स देने का निर्णय किया गया है ।

पांचवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता से अधिकतम लाभ उठाने के लिये कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण

5587. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता से अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार की कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या पांचवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में इसके अन्तर्गत कोई विशेष क्षेत्र शामिल करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां । एकीकृत कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांचवीं योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से सम्बन्धित नीति का एक प्रमुख तत्व है । सिंचाई, कृषि, मिट्टी संरक्षण और सहकारिता विभागों के अन्दर एक प्रत्यक्ष नियंत्रणयुक्त अंतर अनुशासनिक प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता को राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ताकि सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग और कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग विषयों में काम के विभिन्न स्तरों पर सम्बद्धता लाई जा सके । यह प्राधिकरण विशेष तौर पर खेतों के विकास कार्यों को देखेगा जिसमें खेतों में नालियां, रजवाहे, भूमि समतलन और भूमि सुधार कार्य, सर्वेक्षण, डिजाइन और इन कार्यों के लिए योजना तैयार करना और इन कार्यों के निष्पादन की देखभाल, तथा कृषि क्षेत्र में विस्तार तथा प्रदर्शन के कार्यक्रम भी शामिल हैं । ऐसे प्राधिकरण स्थापित करने, मिट्टी सर्वेक्षण क्षेत्र योजनायें तैयार करने और उपर्युक्त खेत विकास कार्यों के लिए किसानों को संस्थागत वित्त बराबर मिलता रहेइस दृष्टि से भूमि विकास बैंकों आदि को साम्या/शेयर पूंजी की सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को आधी मात्रा अनुदान के रूप में दी जाएगी और आधी मात्रा की व्यवस्था राज्यों की करनी होगी ।

(ग) इस क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 50 बड़ी और दरमियानी सिंचाई परियोजनायों को प्रारम्भ करने का विचार है । राज्य सरकारें फिलहाल केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श करके विशिष्ट क्षेत्रों तथा व्यापक विवरणों को तैयार कर रही ह ।

पश्चिम बंगाल में पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना

5588. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त योजना को स्वीकार कर लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु एक उप-योजना हाल ही में भेजी है। पांचवीं योजनामें इस बात का उल्लेख है कि पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष समस्याओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं को आधार मानकर ऐसी उप-योजनायें तैयार की जानी चाहिए—इसकी प्रतिक्रिया में उक्त योजना भेजी गई है। यद्यपि सामान्य नीति राज्य की पांचवीं योजना के प्रतिकूल नहीं है, फिर भी शेष राज्य के मुकाबले पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के भारी अन्तर को कम करने के प्रयत्न किए गए हैं। परिवहन और संचार प्रणालियों, विद्युत सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं, जो कि आर्थिक कार्यकलापों के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर अधिक जोर दिया गया। योजना आयोग उपर्युक्त उप-योजना पर विचार कर रहा है।

Communal Riot in Jabalpur, Madhya Pradesh during Holi

5589. **Shri Bhagirath Bhanwar**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether communal riot took place in Jabalpur, Madhya Pradesh on the occasion of Holi and the curfew was clamped in the city;

(b) whether communal tension is often generated every year in various parts of the country on the aforesaid occasion;

(c) whether Government propose to take steps to prevent the recurrence of such incidents on the said occasion in future; and

(d) if not, the efforts being made to remedy the situation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) According to the State Government, a clash between two groups of communities over throwing of colour by Holi revellers took place on the 9th March, 1974, in a locality in Jablpur. Curfew was imposed in the affected areas.

(b) Instances of communal tension during Holi have been reported in the past.

(c) and (d) The State Governments remain vigilant and take necessary measures to prevent occurrence of communal incidents. The Central Government also issue suitable instructions to the State Governments on the occasion of Holi festival.

उच्चतर वेतनमानों में निःसंवर्ग पदों में सहायकों को प्राथमिकता दिया जाना

5590. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों (एसिस्टेन्ट) के अतिरिक्त किसी अन्य श्रेणी में भी ऐसे कर्मचारी हैं जो एक ही वेतनमान में 22 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे है; और

(ख) क्या सरकार विभिन्न उच्चतर वेतनमानों में निःसंवर्ग पदों पर 22 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे सहायकों को प्राथमिकता देगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग म राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का सम्बन्ध है, सहायकों (असिस्टेन्ट) के अलावा, केवल कुछ ग्रेड-II स्टेनोग्राफर ही एक ही वेतनमान में 22 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ।

(ख) नि:संवर्ग पदों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाता है । भर्ती नियम उक्त पद के कार्यों, अनुभव तथा अपेक्षित योग्यताओं आदि को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। फिर भी, इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां तक संभव हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के व्यक्तियो को सम्मिलित (पार्टिसिपेटिंग) कार्यालयों में उपलब्ध ऐसे नि:संवर्ग पदों के लिए पात्र बनाए जाए जिनके कार्य मुख्यत: लिपिकवर्गीय होते हैं ।

Molestation of a Harijan Girl by Goondas in Farrashkhana, Delhi

5591. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Harijan girl was molested by goondas in Farrashkhana, Delhi on 9th March, 1974;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the steps taken to check this increasing hooliganism in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) According to information received from the Delhi Administration, no such incident of molestation of a Harijan girl took place in Farrashkhana, Delhi on the 9th March, 1974. However, on that day, there was a clash between two groups of persons in the same area following an incident of alleged molestation of a woman. Three persons died of stag injuries in the clash. The police registered three criminal cases which are under investigation. Twenty one persons were arrested of whom 11 are in judicial custody and 10 have been enlarged on bail. Utmost vigilance is being maintained to check the possibility of any violence. Intensive patrolling is also made during day and night.

मैसूर इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कारपोरेशन को आशय पत्र जारी करना

5592. श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1973 तक मैसूर इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट डवेलपमेंट कारपोरेशन को कितने आशय-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने-आशय-पत्रों का उपयोग किया गया है; और

(ग) इनको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) मैसूर राज्य औद्योगिक विनियोजन और विकास निगम लि० को 1971-1973 में 11 आशय पत्र जारी किए गए । इनमें से 1 आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेन्स में परिवर्तित कर दिया गया है । एक औद्योगिक उपक्रम को स्थापित करने और उसमें उत्पादन शुरू होने में करीब 3 से 4 वर्ष का समय लगता है; अत: आशयपत्र/लाइसेन्स क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है ।

पत्र कार्ड

5593. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश में निर्धन व्यक्तियों के लिए सस्ते किस्म का कोई पत्र कार्ड जारी करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जी नहीं ।

योजना आयोग के सदस्यों में मतभेद

5594. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री वी० मयावन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्यों के तीव्र मतभेदों के कारण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सुचारु कार्यकरण पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इन मतभेदों के क्या कारण हैं और यदि कोई शंकाएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार का प्रस्ताव क्या आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिवंगत प्रो० एस० एन० बोस के कार्यों का अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन

5595. **श्री समर गुह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवंगत प्रो० एस० एन० बोस की स्टैंडर्ड और लोकप्रिय जीवनियां अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जायेंगीं;

(ख) क्या 'प्रो० एस० एन० बोस पीठ' कलकत्ता ढाका तथा अन्य विश्वविद्यालयों में स्थापित की जायेगी; और

(ग) ढाका विश्वविद्यालय में, जहां उन्होंने अपना अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य किया था, उनकी स्मृति को बनाये रखने के लिये बंगलादेश सरकार के सहयोग से क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) से (ग) श्रीमन्, ये सभी बातें 'बोस सांख्यिकी' की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सन् 1973 में गठित की गई राष्ट्रीय आयोजन समिति, के विचाराधीन हैं । उस की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

नेताजी जांच आयोग के लिये समय बढ़ाना

5596. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग ने अपनी जांच पूरी करने के लिए पुन: समय बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट पेश करने के लिए आयोग को और कितना समय दिया गया है;

(ग) सभापति, (ii) सरकारी वरिष्ट वकील और (iii) कनिष्ट वकील के भत्तों पर तथा आयोग के कार्य के लिए अन्य प्रयोजनार्थ कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इस आयोग पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 30 जून, 1974 तक आयोग की अवधि को पुनः बढ़ाने के लिए मांग की गई है प्रस्ताव विचाराधीन है ।

		रुपये
(ग)	1 अध्यक्ष	48,086.15
	2 सरकारी वरिष्ट वकील	80,612.95
	3 कनिष्ट वकील तथा आयोग के कार्य के अन्य प्रयोजनों के लिये	6,06,514.86

(घ) लगभग 8.72 लाख रुपये ।

आचार्य विनोबा भावे के सुझाव पर अश्लील फिल्मों के निर्माण पर रोक लगाना

5597. श्री समर गुह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आचार्य विनोबा भावे ने प्रधान मंत्री से अश्लील फिल्मों के निर्माण पर रोक लगाने की अपील की थी जैसा कि मार्च के दूसरे सप्ताह से समाचारपत्रों में छपा है;

(ख) क्या ऐसी फिल्मों तथा भद्दे सिनेमा पोस्टरों से छात्र समुदाय के बीच भारतीय जीवन के मूल्य का गम्भीर ह्रास हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो समस्या को निपटाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या (एक) अश्लील फिल्मों के निर्माण को रोकने तथा (दो) भद्दे सिनेमा पोस्टरों के प्रदर्शन पर प्रभावकारी ढंग से रोक लगान के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने के बारे में सरकार द्वारा नवीन कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) आचार्य विनोबा भावे की प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान फिल्मों में अश्लीलता का उल्लेख हुआ था ।

(ख) तथा (ग) सरकार ऐसी प्रवृत्तियों के संभाव्य हानिकारक प्रभाव के बारे में गम्भीर रुख अपनाती रही है, जिसके परिणामस्वरूप चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कडा सेंसर हो रहा है ।

(घ) सेंसर के नियन्त्रक प्रभाव के अलावा, सरकार अच्छे स्तर की उद्देश्यपूर्ण फिल्मों को प्रोत्साहन देकर ध्येय प्राप्ति का प्रयत्न भी कर रही है । पोष्टरों पर नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार राज्य सरकारों और नगरपालिका प्राधिकारियों में निहित है । उनको भी यह सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त कठोर कदम उठायें ।

पांचवीं योजना को अंतिम रूप देने के कार्य को स्थगित करना

5598. श्री राम भगत पासवान :

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना को अंतिम रूप देने संबंधी कार्य को स्थगित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) और (ख) देश तथा विदेश दोनों में तेल संकट तथा मूल्यों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग में कुछ अभ्यास किए जा रहे हैं ताकि इस बात का निश्चय किया जा सक कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में किस प्रकार के समायोजन करने आवश्यक है ।

'सेंट्रल हैल्थ स्क्वेड' के सदस्यों से संबंधित घटनाओं की जांच

5599. श्री राम भगत पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने, जिसने उन घटनाओं की गत अक्तूबर में जांच की थी जिनमें सेन्ट्रल हैल्थ स्क्वेड के सदस्य और कुछ पुलिस अधिकारियों का हाथ था, अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जिन पुलिस अधिकारियों की भर्त्सना की गई, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक उपनिरीक्षक सेंट्रल फूड स्क्वड के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार का अपराधी पाया गया था । रिपोर्ट के अनुसार उसने और एक अतिरिक्त उप-निरीक्षक ने सेन्ट्रल फूड स्क्वेड के एक सदस्य को पुलिस चौकी, रामकृष्णपुरम्, सेक्टर नं० 9 में अनुचित रुप से नजरबन्द रखा । थाना अधिकारी, रामाकृष्णपुरम् ने भी गलती करने वाले अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचाने का प्रयत्न किया ।

(ग) तीन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच हो रही है ।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये पांचवीं योजना में उप-योजना का शामिल किया जाना

5600. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में देश के आदिवासी लोगों और आदिवासी क्षेत्रों के बहुमुखी विकास के लिए उप-योजना और क्षेत्रीय आवंटन जैसी नई योजनाएं केन्द्रीय सरकार ने अपनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अब तक केन्द्रीय सरकार को उप-योजना और क्षेत्रीय आवंटन संबंधी प्रस्ताव भेजें हैं; और

(ग) पांचवीं योजना में उप-योजना और क्षेत्रीय योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री मोहन धारिया): (क) अनुसूचित जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करने संबंधी नीति का उल्लेख पांचवीं योजना प्रारूप (खण्ड2) के अध्याय 13 में किया गया है। पांचवीं योजना का प्रारुप पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है। योजना प्रारूप में बतलाया गया है कि अनुसूचित जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित क्षेत्र विकास योजना बनाई जाएगी तथा जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग भारी संख्या से केन्द्रित हैं, वहां के लिए अलग से उप योजनाएं संबंधित राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ही तैयार की जाएगी। प्रत्येक जातिगत क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकास क्षेत्रों से अधिक से अधिक धन देने का सुनिश्चय किया जाएगा बशर्ते कि भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवहार्य

हों। इस बात का भी उल्लेख है कि आदिवासी क्षेत्रों की विकास उपयोजनाओं के लिए राज्य संसाधनों की कमी को, केन्द्र द्वारा समुचित वित्तीय सहायता देकर पूरा किया जाएगा। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिन क्षेत्रों में आदिवासी लोग अधिक संख्या में हैं, वहां के लिए उप-योजनाएं योजना आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार तैयार करें।

(ख) अब तक केवल तीन राज्यों, नामत: उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अपनी उप-योजनाएं भेजी है जिनकी जांच हो रही है।

(ग) पांचवीं योजना में विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले आवंटन तथा आदिवासी क्षेत्रों के समेकित विकास में राज्य सरकारों के प्रयत्नों को पूरा करने के लिए विशेष आवंटन को अभी अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना है।

[उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में संचार सुविधाएं

5601. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के रूप में पाये गए उन जिलों के नाम क्या है जहां संचार सुविधाओं का अभाव है ;

(ख) चौथी योजना में डाक तथा टेलीफोन सुविधाएं बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं और पांचवीं योजना में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) संचार की दृष्टि से उन क्षेत्रों के पिछड़े होने के क्या कारण हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क)

डाक-सुविधाओं के लिये	**दूर संचार सुविधाओं के लिये**
(i) कोरापुट, क्योंझार, कालाहांडी, सुंदरगढ़, धेनकनाल, मयूरभंज, फूलवनी, बौध खंडामल जिले।	(i) बालासोर, बोलनगीर, धेनकनाल, कालाहांडी, क्योंझार, कोरापुट, मयूरभंज, फूलबनी और सुंदरगढ़ जिले।
(ii) गंजाम जिले के एजेंसी इलाके।	(ii) पुरी जिले में सिर्फ राजनगर पुलिस थाना।
(iii) पुरी जिले में राजनगर पुलिसथाने का इलाका।	

(ख) **डाक सेवाएं** :—ऐसे पिछड़े इलाकों के मामले में डाकघर खोलने की शर्तें सामान्य इलाकों की तुलना में अधिक उदार हैं। चौथी योजना अवधि के दौरान इन पिछड़े इलाकों में, 401 नये शाखा डाकघर खोले गए थे। पांचवीं योजना अवधि में भी ऐसे इलाको में, निर्धारित शर्तें पूरी होने पर डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

दूर संचार सेवाएं :—पिछड़े इलाकों में घाटा उठाकर टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से ये सुविधाएं देने की नीति उदार बना दी गई थी। पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े इलाकों में घाटे के आधार पर टेलिफोन सुविधाएं प्रदान करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है जिनके शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है।

(ग) किसी इलाके में संचार सुविधाओं का विस्तार करने का प्रश्न उस इलाके के सामान्य विकास से जुड़ा है । इसका निर्धारण वहां की आबादी, साक्षरता, औद्योगिक प्रगति, यातायात सुविधाओं आदि की दृष्टि से किया जाता है । इस प्रकार, कठिन भौगोलिक स्थिति, बिखरी हुई आबादी, अपर्याप्त यातायात और परिवहन की सुविधा और स्थापना पर भारी लागत ऐसे इलाकों में संचार-सुविधाओं के पिछड़पन के प्रमुख कारण हैं ।

इसलिए ऐसे इलाकों में डाकघर खोलने और दूर संचार की सुविधाएं प्रदान करने के लिये उदार शर्तें लागू की जाती हैं ।

उड़ीसा में वायु तथा जल प्रदूषण को रोकना

5602. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजागंगपुर में सीमेंट कारखाने के कारण वायु प्रदूषण तथा रायगढ़, उड़ीसा में कागज़ मिल के कारण जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इन उद्योगों की स्थापना के समय मंत्रालय ने इन उद्योगों के साथ कौन-कौन सी शर्तें तय की थीं ; और

(ग) प्रदूषण को रोकने के लिए इन उद्योगों ने करार की शर्तें कहां तक पूरी की हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फिति की प्रवृत्ति से निपटने के लिये अल्पकालिक योजना

5603. **श्री नरेंद्र कुमार सांधी :**

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ती से निपटाने के लिए योजना आयोग ने कोई अल्पकालिक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मुद्रास्फीति के नियंत्रण से सम्बन्धित स्कीमों पर वित्त मंत्रालय में काम होता है, तथापि योजना आयोग से भी सहायता तथा सलाह मांगी जाती है वह देता है । योजना आयोग ने ऐसी कोई स्कीम अलग से तैयार नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रों के पहुंचने में विलम्ब के बारे में समीक्षा

5604. **श्री नरेंद्र कुमार सांधी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक साल से, पत्रों के पहुंचने में विलम्ब होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता करने के लिए स्थिति की कोई समीक्षा की है कि कम दुरी (100 किलीमीटर) और अधिक दूरी (900 किलोमीटर) की डाक में कितना विलम्ब हो रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) इंडियन एयर लाईंस कार्पोरेशन की उड़ाने और डाक गाड़ियां रद्द होने, इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन की एबी उड़ाने बन्द होने, इंडियन एयर लाईन्स में तालाबंदी होने और लोको कर्मचारियों की हड़ताल होने जैसे अनेक अपरिहार्य कारणों से डाक-व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई जिससे लम्बी दूरी की डाक कुछ अनियमित और देर से बांटी जा सकी। लेकिन आमतौर से सड़क परिवहन के जरिए ढोई जाने वाली कम दूरी की डाक-व्यवस्था लगभग पूर्ववत् बनी रही।

जब कभी लम्बी दूरी के डाक-मार्गों पर कोई व्यवधान होता है, तो डाक ढोने के सभी वैकल्पिक साधनों का यथा संभव इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वैकल्पिक साधन हैं—एअर इंडिया की घरेलू सेवाएं, भारतीय वायु सेवा के (खास तौर पर किराये पर लिए गए डकोटा विमान, इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन की स्केलेटन सेवाएं, जाम एयरवेज की सेवाएं, भारतीय वायु सेना की कूरियर सेवा, विभागीय मेल मोटर गाड़ियां और मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त माल डिब्बे/वैन आदि।

विशेष डाक प्रेषण चालू करने और ट्रैवलिंग सेक्शन को पुनर्व्यवस्थित करने के अलावा ऐसी आपातकालीन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए लम्बी अवधि की आपातिक योजनायें भी तैयार की जा रही हैं। एक नियमित प्रक्रिया के तौर पर मंडल/सर्किल स्तर के अधिकारियों के दौरों और निरीक्षणों के अलावा एक केन्द्रीय निरीक्षण दल भी अक्सर विभिन्न स्थानों का दौरा करता रहता है ताकि वह डाक प्रेषण संबंधी खामियों का पता लगा सकें, और असाधारण विलम्ब के मामलों की जांच कर मौके पर ही उपचारात्मक उपाय सुझा सके।

अन्तर्राज्यीय असंतुलन दूर करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता के फारमूले में परिवर्तन

5605. श्री नरेंद्र कुमार सांधी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को वित्तीय सहायता देने का योजना आयोग का फारमूला बढ़ते हुए अन्तर्राज्यीय असंतुलन को दूर करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फारमूले में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की आशा है और मामले पर निर्णय होने तक भुगतान किस आधार पर किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अन्त: राज्य असमानता कुल विनियोजन, विनियोजन की प्रणाली, पूंजी की उत्पादकता, भौतिक सम्पत्तियों, उत्पादन सम्बन्ध, विकास की दर और स्तर, जनसंख्या के विस्तार आदि अनेक घटकों के अन्त: सम्बन्ध पर आश्रित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अन्त: राज्य असमानता के विद्यमानता का केन्द्रीय सहायता के आवंटन से सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं। केन्द्रीय सहायता सामाजिक-आर्थिक विकास, विकास के उन समस्त प्रयत्नों में से एक है जो न केवल बजट सम्बन्धी लेखा में पर्याप्त वित्तीय विनियोजन ही नहीं करते बल्कि समुचित कार्यनीति भी निर्धारित करते हैं जिसके कारण कारगर स्कीमें तैयार होती हैं, संस्थागत संसाधन जुटाये जाते हैं,

केन्द्रीय विनियोजन उपलब्ध होता है, समुचित परियोजना तैयार की जाती है और उपयुक्त राजकोषीय उपाय अपनाकर व प्रोत्साहन देकर कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है ।

केन्द्रीय सहायता के लिए वस्तुपरक सिद्धान्त तय करने की वांछनीयता पर चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप (1966-71) पर विचार-विमर्श करते समय अनेक मुख्य मंत्रियो ने बल दिया था । इसके परिणामस्वरूप, तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता वितरण करने में अन्तरनिहित सिद्धान्तों की जांच की गई तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता के आवंटन का वस्तुपूरक सूत्र जुलाई, 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने प्रस्तुत किया गया । इस पर सितम्बर, 1968 में मुख्य मंत्रियों की समिति में विचार किया गया और उस वस्तुपूरक मानदण्डों को सर्व सम्मति से अंतिम रूप दिया गया जो चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान केन्द्रीय सहायता के वितरण का आधार बने । ये निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

यह स्वीकार किया गया कि (क) कुल केन्द्रीय सहायता में से एकमुश्त तदर्थ निर्धारण करके असम, जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड की जरूरतों को पूरा किया जाए, यह तदर्थ राशि 400 करोड़ रुपए स्वीकार की गयी ; (ख) शेष 3100 करोड़ रुपये बाकी 14 राज्यों में निम्न प्रकार से बांटे जाएं :—

(1) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत,

(2) जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है उनको प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर 10 प्रतिशत,

(3) प्रति व्यक्ति आय पर कराधान प्रयास के आधार पर 10 प्रतिशत,

(4) बड़ी सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 10 प्रतिशत, और

(5) राज्यों की विशेष समस्याओं का विचार करते हुए 10 प्रतिशत ।

जैसा कि उपर्युक्त मानदण्ड से स्पष्ट होता है कि चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता आवंटन से संबंधित सूत्र को इस रुप में तैयार किया गया था कि उससे कम विकसित राज्यों को कुछ महत्व प्राप्त हो । इस प्रकार अंतर-राज्यीय विषमताओं को कम करने में निम्न प्रकार से सहायता मिली :—

(1) असम, जम्मू तथा कश्मीर, मिजोराम और नागालैंड के लिए किए गए तदर्थ नियतनों से अन्य राज्यों की तुलना में इन राज्यों में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता अधिक मात्रा में उपलब्ध हुई है ।

निम्नलिखित आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाएगा :—

	प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय सहायता (रुपये)
असम	122
जम्मू व काश्मीर	314
मेघालय	368
नागालैंड	678
समस्त राज्य औसत	69

सशस्त्र विद्रोही मिजो लोगों द्वारा ग्रामीणों से धनराशि एकत्र करना

5606. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री हुकुम चन्द्र कछवाय :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मिजोरम में आतंक फैलाने वाले लगभग 1000 सशस्त्र विद्रोही मिजो लोगों ने भयभीत ग्रामीणों से बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्र की ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विद्रोहियों की ऐसी निन्दनीय गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार की उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 400 सशस्त्र विद्रोही मिजोरम मे सक्रिय है । उनके दल फरवरी 1974 के अन्त तक चालू वर्ष में ग्रामीणों को लूटने और उनसे लगभग 1600 रुपये तक धनराशि खसोटने की 11 घटनाओं में अन्तग्रस्त थे ।

(ख) मिजोरम प्रशासन ने प्रशासनिक केन्द्रों को सुदृढ़ किया है तथा अतिरिक्त पुलिस चौकियों का प्रबन्ध किया है । ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे है तथा लगातार सतर्कता बरती जा रही है ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में कर्मचारियों के स्थायी पद

5607. **श्री वसंत साठे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में कर्मचारियों के स्थायी पदों की प्राधिकृत संख्या कितनी है ;

(ख) इन सेवाओं में कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) क्या इन सेवाओं में पदोन्नतियां देने/पदों को स्थायी बनाये जाने का काम किसी मंत्रालय में रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर और उस मंत्रालय के बाहर काम करने वालों की उपेक्षा करके किया जाता है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा को 1962 में विकेंद्रीकृत किया गया था । तभी से पदोन्नतियां/स्थायीकरण सामान्यतया, वर्गवार किए जाते हैं, किन्तु शर्त यह है कि पदोन्नतियों को वरिष्ठता की रेंज के भीतर, जैसा कि कार्मिक आर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समस्त सचिवालय के आधार पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है, नियमित किया जा सके ।

कच्चे माल की कमी के कारण आशय-पत्रों की क्रियान्वयन को स्थगित करना

5608. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा संबंधी प्रतिबन्ध तथा फीडस्टाक और कच्चे माल की अत्यधिक आयात लागत के कारण ऐसी कुछ औद्योगिक परियोजनाओं को आस्थगित या बन्द किया जा रहा है जिनके लिए आशय पत्र या लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या पिछड़े जिलों की प्रस्तावित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) और (ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) वर्तमान आयात नीति में पिछड़े क्षेत्रो में स्थापित किय जाने वाले लघु एककों से मशीनरी, कच्चे माल और पुरजो का आयात करने के लिए प्राप्त आवदनों पर उदारता-पूर्वक विचार करने की व्यवस्था है ।

समाचारपत्रों में सिनेमा विज्ञापनों के बारे में स्थान नियंत्रण की घोषणा का फिल्म प्रचार पर आश्रित रहने वाले लोगों पर प्रभाव

5609. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में सिनेमा विज्ञापनों के बारे में स्थान-नियंत्रण की घोषणा करने के बाद फिल्म-प्रचार पर आश्रित बहुत से लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जबकि सरकार समाचारपत्रों में विज्ञापनों की तुलना में पाठ्य सामग्री के अच्छे अनुपात का स्वागत करेगी, किसी भी श्रेणी के विज्ञापनों पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाया गया है ।

वर्ष 1974-75 के लिये परिव्यय में वृद्धि

5610. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के पहले वर्ष के लिए परिव्यय में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है और यह वृद्धि किन किन क्षेत्रों के लिए की गई है; और

(ग) क्या इस वृद्धि से सभी राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं और कृषि परियोजनाओं सम्बन्धी निर्माण कार्यों को तीव्र गति से करने में सहायता मिलेगी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1974-75 के लिए 4833.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि

1973-74 में 4271.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी । नीचे दिए गए क्षेत्रों के लिए उच्च परिव्यय की व्यवस्था की गई है :

(करोड़ रुपये)

	1973-74	1974-75
सिंचाई और बिजली	954.58	1150.82
उद्योग और खनन	806.70	1162.09
परिवहन और संचार	695.35	1026.61

(ग) अनुबन्ध-I पर 1973-74 के बारे में दिए गये राज्यवार परिव्ययों से स्पष्ट है कि 1974-75 की योजना में सिंचाई, बिजली और कृषि कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6614/74] वार्षिक योजना 1974-75 की रिपोर्ट, जिसमें इन क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है को संसद के चालू सत्र के दौरान सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव है ।

वेस्ट कोस्ट पेपर मिल द्वारा अखबारी कागज के संयंत्र की स्थापना

5611. श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के निदेशक ने अखबारी कागज का संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रस्ताव सरकार के पास दो वर्ष से अधिक समय से निर्णयाधीन पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) मैं० वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स ने नवम्बर, 1973 के अन्त में विभिन्न प्रकार के 60,000 मी० टन प्रति वर्ष कागज का उत्पादन करने के लिए उन्हें मंजूर किए गए आशय पत्र में संशोधन करने के लिए सरकार को आवेदन भेजा था ताकि वे प्रतिवर्ष 30,000 मी० टन अखबारी कागज तथा 30,000 मी० टन छपाई लिखाई आदि का कागज प्रतिवर्ष बना सकें । पूंजीगत माल के आयात के लिए आशय-पत्रों में संशोधन करने के लिए पार्टी द्वारा प्रेषित आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है ।

बजीरपुर, दिल्ली में सेंध मारने वाले एक गिरोह का पता लगाया जाना

5612. श्री पी० गंगादेव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में दिल्ली के बजीरपुर में सेंध मारने वाले एक बड़े गिरोह का पता लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से कुछ वस्तुएं बरामद की गई थीं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी नहीं श्रीमन् । फिर भी फरवरी, 1974 में जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिन्होंने वजीरपुर के पास शान्तिनगर तथा शास्त्रीनगर की कालोनियों में अनेक चोरियां की थीं ।

(ग) उनसे लगभग आठ हजार रुपये के मूल्य का चुराया हुआ सामान, जिसमें ट्रांजिस्टर सोने तथा चान्दी के आभूषण, कपड़े, हाथ की घड़िया, बर्तन, नकदी, इत्यादि थी, बरामद किया गया था ।

स्वतंत्रता सेनानियों के झूठे दावे

5613. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के झूठे दावे स्वीकार किये गये थे और ताम्र पत्र वितरित किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने से पूर्व दावों का सत्यापन न किय जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें ताम्रपत्र उन व्यक्तियों को प्रदान किए हैं जो और जांच करने पर उसके लिए पात्र नहीं पाए गय थे ।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना में कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं । योजना का प्रचार व्यापक रूप से किया गया था और इसके परिणामस्वरूप हजारों आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । सामान्यत: इन मामलों में संबंधित राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पेंशन स्वीकृत की जानी थी, किन्तु इस प्रणाली से बहुत विलम्ब होना था । अत: यह निर्णय किया गया था कि उन मामलों में जहां आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित प्रमाणों द्वारा निर्धारित मानदण्ड स्पष्टत: पूरे किए गये हैं उसके आधार पर अस्थाई रुप से सीधे पेंशन स्वीकृत कर दी जाये । बाद में राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों से जैसे सत्यापन रिपोर्ट आई, ऐसी रिपोर्ट पर भी पेंशन स्वीकृत की गई थी । किन्तु समय समय पर स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त होती रही कि उन्होंने गलत अथवा झूठी सूचना के आधार पर पेंशन प्राप्त की है । इन शिकायतों की मूल रिकार्ड के संदर्भ में जांच की गई । संदिग्ध मामलों में आग जांच हो रही है और उन मामलों में जहां यह अनुमान लगाने के लिए काफी गुन्जायश है कि पूर्व प्रस्तुत सूचना सही नहीं है, जांच पूरी होने तक पेंशन बन्द कर दी गई है ।

थोरियम प्रौद्योगिकी का विकास

5614. डा० कर्णी सिंह : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने थोरियम प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए कोई परीक्षण किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) नैसर्गिक थोरियम में किसी भी विखण्डनशील पदार्थ के विद्यमान न रहने के कारण, थोरियम का उपयोग परमाणु बिजली पैदा करने के लिए केवल तभी किया जा सकता है जब इसे किसी परमाणु रिऐक्टर की सहायता से विखण्डनशील पदार्थ यूरेनियम 233 में बदल दिया जाये। यूरेनियम को जब फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर में आवरण-सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब यह यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जिसे कि बिजली पैदा करने के लिए विखण्डनशील सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों का विकास करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। कलपक्कम स्थित रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र में निर्माणाधीन 40 मैगावाट शक्ति के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर को थोरियम का उपयोग बड़े पैमाने पर करने से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकों का विकास करने के काम में लाया जायेगा।

त्रिपुरा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमिगत मिजो लोगों द्वारा छापे मारना

5615. श्री राम सहाय पांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बंगलादेश के सीमापार क्षेत्र से भूमिगत मिजो लोग बार-बार घात लगाकर हमले करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बंगला देश के सीमापार क्षेत्र से भूमिगत मिजो लोगों द्वारा त्रिपुरा में 1973 में घात लगाकर हमला करने की 10 घटनायें तथा 1974 में अब तक 1 घटना हुई हैं।

(ख) सुरक्षा बलों ने भूमिगत मिजो लोगों की ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये अपनी गश्त तथा उन्हें समाप्त करने की कार्रवाई बढ़ा दी है। एक मुठभेड़ में दो भूमिगत विद्रोही मारे गये थे।

झूठी जानकारी देने वाले स्वतंत्रता सेनानी

5616. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और पते क्या है जिनकी पेंशन इस आधार पर बन्द कर दी गई है कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र भेजते समय झूठी जानकारी दी थी;

(ख) पेंशन प्राप्त करने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और पतें क्या हैं जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतों की अभी जांच की जा रही है कि उन्होंने झूठी जानकारी दी थी ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या दंडात्मक या अन्य प्रकार की कार्यवाही की है या करने के बारे में निर्णय किया है।

गृहमंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) उन स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध जिन्हें पेंशन दी गई है, समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि उन्होंने गल्त अथवा झूठी सूचना भेज कर पेंशन प्राप्त की है। इन शिकायतों की मूल अभिलेखों के संदर्भ में जांच की जाती है और संदिग्ध मामलों में राज्य सरकारों को रिपोर्ट के लिये लिखा जाता है। इस समय 129 मामलों में राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार चल रहा है। उन मामलों में जहां पक्की धारणा हो जाती है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का हकदार नहीं था, जांच पड़ताल होने तक पेंशन स्थगित करने के लिय कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त 129 मामलों में से 92 मामलों में पेंशन स्थगित की गई है। इन सभी व्यक्तियों के नाम तथा पते देना संभव नहीं है।

(ग) यदि जांच पूरी होने पर यह पाया जाता है कि पेंशन गलत स्वीकृत की गई है, तो उसे रद्द कर दिया जायगा और वसूली इत्यादि से संबंधित आगे की कार्यवाही प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर की जायगी।

पूंजीगत वस्तुओं का देश में निर्माण

5617. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ही पुंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) 1973 में आयात हेतु स्वीकृत किए गए पुंजीगत माल के आधार पर तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने उस पुंजीगत माल की एक सूची बनाई जो देश में नहीं बनाये जाते हैं या जिनकी निकट भविष्य में देश में ही उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है और उसे इण्डियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन भाग 18 सं० 7 दिनांक 16-2-1974 में विज्ञापित किया । विज्ञापन निम्नलिखित दो उद्देश्यों से जारी किया गया था :—

(क) विकास और आयात प्रतिस्थापन के एक भाग के रूप में सूची में दी गई किन्ही भी वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ करने पर देशी निर्माताओं को विचार करने का अवसर देना; और

(ख) जो मशीनें देश में नहीं बनाई जाती हैं उनके संबंध में विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त करना ।

देश के निर्माताओं से अनुरोध किया गया था कि वे सूची पर विचार करें और विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तकनीकी विकास के महानिदेशालय को सूचित करें कि क्या किन्हीं भी विज्ञापित वस्तुओं की उत्पादन क्षमताएं उपलब्ध हैं अथवा क्या 30 जून, 1974 तक उनका देश में उत्पादन स्थापित किया जा सकता है । निर्माताओं के दावों की पुष्टि के लिए लिखित साक्ष्य दी जाती थी । प्राप्त जानकारी के आधार पर तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने 1973 में आयात के लिए स्वीकृत मशीनों के निर्माण हेतु जुन, 1974 के अन्त तक देशी क्षमताओं का निर्धारण किया है और 1974-75 में आयात की अनुमति दिए जाने के लिए पुंजीगत माल की एक सूची तैयार की है ।

पटना स्थित डाक-तार विभाग के औषधालय के लिये एम्बुलन्स की व्यवस्था करना

5618. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला प्रबंधक टेलीफोन्स, पटना के कार्यालय में अभी हाल में एक नई स्टाफ कार उपलब्ध की गई है;

(ख) क्या डाक-तार विभाग औषधालय, पटना में किसी एम्बुलेन्स की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मजदूर संघों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए डाक-तार विभाग औषधालय में अत्यावश्यक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) किसी भी डाक-तार चिकित्सालय में ऐम्बुलेंस की मंजुरी नहीं दी गई है । डाक-तार चिकित्सालयों में ऐम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था करना एक आम मसला है और इसमें निहित आर्थिक पेचीदगियों को देखते हुए, यह मांग पूरी कर पाना सम्भव नहीं है । फिर भी, मरीजों को लाने-ले जाने के लिए ऐम्बुलेंस खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सी० एस० (एन० ए०) नियमों में व्यवस्था है ।

डाक-तार विभाग औषधालयों में विभागीय जलयान गृहों के कर्मचारियों को डाक्टरी इलाज की सुविधा

5619. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नवीनतम आदेशों के अनुसार विभागीय जलयान-गृहों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को अपना वेतन सरकार के राजकोष से मिलता है ;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को देय वेतन की दर बहुत कम है और कुछ मामलों में वेतन की दर न्यनतम मंजुरी अधिनियम के अधीन स्वीकृत दरों से भी कम है ; और

(ग) क्या देश के डाक-तार विभाग के औषधालयों के जलपान गृहों के कर्मचारियों के डाक्टरी इलाज के लिए आदेश जारी करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ग) जी नहीं । विभागीय कैंटीन सरकार का अंग नहीं है । इसमें काम करने वाले लोग कैंटीन प्रबंध समिति के कर्मचारी हैं । सरकार कैंटीन के स्थापना खर्च के लिए आर्थिक सहायता देती है ।

(ख) विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतनमान वही है जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित दरों और कैंटीन कर्मचारियों को दी गई दूसरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है ।

साहा इन्स्टीटयूट आफ दि न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के बारे में समीक्षा समिति का प्रतिवेदन

5620. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहा इन्सट्टियट आफ दि न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के मामलों की जांच करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की गई थी ;

(ख) क्या इस समीक्षा समिति ने नवम्बर, 1973 को उस इन्सट्टियट का दौरा किया था तथा उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग को अपना प्रतिवेदन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरीक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्तमान कार्यक्रम तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई है ।

(ख) इस समीक्षा समिति ने नवम्बर, 1973 में साहा इंस्टीट्यूट का दौरा किया था । तथापि, समिति ने अभी अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया है ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई में भाषायी अल्पसंख्यकों पर आक्रमण के मामले

5621. श्री वयालार रवि :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार भाषायी अल्पसंख्यकों पर आक्रमण के कुल कितने मामले बम्बई शहर में दर्ज किए गए ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में सजा दी गई ; और

(ग) इन मामलों में कुल कितने अभियुक्त थे और इनमें से शिव सैनिक कितने हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

बम्बई में कर्मचारियों को खाली फ्लैटों का आबंटन

5622. श्री वयालार रवि :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर, बम्बई के निकट परमाणु ऊर्जा विभाग में रिहायशी मकानों में से सर्वसुविधा युक्त कुछ फ्लैट वर्ष 1973 से खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को इन फ्लैटों का आबंटन न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन फ्लैटों को खाली रखने से सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है तथा इन फ्लैटों को आबंटित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । कुछ समय पहले दो फ्लैट खाली थे किन्तु अब उनमें भी विभाग के कर्मचारी आ गए हैं ।

(ग) किसी भी फ्लैट के खाली होने तथा फिर उसका आबंटन होने और उसके भरने के बीच कुछ न कुछ समय हमेशा लगता ही है । तथापि, जिन कर्मचारियों को ऐसे फ्लैट आबंटित किया जा सकते हैं उनके औसत वेतन के हिसाब से इन फ्लैटों के खाली रहने के कारण सरकार को लगभग 500 रुपये की कम आय हुई है ।

People living on Poverty-Line

5623. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the State-wise number of persons living on poverty line in the country and their daily average income in 1966 and at present, separately; and

(b) the remedial measures taken or being taken in this regard and the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) A statement is laid on the Table of the House indicating the State-wise number of persons living below poverty line in the country in 1964-65. Information in regard to their daily average income in 1964-65, in 1966 and at present is not available.

(b) The steps taken in recent years to raise the standard of living of the poor people include : (i) stepping up of Plan outlay from year to year; (ii) emphasis on development of agriculture, village and small industries and activities like animal husbandry, dairying, fisheries, etc. to benefit the poorer sections of the community; (iii) adoption of special programmes for small and marginal farmers, farmers in dry areas and landless labour to enable them to participate in agricultural development

and share its benefits; (iv) land reforms; (v) introduction of a crash programme for rural employment; (vi) launching of the Drought Prone Areas Programme; (vii) adoption of an extensive programme of social services and welfare and schemes for the development of backward areas; (viii) introduction of schemes for providing employment to the educated unemployed; and (ix) strengthening and enlargement of the public procurement and distribution system.

It is not possible to indicate precisely the results achieved so far. The Draft Fifth Plan indicates further measures proposed to be adopted to increase the level of consumption of the lowest 30 per cent of the population.

STATEMENT

Statewise Population below Poverty line (1964-65)

(Number in thousand)

Sl. No.	States	Rural	Urban
1.	Andhra Pradesh	15,331	3,976
2.	Assam	2,206	535
3.	Bihar	19,609	2,533
4.	Gujarat	7,261	3,701
5.	Haryana	1,474	719
6.	Jammu & Kashmir	8,255	393
7.	Kerala	9,498	1,889
8.	Madhya Pradesh	13,953	2,857
9.	Madras	13,229	5,395
10.	Maharashtra	14,422	5,552
11.	Mysore	9,642	3,065
12.	Orissa	10,977	736
13.	Punjab	2,154	1,272
14.	Rajasthan	6,156	1,890
15.	Uttar Pradesh	28,820	6,572
16.	West Bengal	14,446	3,877
17.	Union Territories	2,360	870
18.	All India	179,793	45,832

आकाशवाणी में कान्ट्रेक्ट के आधार पर प्रोड्यूसरों के पद बनाने के लिये मानदंड

5624. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कान्ट्रेक्ट के आधार पर प्रोड्यूसरों के पद बनाने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है ;

(ख) क्या प्रोड्यूसरों के पदों के लिए विहित शैक्षिक और व्यवसायिक अर्हतायें प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों, जिनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है, के लिए विहित अर्हताओं से कम है हालांकि दोनों पदों के वेतन-मान एक जैसे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अन्य सभी श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की तरह, प्रोड्यूसरों के पद सिविल पदों के रूप में औपचारिक रूप से नहीं बनाये जाते। आकाशवाणी की विभिन्न यूनिटों में प्रोड्यूसरों को लगाने की आवश्यकता का मूल्यांकन कार्यक्रम ही आवश्यकताओं के अनुसार, समय समय पर किया जाता है और तदनुसार व्यक्तियों को भर्ती करने के लिये कदम उठाये जाते हैं ।

(ख) क्योंकि इस समय दोनों श्रेणियां अलग हैं, अतएव प्रत्येक के लिये निर्धारित अर्हताओं की ठीक ठीक तुलना नहीं की जा सकती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी में 'कान्ट्रेक्ट' पर काम करने वाले प्रोडयूसरों तथा नियमित 'प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों' के कार्यों में समानता

5625. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्ट्रेक्ट पर काम करने वाले 'प्रोड्यूसरों' तथा 'प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव' के रूप में काम करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारी आकाशवाणी में एक जैसा काम करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कई विशेषज्ञ समितियों ने इन संवर्गों के विलय की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों का काम मुख्यतया कार्यक्रम संयोजन, कार्यक्रम रचना और कार्यक्रम प्रबंध है। आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों/कार्यालयों मे ये आहरण और वितरण अधिकारी भी होते हैं और कुछ प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। प्रोड्यूसरों का मुख्य काम कार्यक्रम तैयार करना है और वे आकाशवाणी की विभिन्न यूनिटों म कार्यक्रमों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार लगाए जाते हैं। इस प्रकार दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का काम वास्तव में एक जैसा नहीं है, बल्कि भिन्न है ।

(ग) तथा (घ) चन्दा समिति और मसानी समिति ने बुनियादी रूप से इन दोनों संवर्गों के विलय और भविष्य मे एकीकृत आधार पर भर्ती तथा छान प्रक्रिया के पश्चात् प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों और प्रोडयुसरों के वर्तमान दोनों संवर्गों मे से व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

दूरदर्शन केंद्रों के लिये भर्ती का नया ढंग

5626. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्वनि प्रसारण विभाग को अलग करने के निर्णय के परिणामस्वरूप दूरदर्शन केन्द्रों के लिए भर्ती का नया ढंग बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका नया स्वरूप सरकारी विभाग के रूप में होगा अथवा स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में ; और

(ग) क्या भर्ती का नया ढांचा बनाने का उद्देश्य कर्मचारियों के चयन को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के लिए ही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) जैसा कि पता है सरकार ने रेडियो तथा टेलीविजन के लिये निगम बनाने के सुझावों को स्वीकार न करने का निर्णय किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी में काम करने वाले 58 वर्ष की आयु से अधिक अवधि तक बढ़ाई गई सेवा वाले प्रोग्राम अधिकारियों की संख्या

5627. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में अनेक प्रोग्राम अधिकारियों की सेवावधि 58 वर्ष की आयु से आगे बढाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं, सेवावधि बढाये जाने के क्या कारण हैं और कितनी सेवावधि बढाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) 1973 से आकाशवाणी के निम्नलिखित कार्यक्रम अधिकारियों की सेवावधि 58 वर्ष की आयु से आगे बढाई गई है क्योंकि उनकी सेवा में रखना जनहित में समझा गया :—

क्र०	अधिकारी का नाम	बढाई गई अवधि
1	श्री के० पी० शुगलू	28-9-73 से 27-9-74 तक
2	श्री रोमेश चन्द्र	12-9-73 से 11-9-74
3	श्री एस० के० त्रिपाठी	18-12-73 से 17-6-74
4	श्री एच० एल० सहगल	19-9-73 से 18-9-74

वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान खोले गये नये रेडियो स्टेशन और टेलीविजन केंद्र

5628. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कितने नये रेडियो स्टेशन खोले गये और उन पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने नये टेलीविजन केन्द्र खोले गये और उन पर कितना व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रेडियो स्टशन/ टेलीविजन केन्द्र	वर्ष	संख्या	परियोजना पर कुल अनुमानित पुंजीगत व्यय	आवर्ती व्यय 1972-73	आवर्ती व्यय 1973-74
			(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)	
रेडियो स्टेशन . .	1972-73	दो	115.90	5.23	10.88
	1973-74	शून्य	..	..	..
टेलीविजन केन्द्र . .	1972-73	दो	533.14*	33.94	81.55
	1973-74	दो	92.13*		14.03

कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास नगरों का महानगरीय स्वरूप

5629. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चार बड़े नगरों यथा कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास का महानगरीय स्वरूप बनाए रखना चाहती है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों जहां ये महानगर स्थित हैं, द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के सिद्धांत को कार्यक्रम देने से भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को नुकसान तथा तकलीफ उठानी पड़ रही है तथा एक राष्ट्र के रूप में भारतीय संघ के विचार को धीरे-धीरे खतरा पैदा हो रहा है; और

(ग) क्या बड़े नगरों का महानगरीय स्वरूप बनाए रखने तथा भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी तरह से मलियामेट होने से बचाने के लिए सरकार इन नगरों के प्रशासनिक ढांचे को बदलने को तैयार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों से लोगों को आकर्षित करने वाले इन नगरों के व्यापारिक, औद्योगिक और प्रशासनिक केन्द्रों, की वृद्धि के परिणाम स्वरूप इनके महानगरीय स्वरूप का विकास हुआ है। जबकि सरकार कुछ प्रदेशों द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के सिद्धांत से अवगत है, किसी महानगरीय स्वरूप की ऐसी वृद्धि पर कोई प्रतिबन्ध लगाना केन्द्रीय सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों की नीति नहीं रही है। सन् 1968 में की गई राष्ट्रीय एकता परिषद् की यह सिफारिश कि स्थानीय लोगों को पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराये जाये, सभी सम्बन्धित सरकारों के ध्यान में लाई गई थी। सरकार इन नगरों के प्रशासनिक ढांचे को बदलना आवश्यक नहीं समझती। भाषाई अल्पसंख्यकों के यथार्थ हितों के संरक्षण के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त और राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क रखती है।

*इसमें पश्चिम जर्मनी से उपहार स्वरूप प्राप्त टेलीविजन उपकरणों की 130 लाख रुपए की कीमत शामिल नहीं है।

उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी

5630. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अनेक लघु उद्योगों को कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस बारे में राज्य सरकार अपने को असहाय अनुभव करती है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ जिले में 18 महीने पूर्व खोले गए कोहनूर प्लास्टिक उद्योग की आरम्भ से ही कच्चे माल का अपना कोटा नहीं मिला है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में कच्चे माल की सामान्य रूप से कमी है। छोटे कारखानों को कच्चे माल का अतिरिक्त आबंटन जो कि उपलब्धता पर निर्भर करता है, करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

(ख) कच्चे माल के आबंटन के लिए मे० कोहनूर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज का आवेदनपत्र मंत्रालय को मिल चुका है।

दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में आन्तरिक टेलीफोन व्यवस्था

5631. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अधिकांश कार्यालयों में आन्तरिक टेलीफोन व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या ऐसे कार्यालयों में एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग के बीच और एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच बातचीत डाक-तार विभाग के टेलीफोन पर ही होती है ;

(ग) ऐसे कार्यालयों की संख्या कितनी है और उनमें डाकतार विभाग के कितने टेलीफोन लगे हुए और उनके टेलीफोन बिल की राशि कितनी होती है ; और

(घ) इन कार्यालयों में टेलीफोन बिल की भारी राशि में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली के अधिकांश केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में आन्तरिक टेलीफोन व्यवस्थाएं की गई हैं जिन्हें प्राइवेट आटो एक्सचेंज (पी० ए० एक्स०) प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पी० बी० एक्स०) और प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (पी० ए० बी० एक्स०) कहा जाता है। प्राइवेट आटो एक्सचेंज तो इससे दिए गए विभिन्न एक्सटेंशन कनेक्शनों के बीच आपसी संचार के लिए ही बनाए गए हैं और इनके एक्सटेंशन कनेक्शनों से सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था के किसी टेलीफोन के साथ बातचीत नहीं की जा सकती। प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज और प्राइवट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंजों में जहां उनके एक्सटेंशनों में आपसी संचार हो सकता है वहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली के किसी टेलीफोन के साथ बातचीत भी हो सकती है। प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंजों में सार्वजनिक टेलीफोन, टेलीफोन आपरेटरों के माध्यम से मिलते हैं और प्राइवेट अटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंजों में आमतौर से '0' (जीरो) नम्बर डायल करने के बाद केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पी० ए० एक्स०/पी० बी० एक्स०/पी० ए० बी० एक्स० लगाने की मांगें प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही हैं।

(ग) इसके आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। प्रशासनिक मंत्रालय या संबंधित विभाग को ही यह फैसला करना होता है कि उन्हें पी० ए० एक्स०/पी० बी० एक्स०/पी० ए० बी० एक्स० में से किस प्रकार के एक्सचेंज की जरूरत है। जिस प्रकार के एक्सचेंज की मांग होती है डाक-तार विभाग उसी एक्सचेंज की व्यवस्था कर देता है।

(घ) संबंधित मंत्रालय या विभाग ही टेलीफोन के बिल कम राशि के आएं, इसके लिए टेलीफोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखता है ।

पुरी पोस्टल डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन केंद्रों का खोला जाना

5632. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में उड़ीसा सर्किल के पुरी पोस्टल डिवीजन के अन्तर्गत किन किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए; और

(ख) वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान पुरी पोस्टल डिवीजन के अधीन किन किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पुरी डाक डिवीजन के जिन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1971-72 :

1. बाघमरी
2. बोलगढ़
3. राजसुनखला
4. कुहुरी
5. भुसंडपुर
6. सिंगपुर
7. रामचंदी

1972-73 :

1. हरेकृष्णपुर
2. ओडा गांव
3. बहडा झोला

1973-74 :

1. सिंगीपुर
2. मानिकगोडा
3. बलंगा
4. श्रीरामचन्द्रपुर

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान पुरी डाक डिवीजन में नीचे लिखे स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है :—

1. खांडागिरि
2. लासिंगी

वर्ष 1975–76 का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

उड़ीसा में टेलीफोन के लिये प्रतीक्षा सूची

5633. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची के बारे में 6 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में टेलीफोन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) उड़ीसा की ये मांगें कब तक पूरी हो जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस बात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जहां 'एक्सचेंज-क्षमता' उपलब्ध हो वहां अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जांये और दूसरे स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जांये ताकि प्रतीक्षासूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकें ।

(ख) 31-12-1973 को प्रतीक्षासूची में 1299 अर्जियां दर्ज थी इनमें से पिछले तीन महीनों के दौरान करीब 300 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं । शेष में से करीब 400 को इस वर्ष के दौरान टेलोफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है । बाकी के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों का अतिरिक्त विस्तार करने की योजनाएं बनानी पड़ी हैं और ऐसी संभावना है कि दिसम्बर 1973 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवदकों में से अधिकांश को औसतन ढाई साल की प्रतीक्षा-अवधि के अन्दर टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ।

वर्ष 1974-75 के लिये उड़ीसा के लिये योजना परिव्यय

5634. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए वर्ष 1974–75 के लिए कुल कितनी योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है ; और

(ख) इसमें केन्द्रीय सहायता का अंश कितना होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) उड़ीसा की वार्षिक योजना 1974–75 के लिए 71.24 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया जा चुका है। यह भी तय हो गया है कि इसमें 32.70 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के होंगे और 38.54 करोड़ रुपये राज्य अपने संसाधनों से सुलभ करेगा।

वर्ष 1974-75 के लिये पंजाब की वार्षिक योजना

5635. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के लिए पंजाब की वार्षिक योजना के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया हैं ;

(ख) कच्चे माल और उर्वरकों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1974–75 में थीन बांध के लिए कोई प्रावधान किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पंजाब की वार्षिक योजना 1974–75 की स्वीकृति परिव्यय राशि 107.87 करोड़ रुपया है।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों और विकास क्षेत्रों के लिए सम्पूर्ण योजना संसाधनों का आबंटन करते समय विभिन्न कार्यक्रमों की निवेश और कच्चे माल की जरुरतों का ध्यान रखा जाता है, किन्तु सामान्यत: योजना आयोग द्वारा प्रत्येक घटक, जैसे कच्चा माल और उर्वरक के लिए अलग-अलग धन निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) क्योंकि थीन को अभी विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, अत: वर्तमान स्थिति यह है कि इस परियोजना के लिए 1974-75 की योजना में परिव्यय नहीं रखा गया है। जब इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तब ही योजना आयोग वित्त मंत्रालय और पंजाब सरकार के साथ परामर्श करके इसके लिए संसाधन जुटाने के प्रश्न पर विचार करेगा।

उद्योगों में इंधन की लागत कम करने के लिये धमन भटटी स्लैग को इन्सुलेटिंग वूल में परिवर्तित करना।

5636. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सुलेटिंग सामान के एक प्रमुख निर्माता ने उद्योगों में ईंधन की लागत कम करने और स्लैग का निपटान करने की समस्या का समाधान करने के लिए धमन भट्टी स्लैगं को इन्सुलेटिंग वूल में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) जमशेटपुर स्थित एक फर्म तथा उसकी सहयोगी दुर्गापुर की फर्म ब्लास्ट फरनेंस स्लैग के प्रयोग से जो यहां स्थित इंटीग्रटेड इस्पात संयंत्र का एक उप उत्पाद है, स्लैग वूल बनाती है। ब्लास्ट फरनेंस स्लैग को चुना पत्थर वोलेस्टोनाइट आदि फ्लक्सिग सामग्रियों से गलाकर तथा गली हुई वस्तु को सेंटीफ्यूगल स्पिनर्स फाइब्राइजिंग करने की प्रक्रिया द्वारा स्लैग वूल बनाया जाता है। विद्युत संयंत्रों धातुकार्मिक संयंत्रों, रसायन संयंत्रों, तेल शोधक कारखानों आदि में ताप हानि कम करने हेतु इन्सुलेटिंग सामग्री के रूप में स्लैग वूल का उपयोग होता है।

जामनगर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र

5637. **श्री डी० पी० जवेजा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में जामनगर शहर के लिये टेलीफोन कनेक्शनों हेतु सरकार के पास बहुत से आवेदन पत्र अभी तक विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार वहां के लोगों की मांग को पूरा करने के लिये जामनगर में एक और एक्सचेंज खोलने का विचार कर रही है और यदि हां, तो इसे कब तक खोला जायेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जामनगर में दो मैनुअल एक्सचेंज हैं। चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2686 है और 31-12-1973 को 1590 अर्जियां प्रतीक्षा सूची में दर्ज थीं।

(ख) और (ग) वर्तमान एक्सचेजों पर यातायात का बोझ बहुत अधिक है। जामनगर में मौजुदा मॅन्युअल एक्सचेंजों के बदले में पर्याप्त क्षमता वाला आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। भवन तैयार हो रहा है और साज-सामान की सप्लाई की जा रही है। 4000 लाइनों की क्षमता वाला यह एक्सचेंज 1975-76 से काम शुरु कर देगा। उसके बाद लगभग एक वर्ष में ही 1000 लाइनें और बढ़ा दी जाएंगी।

गोआ में लोह अयस्क परियोजना स्थापित करना

5638. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान गोआ में लोह अयस्क परियोजना स्थापित करने की गोआ ने मांग की है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम रहे ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) लौह-अयस्क परियोजना का गोआ सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हूआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस जारी रखना

5639. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए लाइसेंस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 के लिए केरल में पिछड़े क्षेत्रों के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे ; और

(ग) ये उद्योग किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, उन उद्योगों के नाम क्या है और वे कहां कहां पर स्थापित किए गए है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) वर्ष 1973 और 1974 की अवधि (फरवरी तक) में केरल राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 4 औद्योगिक लाइसेंस और 7 आशय पत्र जारी किए गए।

(ग) चुंकि औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के पश्चात् उपक्रम स्थापित करने में आम तौर पर तीन से चार वर्ष तक का समय लगता है, यह आशा करना समय पूर्व होगा कि जिन उपक्रमों के लिए 1973 और 1974 (फरवरी तक) औद्योगिक लाइसेंस / आशय–पत्र जारी किए गए है में वास्तव में उत्पादन शुरु हो गया होगा। अत: ये औद्योगिक लाइसेंस/आशय–पत्र कार्यान्वियन की विभिन्न दशाओं में हैं।

केरल के लिए वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना

5640. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक विभाग अर्थात् उद्योग, कृषि, शिक्षा, परिवहन तथा श्रम कल्याण हेतु कितना आबंटन किया गया हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में केरल सरकार द्वारा की गई मांगों में ये आबंटन कितने कम हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने 1974–75 के लिए कुल 101.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का योजना प्रारुप प्रस्तुत किया है, जिसमें, जैसा कि संलग्न विवरण में क्षेत्रीय परिव्यव प्रस्तावित किए गए हैं, योजना के समस्त आकार तथा 1974–75 के क्षेत्रीय परिव्यय पर अंतिम निर्णय, राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच विभिन्न स्तरों पर हुए विचार–विमर्श को ध्यान में रखते हुए, अभी लिया जाना है। **[ग्रंथालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी० 6615/74]**

ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत केरल को दिए गए ऋण

5641. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत केरल राज्य को वर्ष 1972–73 और 1973–74 में कुल कितना ऋण दिया गया और इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किए गए औद्योगिक एककों की संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1973–74 में राज्य में ऐसे कितने औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केरल राज्य को वर्ष 1972–73 और 1973–74 की अवधि में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऋण के रूप में क्रमश: 22.79 लाख रुपये और 13.46 लाख रुपये दिये गये थे।

मार्च 1973 के अन्त तक राज्य में विकसित होने के लिये 321 औद्योगिक एककों की सहायता की गई।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1973–74 में स्थापित किये जाने वाले एककों की संख्या राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली केन्द्रीय ऋण की मात्रा, वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध होने वाली ऋण सुविधाओं, आगे आने वाले नये उद्यमियों, उद्यमियों के अपने वित्त, कच्चे माल की उपलभ्यता और राज्य सरकार के सामान्य कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी।

केरल के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन

5642. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने डाकघर ऐसे हैं जहां अब तक सार्वजनिक टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं ;

(ख) इन डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन कब तक लगा दिये जायेंगे ;

(ग) क्या ऐसे भी डाकघर हैं जिनमें तार संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं लेकिन वहां टेलीफोन नहीं हैं ; और

(घ) ऐसे डाकघरों की संख्या क्या है और ये किन स्थानों पर हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ऐसे डाकघरों की संख्या 2625 है।

(ख) प्रत्येक डाकघर में पी० सी० ओ० लगाने की कोई नीति नहीं है। पी० सी० ओ० तभी लगाये जाते हैं जबकि आर्थिक दृष्टि से उनका औचित्य सिद्ध होता है या फिर डाकघर ऐसे स्थानों में खुले हों जो समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन घाटे के संबंध में रियायत पाने की श्रेणी में आते हों।

(ग) जी हां।

(घ) ऐसे डाकघरों की संख्या 34 है और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

विवरण

केरल में उन डाकघरों के नाम जिनमें तार सुविधायें तो उपलब्ध हैं लेकिन टेलीफोन सुविधाएं नहीं हैं :—

1. अलूर	2. अंबाला वायल
3. अंबाला मुधल	4. अंबाला बेडू
5. बूथाकुलम	6. कोचीन नवल बेस
7. चेला	8. चल्लायन्नम्
9. चेलेम्बा	10. धानुवाचापुरम्
11. एल्लाछुटी	12. एडाथाला
13. एलामकुंपुजा	14. इसरो
15. कारा पारंबा	16. कुठिरा वट्टम
17. कूनाभावु	18. कुलुकल्लुर
19. कारुवारा कुंडू	20. मारारी कुलम्
21. मेट्टम्	22. मुदावूर
23. मेलारकोड	24. नेदूमकंडम्
25. पल्लियार	26. पुल्लिचीर
27. पट्टी काड.	28. रामवरम्पुरम्
29. सुरियानाल्ले	30. श्रीकृष्णपुरम्
31. थाली ईस्ट	32. त्रिवेंद्रम् केन्टोनमेंट गवर्नर्स कैंप
33. वल्ली कुन्नम्	34. विल्लाथूर

राज्य विधान सभा को भंग करने के संबंध में निकाले गए जलूस में भाग लेने वाले गुजरात में केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

5645. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात विधान सभा को भंग करने के बारे में 2 मार्च, 1974 को निकाले गए जलूस में भाग लेने के कारण गुजरात में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी गिरफ्तार किए गए ;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी रिहाई के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) स (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में प्रशासनिक सुधार समितियों को निलंबित करना

5646. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्त की गई राज्य प्रशासनिक सुधार समिति को निलंबित कर दिया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्त की गई सभी समितियों को भंग करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् किन्तु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशासनिक सुधार समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को सूचित कर दिया गया है कि राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए आगामी छः महीनों में अथवा इसके आसपास समिति की बैठक बुलाना संभव नहीं होगा।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

5 मार्च, 1974 से गुजरात में गोलीबारी की घटनायें

5647. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 मार्च, 1974 स गुजरात में गोलीबारी की घटनायें कम होनी शुरु हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो 5 मार्च 1974 स गोलीबारी की कितनी घटनायें हुई हैं; और कितन व्यक्ति मारे गये हैं ;

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये सभी छात्रों तथा लोगों को रिहा कर दिया गया है ; और

(घ) क्या वहां पर मरने वाले सभी पुलिस कर्मचारियों को मुआवजा दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

27 फरवरी, 1974 को नागाओं द्वारा अपहृत किये गये आसाम वासियों की रिहाई

5648. **श्री निहार लास्कर** :

श्री तरुण गोगोई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से छः आसाम बासियों जो 27 फरवरी, 1974 को जब वे अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे नागाओं द्वारा अपहृत कर लिए गए थे, की शीघ्र रिहाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन की रिहाई कर दी गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, क्या कार्यवाही की जा रही है।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) असम सरकार ने असम में नागालैण्ड पुलिस के तथाकथित अतिक्रमण और 26 फरवरी को छः असमियों की गिरफ्तारी के बारे में नागालैण्ड सरकार को एक शिकायत की है। नागालैण्ड पुलिस ने 28 फरवरी, 1974 को गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करे दिया था।

(घ) असम सरकार ने दोनों राज्यों के बीच मैत्री पूर्ण तथा अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध बनाये रखने के हित में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए नागालैण्ड सरकार से अनुरोध किया है।

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी का भारतीयकरण

5649. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी का पूरी तरह से भारतीय करण करने को कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

5650. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :
श्री बरके जार्ज :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विभिन्न राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के लिए अब तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) निपटाये जा चुके तथा विचाराधीन आवेदन पत्रों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6616/74]**

दरभंगा डाक डिवीजन के अधीन शाखा पोस्टमास्टरों का चयन

5651. श्री भोगेंद्र झा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग के दरभंगा डिवीजन के अधीन पाजे (बरास्ता मानीगच्ची), वालौर (बरास्ता मालीअच्ची), पैयाम (बरास्ता झांझरपुर), पाधोपुर, बलात (बरास्ता पाम्पत्ती), गोरोर (बरास्ता पुटई), और जोगियारा (बरास्ता लहेरिया सराय) के शाखा पोस्टमास्टरों के लिए अपेक्षित अर्हता-प्राप्त कितने उम्मीदवारों ने अपने आप को प्रस्तुत किया था और क्या योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा करके कम अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों को शाखा पोस्टमास्टर के पदों के लिए चुन लिया गया था ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; क्या किसी को जिम्मेदारी तय की गई है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय म राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जिन उम्मीदवारों ने शाखा पोस्टमास्टरों के तौर पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तें पूरी की उनको संख्या इस प्रकार है :—

शाखा डाकघर का नाम	उम्मीदवारों की संख्या
राजे (पाजे नहीं)	2
बालौर	1
रैयाम (पैयाम नहीं)	3
राधोपुर बलात (पाधोपुर बलात नहीं)	1
गरौल (गोरोल नहीं)	2
जोगियारा	3

सिर्फ गरौल शाखा डाकघर में विभागेतर शाखा पोस्टमास्टर की नियुक्ती के संबंध में एक शिकायत पटना के पोस्टमास्टर जनरल को प्राप्त हूई थी, जिसपर गौर किया जा रहा है।

पांचवीं योजना में कर्नाटक के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें

5652. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें कौन-कौन सी हैं; और

(ख) ये योजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवी योजना के अन्तर्गत कर्नाटक और अन्य राज्यों के केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में शामिल स्कीमों पर इस समय मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और इनका निश्चय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अपनी आगामी बैठक में किया जायेगा।

केंद्रीय सचिवालय सेवाओं में रिक्त पड़े उच्च श्रेणी लिपिकों और सहायकों के अस्थायी और स्थायी पद

5653. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्त पड़े या कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-11-73 सी० एस० (11), दिनांक 7 जनवरी 1974 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार न भरे गए उच्च श्रेणी लिपिकों के अस्थायी तथा स्थायी पदों की संवर्गवार संख्या 1 मार्च, 1974 को कितनी थी ; और

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अस्थायी तथा स्थायी सहायकों की, संवर्गवार पदों की संख्या 1 मार्च, 1974 को कितनी थी जो रिक्त पड़े हैं या भरे नहीं गए ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग और केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड संवर्ग, विकेन्द्रीकृत संवर्ग है, इसलिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे संवर्ग प्राधिकारियों से एकत्रित किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

टाईप परीक्षा पास न करने वाले केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के लोअर डिविजन क्लर्कोंको छूट

5654. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में 1 मार्च, 1974 को ऐसे कितने लोअर डिविजन क्लर्क थे जिन्होंने टाईप परीक्षा पास नहीं की और न ही जिन्हें उससे विशेष रूप से छूट दी गई है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

लोअर डिवीजन क्लर्कों की अपर डिवीजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नति

5655. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधारविभाग द्वारा अपने पत्र संख्या ओ० एम० नं० 11/11/73—सी० एस० (II), दिनांक 7 जनवरी, 1974 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, संवर्ग-वार, कितने लोअर डिवीजन क्लर्क हैं जो अपर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में अब तक पदोन्नत नहीं किये हैं; और

(ख) ऐसे संवर्गों में उन्हें पदोन्नत करने के लिये जहां इसके पात्र व्यक्ति नहीं है लेकिन अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड के रिक्त स्थान हैं, क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा एक विकेन्द्रीकृत सेवा है और सामान्यतया इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/11/73—के० से० (II) दिनांक 7 जनवरी, 1974 के द्वारा जिन व्यक्तियों को जोन (अर्थात् वरिष्ठता की रेंज) में लाया गया है और जो उस सेवा के किसी संवर्ग विशेष में कार्य कर रहे हैं, उनके संबंध में उस संवर्ग की उपलब्ध रिक्तियों में उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। फिर भी, यदि उन्हें उनके संवर्ग में रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, तो अन्य संवर्गों में उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर, जब कभी ऐसे संवर्गों द्वारा जिनमें पदोन्नति के लिए पात्र अवर श्रेणी लिपिक उपलब्ध नहीं होते, रिक्तियों की सूचना दी जाती है तो उसके नामों पर विचार किया जाता है।

केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में लोअर डिवीजन क्लर्कों को सेवा समाप्त करने संबंधी दिये गये नोटिस

5656. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्क कितने हैं जिन्हें कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापन संख्या 8/24/75—सी० एस० (II) दिनांक 21 जुलाई, 1973 के अनुदेशों के अनुसार सेवा समाप्त करने संबंधी नोटिस दिये गये थे; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने 1 मार्च, 1974 को टाईप परीक्षा पास कर ली है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

10—10 LSS(ND)/74

कलकत्ता-दिल्ली ट्रंक लाइन

5657. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता का ट्रंक डिविजन तथा कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज से दिल्ली के लिए टेलीफोन मांग लाइन अधिकांश अवसरों पर बन्द अथवा निष्क्रिय होती है ;

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात का भी पता है कि इस ट्रंक डिवीजन मॉनिटर प्रायः टैलीफोन प्रयोक्ताओं का ध्यान नहीं रखते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी व्यापक जांच का प्रबंध किया जा सकता है जिससे सेवा स्तर सहित टेलीफोन प्रयोक्ताओं तथा टेलीफोन विभाग के बीच संबंध सधारे जा सकें अथवा मजबूत बनाये जा सकें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, जब ट्रंक मार्गों पर व्यवधान होता है, तब "डिमाण्ड ट्रंक सेवाएं" चालू रखना सम्भव नहीं होता। ऐसे मौकों पर कालें बुक की जाती हैं और वे सामान्य ढंग से लगाई जाती हैं। अलबता ऐसे मौके ज्यादा नहीं होते।

(ख) यह पता कर लिया गया है कि इस संबंध में कोई खास शिकायतें नहीं आई हैं।

(ग) संचार मंत्री तथा डाक-तार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कलकत्ता गए थे और उन्होंने स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया था तथा कलकत्ते की टेलीफोन सेवा में आगे और सुधार लाने के लिए कई तौर-तरीके अपनाने के सुझाव दिए हैं।

'मराठा' के नई दिल्ली स्थित संवाददाता के प्रेस कार्ड का नवीकरण

5658. श्री लुतफल हक : क्या **गृह** मंत्री 13 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4282 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सुरक्षा/आसूचना एजेंसी ने जनवरी, 1972, 1973 के आसपास प्रेस सूचना विभाग को 'मराठा' के नई दिल्ली स्थित संवाददाता के प्रैस कार्ड का नवीकरण न करने के लिये कहा था ;

(ख) क्या सरकार की प्रेस सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निराधार आरोप लगाये जाने के बारे में वर्ष 1972 में या इस वर्ष कोई अभ्यावेदन मिला था ; और

(ग) संवाददाताओं तथा निर्दोष नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 'मराठा' के नई दिल्ली सम्वाददाता श्री चौधरी से सन् 1972 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उक्त अभ्यावेदन में निहित आरोप निराधार पाये गये।

आसाम में डाकघरों को खोलना

5659. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1972 से लेकर मार्च, 1973 तक की अवधि तथा वर्ष 1973–74 में आसाम में कितने डाकघर खोले गये हैं ; और

(ख) जन संख्या तथा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तुलना में ये डाकघर कितने हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) असम में खोले गए डाकघरों की संख्या :

अप्रैल 1972 से मार्च, 1973 तक	78
वर्ष 1973–74 के दौरान	26

(ख) असम राज्य और दूसरे राज्यों में प्रति डाकघर से डाक-सेवाएं प्राप्त करने वाली औसत आबादी और क्षेत्र नीचे लिखे अनुसार हैं :—

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रति डाकघर औसत	
	क्षेत्र वर्ग कि०मी०	आबादी
असम	32	5960
अरुणाचल	797	4400
मणिपुर	67	3210
मेघालय	87	3830
नागालैण्ड	151	4770
त्रिपुरा	27	4170
मिजोरम	153	2370
आन्ध्र	20	3100
बिहार	19	6180
दिल्ली	4	10,760
गुजरात	27	3720
दादरा-नागर हवेली	44	6740
जम्मू-कश्मीर	133	4600
कर्नाटक	22	3430
केरल	10	5550
एल० एम० ए० द्वीप समूह	3	3180
मध्य प्रदेश	71	6710
महाराष्ट्र	32	3350
गोवा, दमन, दीउ	24	5230
उड़ीसा	27	3950
पंजाब	15	3360
हरियाणा	21	3580
हिमाचल प्रदेश	32	1580
चण्डीगढ़	4	7140
राजस्थान	46	3440
तमिलनाडु	12	3790
पांडिचेरी	5	5610
उत्तर प्रदेश	20	6060
पश्चिम बंगाल	14	6930
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	176	2450

Institutions preparing Project Reports

5660. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the technical institutions, other than the Maruti Consultancy Services, functioning in the country which assist in the preparation of the project reports?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : A Statement showing the names of individuals/firms enlisted with the Ministry of Industrial Development for Consultancy Engineering is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 66/7/74].** Not all the concerns/individuals operating in this field have enlisted themselves with the Ministry.

गुजरात में आन्दोलनों के कारण उद्योगों को हानि

5661. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में आन्दोलनों के कारण सभी उद्योगों को सामान्य कार्य करना असम्भव हो गया था ; और

(ख) इसके परिणामस्वरुप राज्य में उद्योगों को कितनी हानि हुई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) गुजरात में अस्तव्यस्त स्थिति के कारण विभिन्न औद्योगिक उपक्रम प्रभावित हुए हो सकते हैं, इसकी वजह से हुई हानि का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने की प्रक्रिया में सुधार

5662. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने की प्रक्रियाओं में और सुधार करते हुए अब तक नया समेकित और युक्तिसंगत आवेदन फार्म निकाला है जिसके अनुसार अब उद्यमकर्ता को अलग-अलग चार फर्म भरने पड़ते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हाँ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदनों के लिए पहिले चार प्रकार के प्रपत्र निर्धारित थे। नए कारखाने, नई वस्तु, पर्याप्त विस्तार विदेशी सहयोग व पूंजीगत वस्तुओं के आयात को ध्यान में रखकर उद्यमी को इन में से एक प्रपत्र को भरना पड़ता था। इन प्रपत्रों के स्थान पर सरकार ने एक नया प्रपत्र निर्धारित किया है। नए प्रपत्र ने पुराने प्रपत्रों को समेकित, सरल तथा युक्तिसंगत कर दिया है तथा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक लाइसेंसो के लिए, आवेदन करते समय उचित प्रपत्र चुनने में उद्यमियों के सामने आने वाली उलझनों को हटाने का प्रयास इस प्रपत्र में किया गया है।

विविधीकरण के अन्तर्गत कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिये सी० ओ०बी० लाइसेंस जारी करना

5663. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए सी ओ बी लाइसेंस जारी किए हैं जिनका उत्पादन पहले विविधीकरण के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा किया जा रहा था;

(ख) उक्त विविधीकरण की अनुमति किसने दी ;

(ग) अनुमति देने वाले प्राधिकरण पत्र में किन किन वस्तुओं, कितनी क्षमता की अनुमति दी गई और उक्त पत्र की संख्या तथा तिथि क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा 27 मई, 1969 को जारी की गई अधिसूचना अभी भी लागू है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग): 27-10-66 के प्रैस नोट की शर्तों के अनुसार (प्रति संलग्न है) **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 6618/74]** औद्योगिक उपक्रमों को बिना किसी लाइसेंस के नई वस्तु बनाने के लिए उत्पादन में विविधीकरण करने की स्वतंत्रता दी गई थी--बशर्ते :

(क) देश में उपलब्ध छोटे संतुलन उपकरणों के सिवाय किसी भी अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी की स्थापना करनी हो।

(ख) जिनमें विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त व्यय शामिल न हो।

(ग) विविधीकरण कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो ; और

(घ) विविधीकरण में ऐसी विशिष्ट वस्तुएं शामिल नहीं होनी चाहिए जो लघु उद्योगों के संरक्षण के विचार से मूल सूची में दी गई हो।

जुलाई, 1970 में घोषित नई लाइसेंस नीति लागू होने से बड़े गृहों अधिपत्य वाले उपक्रमों और विदेशी कम्पनियों जैसे उपक्रमों की कतिपय श्रेणियों को औद्योगिक लाइसेंसों से छूट नहीं दी गई थी। अन्य बातों के साथ छूट की अवधि में विविधीकरण के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं के लिए ऐसी कम्पनियों को कार्य जारी रखने (सी० ओ० बी०) के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। केवल विविधीकरण की वस्तुओं के कार्य जारी रखने वाले लाइसेंसों के अलग से आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा समय समय पर वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रीयल लाइसेंसेज/इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज इण्डियन ट्रेड जर्नल और जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है।

(घ) अनुमानतः यह भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायनिक तथा खनिज एवं धातु मंत्रालय (रसायनिक विभाग) की अधिसूचना सं० 3(3)/65 कैमि०-3, दिनांक 27 मई, 1969 के संदर्भ में है।

यह अधिसूचना मूल औषधियां बनाने वाले उपक्रमों से संबंधित थी क्योंकि अधिसूचना जारी करते समय सरकार की चालू नीति मूल औषधियां बनाने वाले को लाइसेंस जारी करते समय उसमें निर्माण क्षमता का उल्लेख करना था ताकि भिन्न फार्मूलों द्वारा निर्माण के शेष कार्य को सम्पन्न किया जा सके।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कानपुर के एक गोदाम से हजारों बमों के बरामद किये जाने का समाचार

Shri Shashi Bhushan (South-Delhi): Sir, I call the attention of the Minister of Home to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported recovery of thousands of live bombs from a godown in Kanpur".

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 29-3-1974 को प्रातः लगभग 9 बजे जिला कानपुर में पुलिस सर्कल छावनी के अन्तर्गत मोहल्ला हरजेन्द्र नगर में बसन्त लाल का अहाथा नामक एक स्थान से विस्फोट का एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसके बाद वहां से धुए के बादल निकले । यह स्थान चकेरी हवाई अड्डे और हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि० फैक्ट्री के पास है । स्थानीय पुलिस तुरन्त वहां पहुंची और इन स्थानों में काम कर रहे दो श्रमिकों को गम्भीर रूप से जख्मी पड़े पाया । उनमें से एक का नाम रामजीवन था जो इसके बाद तुरन्त मर गया और दूसरा, माया राम, चिन्ताजनक हालत में अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है । जब दुर्घटना हुई तो ये दोनों श्रमिक शेलों से विस्फोटक पदार्थ को बाहर निकालने के काम में लगे हुए थे । उक्त भवन की तलाशी लेने पर पुलिस ने 414 शैल, 2500 खाली शैल जिनसे विस्फोटक पदार्थ निकाल दिया गया था, 639 ढक्कन (केप) तथा लगभग 5 मन विस्फोटक पदार्थ जो शायद शैलों को खाली करके निकाला गया था बरामद किया गया ।

भवन के मालिक श्री पारस का अभी तक पता नहीं लगा है । कानपुर में उसके भवन की भी तलाशी ली गई परन्तु वहां कुछ नहीं मिला ।

सुराग प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस ने 31-3-1974 को प्रातः कालपी रोड पर स्थित कानपुर टेनरीज में एक अन्य स्थान पर छापा मारा । इस स्थान का मालिक श्री श्रीराम गुप्ता है जो फरार था । परन्तु उस स्थान से उसका लड़का श्री गोविन्द कुमार गुप्ता तथा दो कथित सहयोगी कृपा शंकर तथा राधे श्याम को गिरफ्तार किया गया था । उस स्थान से कुल मिलाकर 466 चालू शैल तथा 643 खाली शैल (डी-चार्जड) बरामद किए गए थे ।

मालूम हुआ है कि इन दोनों स्थानों को जहां से गोलाबारूद बरामद किया गया था कबाड़ के गोदाम के रूप में प्रयोग किया जाता था और बताया जाता है कि इनके मालिक कबाड़ी माल के व्यापारी थे जो आर्डनैन्स डिपो से निकले हुए ऐसे कबाड़ी माल को लेने का काम करते थे ।

स्थानीय पुलिस द्वारा शैलों की प्रारम्भिक जांच से यह सन्देह हुआ कि भारतीय सेवा की आर्टिलरी यूनिटों में इन शैलों का प्रयोग किया जाता था तथा सामान्य परिस्थितियों में यह सामग्री अनधिकृत व्यक्तियों को कबाड़ी माल के रूप में बेची अथवा सौंपी नहीं जानी चाहिए थी । सेना के स्थानीय अधिकारियों को तुरन्त सूचित किया गया और उनके सहयोग से जांच पड़ताल की जा रही है । स्थानीय पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अधीन दो मामले दर्ज किए हैं । मामलों की जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक वरिष्ठ अधिकारी जांच में उनकी सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है और यह प्रश्न सरकार के

विचाराधीन है कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच पड़ताल के लिए इस मामले को हाथ में लेना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : रक्षा मंत्री को इस समय उपस्थित होना चाहिये था । कानपुर में हजारों रक्षा कर्मचारी हैं जिन्हें अकारण ही परेशान किया गया है । रक्षा मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बन) : रक्षा मंत्री को उपस्थित होना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात रक्षा मंत्री तक पहुंचा दूंगा । श्री शशिभूषण ।

Shri Shashi Bhushan (South-Delhi) : Shri Paras is still absconding, he has not been traced till now. He could have been traced, had the Police wanted to trace him out. Recovery of the Shells reveal that they are meant for use in the Artillery units of the Indian Army and this material should not have been sold or handed over to any unauthorised person as junk. Explosive contents from these shells are taken out and are utilised in manufacturing cartridges.

It is really surprising that, even after having maximum precautions to protect the armaments factories and material therein, as to how such arms are found with unauthorised junk dealers. When enquiry is conducted, on record such material is found as used material. Anti aircrafts gun sells and antitank bombs found with the junk dealers are shown as used by the army in practice. Such dealers are the traitors and they should be given harsh punishment.

Sir, this question requires serious considerations. The case should be referred to CBI for enquiry, I would also like to request the lawyers not to plead the cases of such traitors. These people are a danger to the security of the nation. I will again request that this case should be handed over to CBI for enquiry and the persons, whosoever he may be, found guilty should be arrested.

Shri Uma Shankar Dixit : We have produced all the information so far available with us. The Government of Uttar Pradesh would extend all possible help in this regard. On the request of U. P. Government, a Senior officer of the CBI was deputed to U.P. to help them in their investigation. The Question regarding handing over the case to CBI will be considered after the report from U.P. Government is received.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dauga) : Sir, the recovery of live Shells from two Kanpur godowns is a serious matter. It does not matter whether the investigation is made by CBI or by UP Government, the important thing is that facts of the case should be brought to light.

The Hon. Minister has said that these shells were for use in Artillery units of Indian Army. I want to know as to how these shells were taken out from the godowns of the Army and were recovered from the house of a junk dealer. May I also know whether these shells were sold as junk and if so, the names of the officers who are guilty of negligence. Is there any conspiracy regarding these shells. The recovery of bombs reveals the planned conspiracy which was a danger to the Security of the nation.

May I know whether the Hon. Minister is confident that these bombs have been taken out from ammunition depot and if so, the name of the Depot.

Thirdly, I want to know whether the people who are absconding have any relations with certain high-ups and if so, the names of those people. Besides this I would also like to know whether the property of such people have been seized and whether the government have taken any stringent legal measure against these people.

Shri Uma Shankar Dixit : Sir, we have already produced the report we have received from the Uttar Pradesh Government. As regards his other questions, it is not possible for me to say anything unless the investigation is complete. Any way, this is a serious matter and it should be taken immediately with all the seriousness.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये था क्योंकि यह मामला उन्हीं से अधिकांशता सम्बन्धित है । इस मामले में श्रमिकों को दोषी ठहराने का प्रयत्न किया गया है तथा उनको बचाने का प्रयत्न किया गया है जो वास्तव में दोषी हैं ।

एक वर्ष पूर्व कलकत्ता में डायनामाईट की 1800 छड़े पकड़ी गयी थी । यह मामला यहां भी उठाया गया था परन्तु सरकार ने कहा कि सदन को सूचित कर दिया जायगा । परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । ये छड़े कौन लाया, कहां से आयी, किस प्रकार आयीं तथा किस प्रयोजन से लाई गयीं और क्या कार्यवाही की गई? मैं इन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं ।

दुर्गापुर में एक कमरे में एक पाकिस्तानी हथगोला फेंका गया । बहुत से कर्मचारियों को चोट आई । हमने गृह मंत्री महोदय को इस घटना की सूचना दी परन्तु इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में भी 10,000 कारतूस पकड़े गये । उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी हथियार पाये गये । इस बारे में भी कुछ नहीं किया गया ।

कानपुर के इस मामले में मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से कोई बात-चीत की है और अपने मंत्रालय को प्रत्येक प्रकार के गोला-बारूद की उपयुक्तता अवधि के बारे में बताने का प्रयास किया है । बहुत से अधिकारी पैसा बनाने के उद्देश्य से नीलामी में रूचि रखते हैं । सरकार अहिंसा की बात करती है दूसरी ओर अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने मित्रों को हथियार उपलब्ध कराने का आश्वासन देती है । क्या गोला-बारूद की नीलामी बन्द करने के लिये रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ? क्या उन्हें अलौह धातुओं का प्रयोग करने के लिये कहा गया है ? श्री शशिभूषण ने इस प्रकार के गोला-बारूद से रिवालवर बनाने की बात कही है । इससे रिवालवर कभी भी नहीं बनाये जा सकते हैं । आज देश में इस प्रकार का बहुत से अवैध गोला-बारूद भरा पड़ा है । सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है । हम इन बातों का विस्तारपूर्वक उत्तर चाहते हैं ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमें उत्तर प्रदेश सरकार से केवल इतनी जानकारी मिली है कि यह गोदाम श्रीराम गुप्ता का था । वे कबाड़े का व्यापार करते हैं ।

बरामद सामग्री का ब्यौरा अभी प्राप्त होना है, फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि उक्त व्यापारियों को विस्फोटक शैल कबाड़े के साथ ही प्राप्त हो गये । शैलों के ऊपर 6 पंक्तियां हैं--ए, बी, सी, डी, ई और एफ । यदि माननीय सदस्य आवश्यक समझें तो मैं उनपर जो लिखा गया है उसे पढ़कर बता सकता हूं ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : कानपुर की घटना एकाकी घटना नहीं है । गत दो वर्षों के दौरान बहुत से राज्यों में, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में अवैध अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद पकड़ा गया है । यह कोई षड़यंत्र चल रहा है और सरकार इसका पता लगाने में

असफल रहीं है । बहुत से संस्थानों पर विदेशी हथियार पाये गये हैं । ये हथियार किन देशों के हैं । क्या कानपुर में बरामद हुये बम विदेशी हैं ? आग्नेय शास्त्र तथा बम बनाने से सम्बन्धित षड़यंत्र का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जो कुछ मैं बता चुका हूं उससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है । ये शैल विदेशी नहीं हैं । ये शैल एक गोदाम में पाये गये । अपराधी इन शैलों को बोरियों में बन्द करने का प्रयास कर रहे थे । इस समय इससे अधिक बताना संभव नहीं है क्योंकि और सम्बद्ध जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : यह एक गम्भीर मामला है इसीलिये हम सरकार का ध्यान इस ओर दिला रह हैं । ऐसी घटनाओं से बहुत से लोग सम्बन्धित हैं । यह कार्य केवल उत्तर प्रदेश की पुलिस का ही नहीं है । क्या दूसरी जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिया जायेगा ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । यदि आवश्यक होगा तो यह कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 269 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 270 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 271 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 272 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 273 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 282 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6608/74]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमिटेड, ब्यावर (राजस्थान राज्य) के प्रबंध के बारे में सां०आ० 788(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन के प्रबन्ध के बारे में सां०आ० 38(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्ध के बारे में सां०आ० 54 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6609/74]

वर्ष 1974-75 के लिये भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगें

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से वर्ष 1974-75 के लिए भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6610/74]**

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

10 वां प्रतिवेदन

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की शेष सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

108वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं वर्ष 1970-71 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रक्षा सेवाएं) के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 92वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 108वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEES

(एक) प्राक्कलन समिति

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

(दो) लोक लेखा समिति

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदयों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 312ख के उपनियम(1) में अपेक्षत रीति से, 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में 15 सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) में अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में 15 सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले तथा 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धों समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य

सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक
PLANTATION LABOUR (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक सभा बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री जी० वेंकटस्वामी द्वारा त्याग पत्र दिय जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे, सहमत है तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री बाल गोविन्द वर्मा को नाम-निर्दिष्ट किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक सभा बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री जी० वेंकटस्वामी द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे, सहमत है तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री बाल गोविन्द वर्मा को नाम निर्दिष्ट किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संसद सदस्यों को आपत्तिजनक कलेंडरों के कथित वितरण के बारें में
RE. DISTRIBUTION OF ALLEGEDLY OFFENSIVE CALENDARS TO M. PS.

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं कोका कोला में तालाबन्दी के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है।

श्री एस० ए० शमीम : महोदय, संसद् सदस्यों में एक आपत्तिजनक कलैन्डर बांटा जा रहा है । यह कलेन्डर पंजाब सरकार ने छापा है तथा यह साम्प्रदायिक है...

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसमें कोई बुराई नहीं है ।

श्री एस० ए० शमीम : महोदय, यह निर्णय करने से पूर्व आप इसे देख लीजिये । यह कलेण्डर संसदीय सचिवालय द्वारा संसद् सदस्यों को वितरित किया जा रहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यदि सदस्यों को ऐसा कलेण्डर बांटा जा रहा है जो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है तथा साम्प्रदायिकता उभारनेवाला है तो सभा को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री एस० ए० शमीम : आप मुझे यह बताने की अनुमति क्यों नहीं देते कि इसमें विशेषाधिकार का हनन हुआ है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय सदस्य को यह बताने की अनुमति दी जाए कि विशेषाधिकार का हनन किस प्रकार हुआ है । सभा को वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिये जिससे वह निर्णय कर सके कि विशेषाधिकार के हनन का मामला है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । कुछ कलेण्डर बांटे जा रहे हैं । बस इतनी सी बात है । माननीय सदस्य उस बारे में अपनी बात कह सकते हैं । विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री एस० ए० शमीम : आप मुझे कुछ कहने तो दीजिये । इन का वितरण अब भी हो रहा है । आप कुछ समय के लिये इसे तो कृपया बन्द कराइये ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मानी जा सकती है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I rise on a point of order. This calendar was shown to me by a Congress Member. I thought it was a serious matter. Therefore, I advised him that this matter should be taken up with the Prime Minister and the Minister of Home Affairs. I am sorry that my advice was not accepted. I, now, suggest that the Government should be instructed to look into this matter. The calendar should be withdrawn.

श्री एस० ए० शमीम : स्वयं पंजाब सरकार, जिसने इसे छापा है, इस पर शर्मिन्दा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैं ने ये चित्र देखे हैं । संग्रहालयों और कालेजों आदि अनेक स्थानों पर ऐसे चित्र हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन चित्रों में एक सम्प्रदाय द्वारा दूसरे सम्प्रदाय पर किये गये अत्याचार दिखाये गये हैं । अतः इनमें दोनों सम्प्रदायों में पारस्परिक वैमनस्य को बढ़ावा मिल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ ऐसे चित्र भी हैं जिनमें अंग्रेजों के साथ युद्ध दिखाया गया है ।

श्री एस० ए० शमीम : महोदय ! आप इसे उचित सिद्ध ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल आप यह भी कह सकते हैं कि दिल्ली में अभी तक ऐसे स्थान क्यों विद्यमान है जिनसे अत्याचारों का स्मरण होता है ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : प्रश्न यह है कि इस कलेन्डर में ऐसे चित्र हैं जो सरकार की राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना की नीति के विरुद्ध हैं । इन चित्रों में दो सम्प्रदायों को परस्पर लड़ते हुये तथा जिसमें हत्या करते हुये देखकर युवकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा उनके दलों में एक-दूसरे के लिये घृणा उत्पन्न हो जाएगी ।

प्रधान मंत्री तथा सभा की नेता (श्रीमती इंदिरा गांधी) : महोदय, यह बहुत ही नाजुक मामला है तथा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि इस मामले पर आगे बहस करने में कोई लाभ नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : उसका वितरण बन्द कीजिये । **(व्यवधान)**

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे बताया गया था कि इसका वितरण रोक दिया गया है । यदि यह बात गलत है तो मैं इसकी जांच करूंगी । सरकार भी ऐसी बातों को पक्ष में नहीं है जिनसे साम्प्रदायिक भावनाओं को चोट पहुंचे । लेकिन कुछ चीजें ऐतिहासिक हैं । हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वे ऐतिहासिक घटनाओं से उत्तेजित न हों ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि एक राज्य सरकार द्वारा ऐसे कलेन्डर बांटे जाने में क्या औचित्य जो भारत सरकार की नीतियों के विरुद्ध हैं । **(व्यवधान)**

श्रीमती इंदिरा गांधी : राज्य सरकार से गलती हो सकती है । मैं इन चित्रों को कतई उचित नहीं ठहरा रही हूं । मैं स्वयं इस प्रकार की तस्वीरों को पसंद नहीं करती । हमें इस पर देश में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा ।

इस बात का निर्णय अध्यक्ष महोदय ही करेंगे कि क्या इनको सभा में वितरित किया जाना चाहिये या तथा भविष्य के लिये इस बारे में क्या किया जाये । **(व्यवधान)** मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं यह कार्य जानबुझकर किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिये नहीं किया गया होगा । पंजाब सरकार धर्म निरपेक्षता की नीति में पूरा विश्वास रखती है ।

श्री एस० ए० शमीम : आप कुछ भी कहें आप इसका पक्ष ले रही हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं केवल यह कह रही हूं कि यह नाजुक मामला है तथा हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिसकी प्रतिक्रिया हो । यदि इसका वितरण नहीं रोका गया तो उसकी जांच की जाएगी । **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं एक अन्य गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्रधान मंत्री 6 तारीख को पूना जा रही है । महाराष्ट्र के एक मंत्री ने घोषणा की हैं कि 5000 कांग्रेसी वहां लाठी लेकर विपक्ष को पीटने के लिये जाये । 'मराठा' में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुये हैं । **(व्यवधान)** यह संगठन की स्वतंत्रता को नष्ट करता है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिना मेरी अनुमति के ऐसी बातें मत उठाइये । **(व्यवधान)**

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य तथा माननीय सभा का ध्यान मेयर द्वारा दी गई धमकी की ओर दिलाना चाहती हूं । यह बात उसके उत्तर में दी गई । मंत्री ने उत्तेजनावश ऐसा कह दिया होगा । **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : यदि उन्होंने उत्तजनावश ऐसा कहा था तो बाद में उन्हें एक वक्तव्य जारी करना चाहिये था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या 5000 व्यक्तियों को पूना पर चढ़ाई करने के लिये भेजा जाना भी प्रतिक्रिया मात्र थी ? **(व्यवधान)**

पांडिचेरी की संचित निधि में से किये जाने वाले व्यय के प्राधिकरण के सम्बंध में राष्ट्रपति के आदेश के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE. PRESIDENT'S ORDER IN REGARD TO THE AUTHORISATION OF EXPENDITURE OUT OF CONSOLIDATED FUND OF PONDECHERRY

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गोखले कल उठाये गये कुछ मामलों का उत्तर देंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दो अधिसूचनाओं के विधि पक्ष तथा औचित्य के बारे में मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना था । बात यह है कि जिस स्थिति का सामना हमें करना पड़ा था वह अभूतपूर्व थी और कुछ विचित्र भी थी । हमें कानूनी ढंग से उचित काम करना था । माननीय सदस्यों को पता होगा कि 20 मार्च, 1974 को पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और विधान सभा का विघटन कर दिया गया था । उन्होंने लेखानुदान पास करना था परन्तु वे ऐसा न कर सके और सरकार का पतन हो गया । उस सरकार ने 29 तारीख को बजट और वित्तीय विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजे । इस वित्तीय मामलों को सभा के समक्ष लाने की प्रक्रिया का उसी दिन पालन करना लगभग असम्भव था । यह मामला लेखानदानों के लिये केवल विधेयक प्रस्तुत करने का नहीं था । हमें सभा के वित्तीय विवरण और फिर पूरा बजट तथा कुछ अवधि के लिये विनियोजन विधेयक के रूप में लेखानुदान विधेयक भी संसद से पास करवाना था क्योंकि 29 मार्च का दिन महीने का अन्तिम दिन था । संसद की 30 और 31 मार्च तथा 1 अप्रैल को बैठक नहीं थी । इस लिये यदि लेखानुदान पास होता था तो वह 29 मार्च को ही होता था जो व्यावहारिक नहीं था । पांडिचेरी सरकार के प्रस्तावों को ज्यो का त्यों सभा में नहीं रखा जा सकता था । हमें उनकी छानबीन भी करनी थी । यह सब काम 29 को करने का अर्थ यह था कि दोनों सभाओं के लिये उनकी कम से कम 1600 प्रतियां छापी जातीं और यदि एक ही सभा का सत्र होता तो कम से कम 600 प्रतियों की आवश्यकता थी ताकि उन्हें संसद सदस्यों को बांटा जा सके । परन्तु यह सारा काम 29 तारीख को पूरा करना बिल्कुल असम्भव था, फिर यह काम 31 तारीख से पहले होना भी आवश्यक था ताकि संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन ठप्प न हो जायं । प्रति-दिन के कामकाज के लिये संचित निधि में से धन खर्च किया जाना था और एक दिन के लिये भी अनधिकृत व्यय की अनुमति नही दी जा सकती ।

उड़ीसा का हवाला दिया गया था । मैं ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है । इन दोनों मामलों की तुलना नही की जा सकती क्योंकि वे एक जैसे नहीं है । यह सच है कि उड़ीसा के राज्यपाल ने 23 फरवरी, 1961 को अध्यादेश जारी किया था । 25 फरवरी को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी । 6 मार्च 1961 को वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में सभा में विवरण प्रस्तुत किया था । दोनों परिस्थितियो में अन्तर बिल्कुल स्पष्ट है । उड़ीसा में यह स्थिति 23 या

25 फरवरी को पैदा हुई थी अर्थात् 31 मार्च, 1961 से कुछ सप्ताह पहले और इसीलिए अध्यादेश जारी करने की कार्यवाही को उचित नहीं समझा गया था । सरकार ने उस मामले को सभा के समक्ष लाना उचित समझा और इस सभा ने उसको पास कर दिया था । लोक सभा में पास होने के बाद राज्य सभा की सत्र भी बलाया गया था और 30 मार्च 1961 को पास कर दिया गया था । प्रस्तुत मामले में 28 मार्च का विधान सभा का विघटन हुआ था । बजट सम्बन्धी कागजात 29 मार्च का लगभग 12 बजे केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचे । अत: उन की जांच-पड़ताल करने के लिए कोई समय नहीं बचा था । वास्तव में परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी कि संसद 29 तारीख को विनियोजन विधेयक पास नहीं कर सकती थी, सरकार द्वारा की गई वैध कार्यवाही से स्पष्ट है कि संसद की उपेक्षा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था ।

संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 51 के अधीन राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की थी । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यो का ध्यान अनुच्छद 239-क की ओर दिलाना चाहता हूं । इस अनुच्छेद में लिखा है कि संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लि कानुन बन सकती है । इस प्रकार बना गये कानून को, चाहे वह संविधान के अन्य उपबन्धो के विपरित हो, संशोधन नहीं माना जायगा और उसका इस कारण विरोध नहीं किया जा सकता कि वह असंवैधानिक है, संघ राज्यक्षेत्रो का प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अनुसार चलता है । फिर राष्ट्रपति जब किसी परिस्थिति विशेष में किसी संघ राज्य क्षेत्र की धारा 51 के अधीन अपने नियंत्रण में लेता है तो वह संघ राज्यक्षेत्र के अधिनियम के किसी भी उपबन्ध की निलंम्बित कर सकता है । वह अनुच्छेद 239 के, उपबन्ध के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिये आवश्यक आनुषंगिक उपबन्ध बना सकता है ।

संसद की अवहेलना करने का हमारा कोई इरादा नही है, राष्ट्रपति ने अपनी उद्-घोषणा में भी लिखा है कि जहां कहीं संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल का उल्लेख होगा उस संसद का उल्लेख माना जाना चाहिये । संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 29 का सम्बन्ध वित्तीय मामलो के साथ है। इस धारा से इस बात की पुष्टि होती है कि संसद की अव-हेलना नहीं की जायेगी । इस धारा को निलंबित नही किया गया । इसके पीछे भावना यह है कि संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के स्थान पर वित्तीय शक्तियों का पालन संसद करेगी। राष्ट्रपति को धन के विनियोजन के लिये शक्तियां देना कोई असाधारण बात नहीं है । परन्तु अधिनियम के अन्य उपबन्ध धारा 51 और धारा 56 से भी सम्बन्धित है । धारा 56 में लिखा है कि कठिनाइयों को दूर करने के लिये राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये वह कोई भी कार्यवाही कर सकता है । राष्ट्रपति ने कठिनाइयों की दूर करने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग किया है, जो कि अभूतपूर्व है और एक विशेष प्रकार का है, राष्ट्रपति को यह अधिकार धारा 51 और 56 के साथ पढे जाने वाली धारा 29 के अन्तर्गत दिया गया है। इस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही एकदम वैध और उचित है, यह वैध भी है और संवैधानिक भी है । राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश में जो लिखा है कि संसद इस मामले के साथ निपटेगी । इसका अर्थ यह है कि यह एक अन्तरिम व्यवस्था है और यह कठिनाईयों दूर करने के लिये की गई है संसद की अवहेलना करने के लिये नहीं। मैं ने सभा के समक्ष सरकार के विचार रखे है जो कि बिल्कुल स्पष्ट है । फिर भी वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में हम सम्मानित सभा की इच्छाओं के अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय ने कहा है कि विधान सभा का विघटन 28 तारोख को हुआ था और संघ राज्य क्षेत्र का बजट 29 तारीख को 12 बजे मिला था । हमने 12 बजे या एक बजे यह मामला सभा में उठाया था । इस प्रकार की कोई

[श्री सेझियान]

संवैधानिक या सांविधिक व्यवस्था नही है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति अथवा कार्यपालिका धन निकलवा सकते हो। यदि धन का उचित ढंग से विनियोजन न हुआ तो सरकारी निधि का दुर्विनियोजन समझा जायेगा। हमने इसी लिये यह मामला उठाया था। हम पूछना चाहते है कि मंत्री महोदय अथवा सरकार शाम के 6 बजे तक सभा में स्थिति को स्पष्ट क्यों नही कर सकी? यह सभा का अवमान है, जब हमने मामला उठाया तो उस समय किसी ने स्थिति स्पष्ट करने की परवाह नहीं की। उन्हे सभा के सामने अपनी कठिनाई रखनी चाहिये थी, फिर उनका कहना कि 29 तारीख अन्तिम दिन था परन्तु 30 और 31 तारीख के भी दिन बाकी थे। यदि वह सभा के सामने कठिनाई स्पष्ट करते तो सभा की बैठक 30 और 31 को बुलाई जा सकती थी। हम सरकार के कामकाज को रोकना नही चाहते परन्तु हम यह भी नहीं चाहते के सभा की अवहेलना की जाये। इस देश के राष्ट्रपति द्वारा असंवैधानिक विधि नहीं बनाई जानी चाहिये। यदि कोई धन निश्चित विधि के अनुसार नहीं लिया जाता तो यह दुर्विनियोग का स्पष्ट उदाहरण है। संसद की मंजूरी के बिना संचित निधि में से कोई धन नही निकाला जा सकता। यदि कोई कठिन स्थिति पैदा हो गई थी तो उन्हें सभा में व्यक्त करनी चाहिये। सभा के पास सभी शक्तियां हैं। सभा उनकी कठिनाई पर विचार करके उसे हल करती।

फिर मंत्री महोदय का कहना है कि उस दिन उनके पास आंकडे आदि नही थे। परन्तु 29 तारीख को ही जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश में 5,00,38,000 रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है। यह राशि वैसे ही नही रख दी गई। इसको हिसाब लगाकर रखा गया है। वे इन्ही आंकडों को सभा के समक्ष रख सकते थे। यदि 29 को सम्भव नहीं था तब वे 30 या 31 तारीख को वे आंकडे प्रस्तुत कर सकते थे। सभा की बैठक बुलाई जा सकती थी। पहले एक अवसर पर वित्त विधेयक पास करवाने के लिये सभा की बैठक रात रात के 10 बजे बुलाई गई थी। अब भी वैसा ही किया जा सकता था।

मंत्री महोदय न धारा 51 और अनुच्छेद 239(क) का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 239-क के प्रारंभिक शब्द है "यदि संसद ने विधान द्वारा इसका उपबन्ध किया हो।" यदि संसद ने विधान द्वारा ऐसा किया है तो वह अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत पूरी तरह से राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में है। लोकतंत्र के मूल सिद्धान्त की, जिसके अन्तर्गत कार्य पालिका को धन देने या उसे रोकने की शक्ति संसद की है, उपेक्षा की गई है। संसद का महत्व समाप्त हो गया है और उचित प्रक्रियाएं अपनाए बिना यदि धन का विनियोग किया जाता है तो 'लोकतंत्र' नाम की कोई चीज रह नही जाती। इस संघीय ढांचे में देश के कार्यपालिका अध्यक्ष द्वारा दुर्विनियोजन किया जा रहा हैं। हमें इसको रोकना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइये कि इसका हल क्या है ?

श्री सेझियान : पहले वह इस बात को स्वीकार करें यह शक्ति राष्ट्रपति की नहीं बल्कि संसद की है। फिर मैं उनके साथ बातचीत कर सकता हूं कि ऐसी स्थिति मे क्या किया जाना चाहिये था उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये जो असंवैधानिक और गैर-कानूनी हो। एक गैर-कानूनी कार्य के औचित्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। **(व्यवधान)** मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि यह दल गत मामला नहीं है। यह संसदीय शक्ति अर्थात विधान मंडल की शक्ति का प्रश्न है।

अतः, मैं इस पर आप का निर्णय चाहता हूं। सरकार द्वारा दिखायी गयी जल्दी उचित नहीं है । यह शीघ्रता अलोकतांत्रिक तथा असंवैधानिक है। मैं आपसे जो सभा के नेता है, विधान मंडल को शक्ति, सर्वोच्चता तथा गरिमा को बनाये रखने की आशा करता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, you are to give two rulings : (1) would you allow this unconstitutional and illegal order to be placed on the Table of the House; (2) would you give your ruling in clear words regarding the violations of the rights of the Parliament by the Government.

The Law Minister Shri Gokhale has not made it clear whether Government had taken into consideration all aspects of the question before imposing the President's rule in Pondicherry. It appears from the Law Minister's reply that Government had not considered the question of vote on account. The Law Minister's plea that vote on account cannot be presented without the annual financial statement is untenable, as in 1967 the vote on account was passed even before the presentation of the Budget. If it was not possible to present the vote on account on 29th the sitting of Lok Sabha should have been arranged on the 30th or 31st.

It is also said that it was not possible to make the copies available. If it was so, the rules in this regard could have been suspended with the consent of the House.

He has also stated that section 29th of the Union Territories Act vests Government with the powers, but there is difference between section 29, sub-section 3 and article 114(3) of the Constitution. Thus one would find that the Law Minister's contention that the Government has the authority to spend Rs. 5 crores through Presidential order is baseless. I would like him to produce any particular section under which the President has got this power.

So far as section 56 is concerned, it has been stated in the definition of this Act that nothing can be done in contravention of other provisions of the Union Territories Act. With the existence of sections 27 and 31, section 56 cannot be interpreted that President has got the authority to withdraw Rs. 5 crores from the consolidated Fund of India. So, Mr. Speakar, Sir, you are to give ruling whether Shri Gokhale's statement is satisfactory and if not, you should not allow this order to be placed on the Table of the House.

This illegal and unconstitutional act can be regularised by making necessary amendments to the Constitution provided an assurance is given that such a blunder would not be committed again. Otherwise I hope that House would not allow such an unconstitutional amendment to be passed here.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि मंत्री ने यह भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है कि राज्यों अथवा केन्द्र के मामलों में लागू होने वाले वित्तीय नियम संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नही होते है, यह उचित नही है। संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल की सभी शक्तियां हम संसद को स्थानांतरित कर दी गयी है। चूंकि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में से इन धाराओं को निलंबित नहीं किया गया था, इसलिये ये शक्तियां अधिक अभिपुष्ट होकर संसद को प्राप्त है। अन्यथा यदि राष्ट्रपति ने यह सोचा था कि इन शक्तियों को लागू नहीं किया जाना चाहिये, इन वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया जाना चाहिये, तो राष्ट्रपति ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के उन खंडों को निलंबित कर दिया होता । चूंकि राष्ट्रपति ने इसे उचित नहीं समझा, इस लिये ये नियम और प्रक्रियाओं को लागू करने का काम संसद को मिल गया है।

अब विधि मंत्री ने यह कहा है कि इन विशेष परिस्थितियों में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गयी थी। यदि यह बात थी, तो हमें इस सभा अथवा दूसरी सभा के माध्यम से लेखानुदानों को प्रस्तुत करने के लिये असाधारण पग उठाने चाहिये थे। संविधान में इस

[श्री शाम नन्दन मिश्र]

बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । सभा की बैठके छुटियों के दिन बुलाकर भी असाधारण पग उठाये जा सकते है। यदि सरकार इस के लिये सभा के समक्ष आयी होती तो इस विधान को अनुमति मिल गयी होती। सभा की अनुमति ले लेने के पश्चात् सरकार वे एक अध्यादेश जारी किया होता जिसे विधान की शक्ति प्राप्त होती। अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है जिसे बाद मे विनियमित कराना होता है । अनुच्छेद 357(ग) में लोक सभा का उल्लेख किया गया है, संसद का नहीं। यह मानना सही नही होगा कि संघ राज्य क्षत्र अधिनियम के अन्तर्गत संसद अपने कार्यों को करते समय संविधान द्वारा लगाये गये मौलिक प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगी। क्यां यह सोचा जा सकता है कि संसद, जिस ने संविधान की रक्षा करनी होती है और जिस ने प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर संविधान को लागू करना होता है, संविधान की परिधि से बाहर जायेगी। संसद संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के मौलिक प्रतिबंधों के अन्तर्गत रहते हुए कार्य करेगी। और उस अधिकार को संसद से छोना नही जा सकता। विधि मंत्री को सभा के समक्ष यह अनुरोध करना चाहिये कि वहां अभूतपर्व स्थिति पैदा हो गयी थी और इस लिए इस गैर-कानूनी कार्यवाही को करना पडा। वैध कार्यवाही यह थी कि लोक सभा की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्यादेश जारी किया जाता, जो स्वयं कानून के रूप में होता।

हमें इस मामले पर विचार करने के लिये एक दिन का समय दिया जाना चाहिये ताकि हम कोई रास्ता ढूंढने के लिये रचनात्मक प्रस्ताव पेश कर सकें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : चूंकि सरकार ने परिहार्यतः अथवा अपरिहार्यतः यह मान लिया है कि उसने 29 तारीख को सभा में यह मामला पेश न कर के, संसद का अवमान किया है, अतः सरकार को इस सभा के सामने उचित शब्दों में क्षमा याचना करनी चाहिये और तभी सभा की बैठक बुलायी जा सकती है । यह आवश्यक नहीं है कि इस सभा में यह बैठक बुलायी जाये, अपितु यह किसी अन्य मंच पर भी हो सकती है ताकि इस का समधान ढूंडा जा सकें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह कहा गया है कि मैं ने यह कहा है कि जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, उन पर ऐसी प्रक्रिया लागू नहीं होती जो वित्तीय मामलों के संबंध में लागू होती। मैं ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं मानता हूं कि वित्तीय विधेयक पारित होने से पूर्व संसद को उसी प्रक्रिया का पालन करना पडेगा जिसका विधान सभा पालन करती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : विधि मंत्री ने अनुच्छेद 329 की व्याख्या करते समय कहा था कि यह अनुच्छेद ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जो इस अधिनियम के उपबन्धों और हो सकता है कि स्वयं संविधान के उपबंधो से मेल न खाती है । इस लिये अनुच्छेद 368 केवल संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से ही संबंधित है।

श्री भोगेंद्र झा (जयनगर) : विधि मंत्री का भाषण सुन लेने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि विधि मंत्री के पास वस्तुतः अपने पक्ष में कहने के लिये कोई बात नहीं है। यह स्पष्ट रूप से अवमान का मामला है। सरकार को सभा पटल पर इन पत्रों को रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। सरकार को अपनी गलती मान लेने का साहस करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा और विधि मंत्री के उत्तर को सुन लेने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वित्तिय प्रक्रियायें पूर्ण रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में है । विधि मंत्री ने अपने भाषण के अन्त में उचित ही कहा है कि यदि उनका तर्क सही नही है, तो वह संसद के हाथ में है ।

दूसरा मैं इस समय इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दूंगा । जैसा कि कहा गया है कि यदि कोई गलती हुई है, तो कोई रास्ता निकाल लिया जायेगा । मैं दलों के नेताओं तथा वित्त मंत्री एवं विधि मंत्री को बुलाऊँगा ।

सामान्य बिमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में

RE : PROPOSED STRIKE BY GENERAL INSURANCE EMPLOYEES

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं साधारण बिमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

सामान्य बीमा कर्मचारी सरकार के रवैये से उत्तेजित है, क्योंकी सरकार ने अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी संघ तथा निगम के बीच हुये समझौते को स्वीकार नहीं किया है । वित्त मंत्री ने यहां एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि बातचीत हो सकी है । मुझे आज बताया गया है कि बातचीत वित्त मंत्रालय के कठोर खये के कारण असफल रही है । समान्य बीमा कर्मचारी संघ ने आव्हान किया है कि यदि बातचीत के द्वारा कोई समझौता न हुआ तो कर्मचारी 8 अप्रैल, 1974 से हड़ताल कर देंगे । इस संघ ने यह बात वित्त मंत्री को भी पत्र में लिख दी है । यह पूर्ण रूप से केन्द्रिय मामला है । मुझे आश्चर्य है कि निगम के साथ हुये समझौते को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं कि जा रहा है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री 5 अप्रैल को वक्तव्य दे ताकि प्रस्तावित हड़ताल से बचा जा सके । यदि यह हड़ताल हुई, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

वर्ष 1974-75 के मौसम के लिये गेहूं की वसूली तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीति के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : PROCUREMENT AND PRICING POLICY OF WHEAT FOR 1974-75 SEASON

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बी० वी० नायक तथा श्री मधु लिमये के 1974-75 के मौसम के लिये गेहूं की वसूली तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीति के बारे में चर्चा उठाने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। इस के लिये 5 घंटे रखे गये हैं । श्री बी० वी० नायक ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : गेहूं की मूल्य नीति और इसकी वसूली की नीति के संबंध में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह एक वास्तविकताओं से समझौता करने वाला पग है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आज सबसे बड़ी वास्तविकता है हिंसा जो गुजरात से महाराष्ट्र और देश के अन्य नगरीय केन्द्रों तक फैल गयी है ।

नीति में यह बताया गया है कि व्यापारियों को लाइसेंस दिये जायेंगे और उनसे 50 से 60 लाख टन गेहूं वसूल करने को कहा जायेगा, इससे किसानों को दिये जाने वाले मूल्यों में वृद्धि होगी और सारा व्यापार सरकारी क्षेत्र के निरीक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्गत आ जायेगा इसमें एक कठिनाई यह है कि इस आन्तरिक व्यापार की सप्लाई से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय में बहुत कम कर्मचारी हैं । संशोधित रूप में इस अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के कार्यान्वियन के लिये केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर कृषि मंत्रालय की ओर कक्ष बनाये जाने चाहिये ताकि निगरानी रखी जा सके ।

[श्री बी०वी०नायक]

समस्त खाद्यान्न के संबंध में लगभग 1000 लाख टन प्रति वर्ष का उत्पादन कर सकते हैं।1967-68 में हमारा उत्पादन 110 लाख टन था और हमारी वसूली 8 लाख टन थी। इस वर्ष के दौरान हमने लगभग 70 लाख टन का वितरण किया था। 1973-74 तक जहां हमारी वसूली 45 लाख टन थी; वहां वितरण 54 लाख टन का हुआ था। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा देश सदैव खाद्यान्न का आयात करता रहा है जिसका वितरण सरकार द्वारा किया जाता है ।

जहां तक मुझे स्मरण है कि सितम्बर, 1972 में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शिन्दे देश के आन्तरिक उत्पादन के बारे में बहुत ही आशावादी थे। उन्होंने तो इस सभा में यहां तक कह दिया था कि सरकार इस वर्ष खाद्यान्न का आयात करने को ठीक नहीं समझती है। किन्तु दुर्भाग्यवश मौसम, सुखे अथवा अन्य स्थितियों के कारण हमें इसका आयात करना पड़ा। हमें वास्तव में अपने उत्तरी पड़ोसी सोवियत संघ का इसलिये धन्यवाद करना चाहिये कि उसने लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न भेजा हालांकि हमने इसके लिये कहा भी नही था। रक्षा की दृष्टि से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समय आने पर हम सप्लाई के अपने साधनों पर निर्भर रहने की स्थिति में हो। आप बैंकसे, साहूकारों जमीदारों, आदि के बारे में क्या सोचते है जो गेहूं के व्यापार को सरकारी नियंत्रण में ले लेने की सफलता के लिये आवश्यक है। इस देश में व्यापारियों से 60 लाख टन की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। यदि यह लक्ष्य पूरा न हुआ तो सरकार की वैकल्पिक योजना क्या होगी? हमें किसी भी संसाधन से अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकता पूरी करनी है। बेरोजगारी की समस्या के बारे में मेरा यह विचार है कि हमारे देश में लाखो की संख्या में जो बेरोजगार लोग जो नौकरियों के लिये भटकते रहते है, वे देश में उत्तम वितरण व्यवस्था लागू करने में समर्थ हो सकते हैं। इस से हम वितरण व्यवस्था को सफल बनाने में समर्थ हो सकते और यह वितरण व्यवस्था भारतीय समाजवादी समाज का, जो हम बनाने जा रहे है, आधार स्तम्भ बन जायेगी ।

गेंहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण हेतु आर्थिक आधार की हम खोज कर रहे हैं। भारत एवं विश्व के किसी भाग का किसान उसी दशा में संतुष्ट होगा यदि उसे यह बताया जाय कि उपभोक्ता द्वारा उसके उत्पादन के दिये गये मूल्य का 80, 85 अथवा 90 प्रतिशत उसे अर्थात उत्पादक को मिलेगा। मूल्य निर्धारण हेतु यही आधार अपनाया जाना चाहिये। इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता द्वारा दिये गये एक रुपये में से किसान को कितना मिलता है। हमें इस सिद्धान्त को अपनाना चाहिए ।

देश के मध्य तथा निम्न वर्ग के किसानों ने सरकार का पूरा साथ दिया है और वसूली का अन्न दिया है। दूर्भाग्यवश किसानों की उपेक्षा की जा रही है। मझे आशा है कि मूल्य निर्धारण वसूली, वित्तरण व्यवस्था आदि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा ।

हमें पहली गलती दोहरानी नही चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर दोष रहित वितरण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत देश भर में 1,00,000 निकासी स्थल स्थापित किए जाएं और उनकी पूरी निगरानी की जाए और थोक व्यापार को सफल बनाया जाये।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : हमारा खाद्य संकट प्राकृतिक आपत्तियों अथवा विश्वव्यापी कठिनाइयों के कारण नही है बल्कि सरकार की नीति के कारण है। दो वर्ष पहले सरकार ने कहा था कि हम आत्म निर्भर हो गये हैं और आयात बंद कर दिया जायेगा। लेकिन अचानक ही 28 मार्च को कृषि मंत्री ने सभा में वक्तव्य दिया कि सरकार ने खाद्यान्न का थोक व्यापार अपने हाथ में न रखने का निर्णय किया है। उन्होंने फिर यह कहा है कि थोक व्यापारियों को लाईसेंस और नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत काम करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। इसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे फालतू अनाज वाले राज्यों में से खाद्यान्नों की

खरीद 50 प्रतिशत "लेवी" द्वारा की जायेगी और व्यापारियों को यह अनाज सरकार को निर्धारित मूल्य पर देना पड़ेगा और व्यापारियों को शेष 50 प्रतिशत अनाज राज्य के भीतर या बाहर अपने मनमाने दामों पर बेचने की अनुमति दी जायेगी।

यह भी घोषणा की गई है कि 1974-75 के विपणन मौसम में गेहूं का क्रय मूल्य बढ़ाकर 105 रुपये किया जायेगा। केन्द्र द्वारा गेहूं 125 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा जायेगा जब कि वर्तमान बिक्री मूल्य 93 रुपये प्रति क्विंटल है। वसूली और मूल्यों के मामले में यह भी नीति भूपतियों और व्यापारियों एवं मुनाफाखोरों के सामने झुकने के सिवाय और कुछ नही है।

नई नीति से गेहूं के मूल्यों में और 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर, जहां पर खेतिहर मजदूर और अन्य निर्धन लोग भूपतियों और व्यापारियों की दया पर निर्भर करते है, घातक प्रभाव पड़ेगा।

समाज के ऐसे वर्गों जिनकी भुगतान क्षमता कम है, की सुरक्षा करने में इस नीति द्वारा सरकारी वितरण व्यवस्था का प्रभाव कम हो जायेगा, बढ़ाये गये वसूली मूल्य का समाज के कमजोर वर्ग पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरुप मूल्य बढ़ेंगे और अभाव की स्थिति पैदा होगी।

उत्पादन और फालतू अनाज को उपलब्ध करने में सरकार असफल रही है। निर्धन किसानों और खेतिहर मज़दूरों की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए और इस हेतु भूमि सुधार कानून क्रियान्वित किये जाने चाहिये। उसी दशा में उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अनेक राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानून लागू नही किये गए हैं। भूमि की अधिकतम सीमा से फालतू भूमि भूमिहीन किसानों में वितरित नहीं की गई है।

तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में दो बातें हैं अर्थात सिंचाई और उर्वरक। आज देश में सिंचाई वाला क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र का 22 प्रतिशत है। गेहूं की प्रति हैक्टेयर राष्ट्रीय औसत उपज विश्व औसत का केवल 83 प्रतिशत है और यूरोप की उपज से 50 प्रतिशत से भी कम है। ऐसा भी पता लगा है कि किसानों को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने की कोई आशा नही है। यह भी कहा गया है कि विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण और अधिक उर्वरकों का आयात करना सम्भव नही है। बिजली और उर्वरकों के बिना हम उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे?

इस खाद्य नीति के फलस्वरुप निर्धन वर्ग को बहुत कठिनाई होगी। इससे किसान भी कठिनाई में पड़ेंगे। उपभोक्ताओं के लिए गेहूं के मूल्य में 35 प्रतिशत की वृद्धि होगी और मजदूरी कम हो जायगी, मूल्य सूचकांक बढ़ जायेगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

बड़े जमींदारों और मुनाफाखोरों ने इस नीति का स्वागत किया है तथा वामपंथी और लोकतंत्रिय दलों ने विरोध किया है। समाज के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया है।

इस नीति को बदला जाना चाहिये। सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। दस एकड़ से अधिक भूमि वालो से लेवी वसूली की जानी चाहिए। आगामी विनाश की रोकथाम हेतु प्रयास किये जाने चाहिए जो समूचे देश के हित में होगा।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : गत सप्ताह खाद्यान्न सम्बन्धी घोषित की गयी नीती वर्ष विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मूल नीति में इस पर परिवर्तन करने से कुछ लोगों को आश्चर्य, कुछ को दुख और कुछ को खुशी हुई है।

[श्री० बी० आर० भगत]

खाद्यान्न की इस नीति को हमारे दल ने पहले अहमदाबाद और बाद में विधाननगर के खुले अधिवेशन में अपनाया था। आशा यह थी कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी और कृषि मंत्रालय को 300 से 350 लाख मीटरी टन के उत्पादन की आशा थी। इस लिये 81 लाख टन की वसूली का लक्ष्य रखा गया।

अब स्थिति बदल गयी है। कहा जाता है कि गेहूं की पैदावार उतनी अधिक नही होगी। इस प्रकार लक्ष्य का प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ। अभाव की स्थिति पैदा हुई तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू किया। विरोधी दलों ने भी इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाया। इन्हीं कारणों से नीति में परिवर्तन करना पड़ा।

कुछ लोगों का कहना है कि खाद्यान्न की नई नीति एक साहसिक कदम है लेकिन साथ साथ जोखमपूर्ण भी है। वसूली द्वारा 40 लाख टन चावल के उपलब्ध होने की आशा है। गत वर्ष के बकाया और रुस से आयात करने से 30 लाख मीटरी टन और मिलेगा। थोक व्यापारीयों से 50 लाख मीटरी टन मिलेगा। अत: हमारे पास 120 लाख मीटरी टन चावल हो जाएगा, जो वितरण व्यवस्था को चालू रखने के लिए हमें चाहिए।

इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य बाजार में अनाज की उपलब्धता को बढ़ाना और उत्पादक को अधिक मूल्य देना है ताकि अधिकाधिक माल बाजार में आये और अधिक उत्पादन करने का उसे प्रोत्साहन मिले और जमाखोरी तथा चोर-बाजारी समाप्त हो सके इस नीति में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि थोक व्यापारी बीच में आ गये हैं।

नयी नीति के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य कम से कम 50 लाख टन की वसूली करना है इसके साथ साथ भारतीय खाद्य निगम और सहकारी संस्थाएं भी सीधे किसान से वसूली कर सकते हैं। इस प्रणाली में सरकारी एजेन्सी का सर्वोपरि अधिकार रहना चाहिए ताकि यदि थोक व्यापारी गेहूं नही देते तो अन्य तरीके काम में लाए जा सकें क्योंकि हमारा लक्ष्य कम से कम 50 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली करना है। यदि यह लक्ष्य पूरा न हों पाये तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे और इस प्रणाली को बनाए नहीं रख सकेंगे।

गत वर्ष में जो असफलता मिली तो इसका कारण यहा है कि हम जनता को अपने साथ नही ले सके। नई नीति के अनुसार जनता का सहयोग लिया जाएगा और जनता की समितियों इन कार्यों का निरीक्षण करेंगी।

सरकार को कोई ऐसी प्रभावकारी योजना बनानी चाहिए जिससे सभी प्रगतिशील दलों, किसानों गृहणियों, युवकों आदि का सहयोग सरकार को मिल सके। इस पूरे कार्य पर हमें नियंत्रण और अधीक्षण प्रभावकारी ढंग से करना चाहिए। यद्यपि उत्पादक को अधिक मूल्य दिया गया है और निर्गम मूल्य 91 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया गया है। फिर भी हमें राज सहायता पर ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्री ने 100 करोड़ रुपये की राशि रखी है। हमें आशंका यह है कि इस राशि में और अधिक वृद्धि होगी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मुद्रास्फीति का दुष्प्रभाव समाज के दुर्बल अंगो पर पड़ता है। अत: मैं चाहता हूं कि खाद्यान्न की वितरण-व्यवस्था ऊचित और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए जिससे निर्धन लोगों को वह उपलब्ध हो, चाहे हमे 20 लाख मीट्रिक लाख टन अनाज विदेशों से ही क्यों न आयात करना पड़े। महाराष्ट्र और बिहार जैसे कमी वाले राज्यों में निर्धन जनता को व्यापारियों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमान्, खाद्यान्न थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण जैसे प्रगतिशील कदम उठाने से पूर्व सरकार को विरोधी दलों से परामर्श करना चाहिए था। अब उसकी शव परीक्षा करने से क्या लाभ है। फिर भी यह बताना उचित होगा कि अनाज व्यापार के सरकारीकरण के मामले में सरकार क्यों विफल रही और अपेक्षित मात्रा में अनाज वसूल क्यों न कर सकी। सरकार की यह नीति मूलत: इस बात पर आधारित रही कि कितना अनाज मंडियों में बिक्री के लिए लाया जाता है, जबकि इसका आधार होना चाहिए था कि कितना अनाज मंडियों में लाया जा सकता है। परिणामत: जमाखोरों और बड़े उत्पादकों द्वारा जो अनाज छिपाकर रखा गया उसकी ओर सरकार को आंख बन्द रखनी पड़ी। मेरे विचार से अनाज व्यापार के थोक व्यापार के सरकारीकरण के मूल में यह गल्ती रही।

अब मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह खाद्यान्न के सरकारीकरण की नीति किन परिस्थिति में छोड़ दी गई। वर्षो 1972 में गांधीनगर अधिवेशन में शासक दल ने यह नीति स्वीकार की, 1973 में उन्होंने इसे लागू करने की कोशिश की और 1974 में यह त्याग दी गई। इसके लिए सरकार पर दो तरफ से दबाव पड़े। पहला दबाव विश्व बैंक की ओर से पड़ा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में जिसका विषय अनधिकृत रूप से प्रकाश में आ गया था भारत को परामर्श दिया गया था और उसमें भारत से वर्ष 1974-75 में 20 से 40 लाख टन अनाज मंगाने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व बैंक ने भारत को अनाज की अन्तरिक वसूली पर निर्भर न रहकर अनाज के आयात पर निर्भर रहने की सलाह दी। सरकार पर दूसरा दबाव आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन (अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ) की ओर से पड़ा। व्यापारियों ने धमकी दी कि यदि सरकार ने खाद्यान्न थोक व्यापार अपने हाथ में लिया तों वे सभी मंडियों में स्थायी हड़ताल कर देंगे। नयी योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को उनके द्वारा खरीदे गये कुल अनाज का 50 प्रतिशत सरकार को देना है। किन्तु खाद्यान्न व्यापारियों ने साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वे 50 या 60 लाख टन अनाज की सप्लाई करने की गारंटी लेने की स्थिति में नही हैं। उक्त संघ ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सीमित किया जाये और कमी वाले राज्यों में तथा केवल निर्धन लोगों को ही सरकार द्वारा अनाज वितरीत किया जाये। दूसरे शब्दों में, अधिकाधिक लोगों से खुले बाजार से अनाज खरीदने को कहा जाये। खाद्यान्न व्यापारियों ने गेहूं का मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल रखने का सुझाव दिया है क्योंकि उनके अनुसार मंडियों में इसका भाव 110 रुपये या 115 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। माननीय खाद्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने यहां कल ही कहा है कि निर्धारित सीमा के भीतर उन्हें अनाज बेचने की अनुमति दे दी जायेगी। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि व्यापारी 105 रुपय प्रति क्विंटल अनाज खरीदकर 150 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। व्यापारियों ने तो वसूली व्यवस्था को बिल्कुल ही हटाये जाने की मांग की है। व्यापारियोंने ने अपना कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़वाया है और सरकार से अपनी इच्छा पूरी करा ली है। शासक दल की ओर से यह कहा जा रहा है कि साम्यवादी समाचार पत्र ही सरकार की संशोधित नीति की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी ओर "स्टेट्समैन" जेसे समाचार पत्र है जिन्होंने इसे बड़ी ही "बुद्धिमत्ता" पूर्ण वापसी की संज्ञा दी है। सभी व्यापारी क्षेत्रों में इसका स्वागत और प्रशंसा की गई है। "स्टेट्समैन" में यह भी लिखा है कि गेहूं पर दी जा रही राजसहायता के समाप्त करने से केन्द्र के बजट घाटे में बहुत बड़ा अन्तर आने वाला नहीं है। दूसरी ओर श्री भगत का कहना है कि अधिक महंगाई भत्ता देने पर होने वाले खर्च के मुकाबले में राजसहायता समाप्त करने से अधिक लाभ होगा। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजसहायता हटाने से जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि नहीं होगी और क्या परिणामत: कर्मचारियों को अधिक भत्ता नहीं देना पड़गा ?

"अमृत बाजार पत्रिका" में, जिसे कांग्रेस-विरोधी नहीं कहा जा सकता लिखा है "कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री के विचार से वर्तमान संकट के लिए सभी स्तरों पर की जा रही जमाखोरी जिम्मेदार है

[श्री० इन्द्रजीत गुप्त]

जो अभाव की भावना का परिणाम है। यदि यह सच है तो क्या सरकार को लोगों के मन में यह विश्वास पैदा नहीं करना चाहिए कि अभाव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभाव की भावना किसने पैदा की है जब आप राशन देने के बजाय "राशन देय है" की पर्चियां देते हैं तो अभाव की भावना ही पैदा होगी। मेरी समझ में यह आर्थिक सिद्धान्त भी नहीं आता कि जब फसल अच्छी हो और खाद्यान्न उत्पादन अधिक हो तो सरकार अनाज की वसूली और वितरण करेगी और जब अनाज का अभाव होगा तब सरकार इस नीति को त्याग देगी। यदि अनाज बहुतायत में है और आसानी से उपलब्ध है तो फिर सरकार द्वारा वसूली और वितरण की आवश्यकता ही कम हो जाती है। वस्तुतः अनाज वसूली और उसके समुचित वितरण के पीछे यह भावना होती है कि समय-समय पर होने वाली अभाव की स्थिति में लोगों को जमाखोरों और खुले बाजार की दया पर न छोड़ा जाये। "नेशनल हिराल्ड" ने अनाज के सरकारीकरण की विफलता का विश्लेषण करते हुए लिखा कि कांग्रेसियों और मंत्रियों में उत्साह कमी, अधिकारियों में भ्रष्टाचार और अकार्यकुशलता तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपना कार्य ठीक से न किया जाना आदि इसके लिए जिम्मेदार कारण है। सरकारीकरण की नीति त्यागकर सरकार ने कृषि क्षेत्र के निहित स्वार्थों के समक्ष घुटने टेक दिये हैं।

जहां तक व्यापारियों से 50 प्रतिशत वसूली की संशोधित नीति का सम्बन्ध है सरकार के पास ऐसी कौनसी नियंत्रक मशीनरी है जो यह देखेगी कि व्यापारी सीधे उत्पादक से न खरीदें। मेरे विचार से व्यापारी मंडियों से न खरीदकर सीधे उत्पादको से खरीदेंगे और वे उन्हें 105 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक देकर भी खुले बाजार में 125 रुपये से 150 रुपये तक बेचकर लाभ कमायेंगे। वास्तविक समस्या यह है कि शासक दल स्वयं ही इन आर्थिक नीतियों और योजनाओं को लागू नहीं करना चाहता। हमारे देश में एक आर्थिक-सामाजिक शक्ति कार्य कर रही है जो कृषि पर कर नहीं लगने देती और अनाज के थोक व्यापार को लागू नहीं होने देती। ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का समर्थन आवश्यक होता है। इसी समर्थन के अभाव में सरकार विफल रही है। अन्त में, मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि मुद्रास्फीति और अभाव की स्थिति बढ़ती रही और जमाखोर और मुनाफाखोर इसका अनुचित लाभ उठाते रहे तो एक दिन वह आयेगा कि लोग अनाज के गोदामों को अपने कब्जे में करेंगे और अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मुझे इस बात पर प्रसन्नता नहीं है कि थोक व्यापारियों को थोक व्यापार करने की छूट फिर मिल गई है। हमारे देश में लाखों लोग निर्धनता के स्तर से नीचे रह रहे है और अल्प आहार या दूषित-आहार पर रहते है और ऐसी स्थिति में व्यापारियों को उन्हें खुले बाजार में लूटने रहने की छूट नहीं दी जानी चाहिए, यह मैं मानता हूं। यदि हम जन साधारण की, कठिनाई को दूर करना है तो अनाज की बिक्री की जा सकने वाली सारी मात्रा पर नियंत्रण लागू करना होगा, ताकि उसे आम उपभोक्ता को आसानी से उपलब्ध किया जा सके।

[**श्री वसन्त साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in The Chair*]

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकारने अनाज व्यापार के सरकारीकरण की नीति को पूर्णतः त्याग दिया है इसके बारे में विभिन्न राय हो सकती है। मेरी राय से नयी नीति पुरानी नीति का संशधित रूप है जो विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों में आवश्यक था। अब मैं उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनके कारण नीति में संशोधन करना पड़ा। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि नीति पूर्णतः असफल रही है। हां, यह निश्चित रूप से सही है कि

इस नीति को उतनी सफलता नही मिली जितनी कि उसे मिलनी चाहिए थी। इसके अनेक राजनीतिक और आर्थिक कारण है । एक बड़ा कारण यह है कि प्रशासनिक मशीनरी को उतना सक्षम और सक्रिय नहीं बनाया गया जितना इस चुनौतीपूर्ण कार्य को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए था। इसी कारण से वसूली के अपेक्षित लक्ष्य पूरे न हुए और अभाव की स्थिति बनी और मूल्य बढे। ऐसी विकट स्थिति में नीति में संशोधन करना उचित था, हालांकि इस पर मुझे दु:ख है। संशोधित नीति के अनुसार वसूली मूल्य 105 रुपये प्रति क्विन्टल रखा गया है और गैर सरकारी व्यापारियों को खुले बाजार में कुछ अधिक मूल्य लेने की अनुमति दे दी गई है । इससे उत्पादक को लाभप्रद मूल्य मिलेगा और अनाज के मंडियो में अधिक आने से अभाव की स्थिति या अभाव की भावना दूर हो जायेगी। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वह यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि गेहूं के भाव खुले बाजार में एक निश्चित स्तर से उपर न जायें और गरीब जनता को कष्ट न उठाना पड़े ।

यदि हमें खाद्य मोर्चे पर सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ आर्थिक विवशताओं के कारण संशोधित वर्तमान नीति के स्थान पर गेहूं के व्यापार के सरकारीकरण की पहली नीति को निकट भविष्य में पुन: लागू करना होगा। अन्त में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उन कमियों पर ध्यान दे, जिनके कारण पुरानी नीति को अपेक्षित सफलता न मिली, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करे। साथ ही अपने प्रशासनिक कर्मचारियों को वह सजा करे और खाद्य मोर्चे पर असफल रहने पर उन्हे दंड देने की चेतावनी दे ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता–दक्षिण) : श्रीमान, खाद्य मंत्री ने हाल ही में अनाज वसूली की जिस नीति की घोषणा की है उसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आलोचना की जा रही है । सरकार ने संशोधन करके जो नीति घोषित की वह वर्तमान परिस्थितियों का परिणाम है । विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि संशोधित नीति से सरकार की विचारधारा में पीछे की ओर एक मौड आया है । यह घुमाव इस लिए आया कि सरकारी प्रशासन और जिन पर नीति लागू की जानी थी, उन्हे इसके लिए पूरी तरह तैयार नही किया गया। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय नीति की घोषणा के बारे में सविस्तर बताएंगे और कुछ बातों का स्पष्टीकरण देगें ।

यदि सरकार समस्या को हल करना चाहती है तो उसे राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। दूसरे उन्हें किसानों के मुकदमों का फैसला करने के लिए एक न्यायाधिकरण बनाना चाहिए। तीसरे उन्हें राज्यों के मुख्य मंत्रियों से पूछना चाहिए कि कितने राज्यों में खेतिहर मजदूर कानून क्रियान्वित किया जा चुका है । यदि कुछ राज्यों में इसको लागू नहीं किया गया है, तो शीघ्र ही इसे लागू किया जाना चाहिए। मूल्यों को बढाने से समस्या का निदान नहीं हो सकता बल्कि समस्या का निदान कानून की क्रियान्विति से ही हो सकता है । मूल्य से बढ़ाने लाभ थोक व्यापारी को और मध्यम वर्ग को मिलेगा न कि किसानों को। सरकार इन तीन सूझावों के क्रियान्वयन पर विचार करे ।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण की घोषणा के बाद सारे देश में प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए। यदि सरकार जानती है कि अमुक लोग इस काम में रोडा अटका रहे है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही क्यों नहीं करती ? अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं किया जाता ? सरकार जमाखोरों को फांसी की सजा क्यों नहीं देती ? गेहूं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को जमाखोरों को डराना ही होगा।

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकारी नीतियों को विफल बनाने में सरकारी अधिकारियों का भी हाथ होता है, जैसा कि खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के कई कर्मचारी खाद्य नीति के क्रियान्वयन में रोडा अटका रहे है। संसद में राजनीतिक निर्णय लेकर जमाखोरों की चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता। हमें राजनीतिक निर्णय को क्रियान्वित करना होगा।

जमाखोर सरकारी नीतियों की कभी परवाह नहीं करते। सरकार को सरकारी वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में एक अन्तः व्यापार मंत्रालय होना चाहिए और अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण की देखभाल के लिए सरकारी वितरण विभाग खोला जाना चाहिए। यदि सरकार यह समझती है कि नीति की घोषणा मात्र से ही जनता सरकारी वितरण प्रणाली की मांग को वापिस ले लेगी तो सरकार गलतफहमी में है।

थोक व्यापारी का रवैया जन विरोधी है। पुलिस भी इन लोगों का साथ देती है अतः सरकार यदि समझती है कि पुलिस की सहायता से वह जमाखोरों पर काबू पा लेगी तो सरकार का यह समझना गलत है। सरकार यदि सच्चे दिल से जमाखोरों का सफाया करना चाहती है तो उसे अपने प्रशासन को सुदृढ बनाना होगा और अत्याश्यक वस्तु आधिनियम को सख्ती से लागू करना होगा। साथ ही जनता को भी सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए और जहां कहीं भी वस्तुओं के जमा होने का पता चले, उसे सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए।

सरकार की प्रगतिवादी नीतियों को विफल बनाने वाली शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती बल्कि कुछ सरकारी अधिकारी ही सरकारी नीतियों को विफल बनाने में लगे हैं। सरकार को ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करनी चाहिए।

हमारे खाद्य सचिव ने एक वक्तव्य दिया है कि नई नीति से थोक व्यापारियों कों चाल चलने का अवसर मिलेगा। जब सरकारी अधिकारी के विचार ही ऐसे हैं तो जनता पर इसका क्या प्रभाव पडेगा, सहज ही इसका अनुभव किया जा सकता है। खाद्य मंत्री को इस वक्तव्य के बारे में सावधान रहना चाहिए। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों कों चाहिए कि वे समस्याओं को हल करने में सरकार को सहयोग दें।

कुछ वामपंथी एकत्र होकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहते है। यह ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को पूरा पूरा सहयोग दें।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सरकारी नीति दोषपूर्ण है। यह सरकार न तो समाजवाद में विश्वास रखती है और न ही विपणन अर्थव्यवस्था में। सरकार जो भी कर रही है, दबाव में आकर कर रही है। सरकारी नीतियों से जनता को लाभ नहीं हुआ। इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्ति राजनीतिज्ञ, नोकरशाह, तस्कर व्यापारी तथा जमाखोर है। यह पता ही नहीं चलता कि अखिर गेहूं जाता कहां है? जनता के पास तो यह नहीं पहुंचता। बड़े बड़े पूंजीपती, जमाखोर इसको जमा कर लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण भी दोषपूर्ण है। यह भी भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है। सरकार को सुधारवादी लोगों को इकठ्ठा करना चाहिए तभी हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है।

जोनल प्रणाली शुरू करने के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को चावल और गेहूं के लिए गत वर्ष 50 करोड़ रुपये अधिक देने पड़े। जोनल प्रणाली से लोगों को लाभ नहीं हुआ। इसस उन लोगों को लाभ हुआ जो भारत की सीमाओं से अन्य देशों में वस्तुओं की तस्करी करते है समाजवाद एक फैशन बन कर रह गया है। सरकार साम्यवादियों की सलाह पर ऐसे काम कर रही है, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा। गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार को इस कार्य में असफलता मिली है।

श्री जगन्नाथ राव (घतरपुर) : सभापति महोदय, विरोधी दलों ने खाद्य मंत्री द्वारा गत सप्ताह घोषित की गई खाद्य नीति की आलोचना की है। परन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने खाद्य नीति को सुधारने के बारे में सुझाव नहीं दिया है। विरोधी पक्ष ने केवल इतना ही कहा है कि सरकार हार गई है और उस खाद्य नीति के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं।

वस्तुत: सरकार ने खाद्यान्न के थोक व्यापार का पूरी तरह त्याग नहीं किया है। सरकर ने गहूं तथा चावल को वसूली करने वाली एजेन्सियों की समाप्त नही किया है। सरकार ने थोक व्यापारियों की संख्या बढा दी है। ये व्यापारी भी सरकार की ओर से वसूली करनेवाली एजेन्सी के रूप में काम करते है। इन व्यापारियों को फिर से काम पर लगाने के दो कारण थे। पहला तो यह कि गत वर्ष ये व्यापारी बेरोजगार हो गए थे और दूसरे, गत वर्ष 80 लाख टन वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था।

यह प्रश्न पूछा गया है कि सरकार थोक व्यापारियों पर किस प्रकार नियन्त्रण रखती है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि थोक व्यापारियों को व्यापार के लिए लाइसेंस दिया जाता है और वे जितना भी व्यापार करते है, खाद्यान्न नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत करते है। उनकी गतिविधियों की जांच पड़ताल राज्य सरकारों के सिविल सप्लाई विभागों द्वारा की जाती है और लेखा परीक्षण भी किया जाता है। माल जमा रखने का कार्य भी लाइसेंस के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। वे लाइसेंस में उल्लिखित मात्रा से अधिक माल जमा नहीं रख सकते। इस प्रकार थोक व्यापारियों के कार्यों की जांच के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जाते है।

यह भी पूछा गया है कि इस बात को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि थोक व्यापारी वसूली का 50 प्रतिशत माल सरकार को देंगे। इस का उत्तर यह है कि सिविल सप्लाई विभागों को प्रतिदिन वसूल की जाने वाली गेहूं की मात्रा की जानकारी होती है। अत: व्यापारी उसकी 50 प्रतिशत मात्रा सरकार को देगा। अत: माननीय सदस्य को कोई गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। थोक व्यापारियों को नियमों और प्रतिबन्धों के अधीन रहकर ही व्यापार करना होगा। खाद्यान्न नियन्त्रण आदेश को कडा बनाया जाएगा और इसका क्रियान्वयन लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। प्रतिक्रियावादी तत्व अब कोई गडबडी नहीं कर सकते।

इस प्रकार से सरकार ने अपने मुख्य उद्देश्य का परित्याग नहीं किया है। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए कुछ संशोधन किए है।

सभापति महोदय : आपका कहने का अभिप्राय यह है कि थोक व्यापार थोक व्यापारियों के माध्यम से नियंत्रण में लिया गया है।

श्री जगन्नाथ राव : मैं ऐसा नहीं कहता कुछ लोग ऐसा कहते है। मेरा कहना तो केवल् इतना है कि थोक व्यापारी भी गेहूं वसुली की एजेन्सी के रूप में कार्य करते है । सरकार न अपनी नीतियों का समर्पण नहीं किया है । सरकार ने जो कुछ किया है, वह परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक था।

सरकार ने थोक व्यापार के सरकारीकरण की नीति का पूर्णतया परित्याग नहीं किया है। सरकार ने जो नई नीति अपनाई है, वह अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मामले में भी लागू होनी चाहिए। सरकार को वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाना चाहिए। सरकारी नीति की असफलता का मुख्य कारण यह था कि वसूली और वितरण के लिए कोई विभागीय प्रशासनिक तंत्र नही बनाया गया था। अब उसकी स्थापना करनी होगी। वितरण प्रणाली को इस प्रकार बनाना होगा जिससे खाद्यान्न समाज के पीडित वर्ग को पहुंच सके।

अत: विरोधी पक्ष को सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। विरोधी पक्ष जनता को यह बताना चाहती है कि वे प्रगतिवादी है । वास्तविकता यह है कि सरकार से अधिक प्रगतिवादी कोई नहीं। प्रगतिवाद की सफलता भी तभी है जब इसको व्यावहारिक रूप दिया जाए।

सरकार पूरी तरह सतर्क है कि कोई भी व्यापारी गडबडी न करे। जांच पड़ताल करने वाली अधिकारियों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

श्री पी० वेंकटासूब्बया (नन्दयाल) : खाद्य मंत्री द्वारा दिया गया नीति वक्तव्य चर्चा के लिए हमारे सामने है। दुर्भाग्यवश लोगों को गुमराह करने के लिए चर्चा के दौरान राजनीतिक धारणाओं कों लाद दिया जाता है । सरकार के उपायों में मीन-मेख निकालने की कुछ राजनीतिक दलों ने प्रवृत्ति अपना रखी है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लगभग देश के 5700 लाख लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था करे। पहले हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात करते थे। हमारे पास देश में पर्याप्त सुरक्षित भण्डार होता था, किन्तु, अब पी० एल० 480 समाप्त हो गया है। सरकार देश की आन्तरिक वसूली पर निर्भर रहते हुए देश की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हुई है। इस प्रकार उसने सराहनीय कार्य किया है।

हमारे देश के किसान भी बधाई के पात्र है। उन्होनें कठिनाइयों के बावजूद अपने उत्पादन को बढाया है परन्तु उनसे बधाई देने की बात तो दूर रही, हम उन कठिनाइयों के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकते है जिनका उन्हें सामना करना पड रहा है ।

इस समूची समस्या का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग यह है कि वसूली और वितरण के कार्य को सफल बनाने के लिये विभिन्न एजेंसियों को कार्य करना होता है । इसमें मुख्यमंत्रियों को भूमिका निभानी होती है। इस के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करना जरूरी होता है ।

दुर्भाग्यवश फालतू अनाज वाले राज्यों के मुख्य मंत्री कम अनाजवाले राज्यों को अपना अनाज नहीं देना चाहते। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में फालतू अनाज होता है, तथापि उस फालतू अनाज को वसूल नहीं करना चाहते।

एक अन्य बात नीति में किये गये परिवर्तन के बारे में है । यदि सरकार यह महसूस करती है कि अब तक अपनायी गयी नीति से जनता की आकांक्षायें पूरी नहीं होती तो इस नीति में परिवर्तन किया जा सकता है । सरकार का कर्तव्य है कि जनता के लिये अनाज उपलब्ध करे। इस कर्तव्य को निभाते समय यदि सरकार को अपनी नीति और जनता को दिये गये वायदों में ढाँचे के भीतर रहते कुछ परिवर्तन करने पडे, तो उसे ऐसा कर लेना चाहिये ।

वसूली व्यवस्था तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दोनों काम कर रही है । दूसरी ओर इस कार्य में सरकारी समितियां यदि चाहे तो वे थोक विक्रेताओं के साथ मुकाबला कर सकता है ।

हमें छोटे किसानों तथा सीमान्तक किसानों को रासायनिक उर्वरक, जल आदि उपलब्ध करना चाहिये, ताकि वे अपने उत्पादन को बढा सकें। अपमिश्रण के संबंध में कानूनों को कड़ा बनाया जाना चाहिये ।

पडोसी राज्यों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिये, ताकि किसानों की कठिनाइयों को कम किया जा सके । आप को अवश्य ही खाद्यानों की वसूली को रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई के साथ जोड देना चाहिये । अब हमें बहुत ही कठिन स्थिति का सामना करना पड रहा है । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उत्पादन के काम को किस स्तर पर शुरू किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सरकार द्वारा अपनायी गयी नयी नीति को इमानदारी से कार्यान्वित किया जाये । प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाया जाना चाहिये और सार्वजनिक संस्थाओं तथा लोगों का सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिये ।

मैं सरकार द्वारा घोषित नयी नीति का पूरी तरह समर्थन करता हूं और सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस में सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी एजेंसियों को शामिल किया जाये ताकि यह नई नीति सफल हो । यदि इस सफल नहीं बनाया जाता, तो हमें विनाशकारी परिणाम भुगतने पड सकते है ।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : हमे पुनः गेहूं नीति पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिस किसी भी नीति को अपनाया जाता है ऐसे लोग होते है जो उसकी आलोचना करते ही रहते है । आवश्यकता तो इस बात की है कि खाद्यान्न के मामले को राजनीति से दूर रखी जाये । इस तथ्य को हर समय ध्यान में रखा जाना चाहिये कि सरकार द्वारा चाहे कोई भी नीती अपनायी जाये, उसे कार्यान्वित करने के लिये कार्यान्वयन तंत्र को अवश्य ही व्यापक और सशक्त बनाया जाना चाहिये । लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्य नीति में जनता की राय का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । हमारे गांवों में आज भी मतैक्य को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता । यदि खाद्य नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये ग्राम स्तर पर मतैक्य का प्रयोग किया जाये, तो इस क्षेत्र में उसके अनुसार ही कार्य हो।

सरकार ने वसूली मूल्य की घोषणा बहुत देर से की है । यह वसूली मूल्य 105 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया जाना चाहिये था । 1967–68 में जब गेहूं का मूल्य बढकर 160 रुपये प्रति क्विंटल हो गया तो उस समय उत्पादन बहुत बढ गया था। बेहत्तर तो यह था कि मूल्यों को निर्धारित करते समय साहसपूर्ण पग उठाया गया होता ।

उन सभी देशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये जिन्हे खाद्यान्न के अभाव का सामना करना पड रहा है । अभी भी समय है कि इस बात की और प्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिया

[श्री रणबहादुर सिंह]

जाये। इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी होने जा रही है । मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाये, तो सरकार को गेहूं के सुरक्षित भंडार बनाने के लिये इसका आयात कर लेना चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं ने एक घोषणा करनी है। माननीय मंत्री वादविवाद का उत्तर 6 बजकर 15 मिनट म०प० पर देंगें। मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि वह अपने भाषण को निर्धारित समय के भीतर समाप्त करें ताकि और सदस्यों को भी समय दिया जा सके ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं सरकार को गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने की पूर्व स्वीकृत रीति को बदलने के निमित्त उठाये गये साहसपूर्ण पग के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता कि सरकार ने इस मामले को प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाया है । यह कहना गलत है कि सरकार ने जमाखोरों, एकाधिकारियों, चोरबाजारी करने वालों के आगे हाथियार डाल दिये हैं। ऐसा राष्ट्रीय हित तथा जन हित की दृष्टि से किया गया है ।

गत वर्ष मूल रूप से यह गलती की गयी थी कि गेहूं कि लाभ प्रद वसूली मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था जिसके कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । हम सरकार पर गेहूं की वसूली मूल्य को बढ़ाने के लिये बार बार जोर डालते रहे हैं ।

समाजवाद को अंशत: नहीं लाया जा सकता, यद्यपि हमारा दल अर्थव्यवस्था के लिये वचन बद्ध है। हमारी नीति सफल नहीं हो पायी, क्योंकि दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के मूल्यो को नियमित किये बिना हम इस एक ही वस्तु का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहते थे । मेरे विचार में हम सभी यह चाहते हैं कि समाज के कमजोर वग के लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जाये । हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिसमें इमानदार लोग समाज के कमजोर वर्गों को हानि पहुंचाये बिना उन्नति कर सकें ।

मैं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है । आज भी काश्तकारों के पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं । किन्तु उन्होंने अपना भंडार इस लिये बाहर नहीं निकाला कि सरकार उन्हें लाभप्रद मूल्य देने के लिये तैयार नहीं थी । अन्यथा बाजार में खाद्यान्नों का ढेर लग जाता और फिर उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग के लिये खाद्यान्नों की कमी न रहती । मेरा सुझाव है कि कमजोर वर्गकी रक्षा की जानी चाहिये और सरकार को चाहिये कि वह उन्हें सस्ती दरोंपर खाद्यान्नों की सप्लाई करे इन वर्गो को आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है ।

सरकार को भारी बहुमत प्रात है । वह कह सकती है कि खाद्यान्नों को न बेचने वाले काश्तकारों को जेल में डाल दिया जायेगा या उन पर मुकदमे चलाये जायेंगें । किन्तु इस का लाभ क्या होगा ? यदि वे अपने हित की कोई बात कहतें हैं, तो ईसे कोई सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । सरकार की नीति को राज्य के तंत्र के सहयोग के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । यदि कार्यान्वयन करने वाले ठीक नहीं हैं, तो नीति असफल हो जायेगी । हमें अपनी नीतिको उचित रूप देना होगा । किन्तु, हम यह नहीं कह सकते कि नीति ही गलत थी । हम उस नीति को बदलना पड़ा जो वातावरण के अनुकुल नहीं थी। आखिरकार विकासशील देश में अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना ही पड़ता है।

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम्) : सरकार का खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेना और फिर उसे त्याग देना राजनीतिक चाल से बढ़कर कुछ भी नहीं है । केवल उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा के चुनावों की खातिर उसें लागू किया गया । चुनावों के समाप्त होते ही सरकार ने इस नीति को त्याग दिया । सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने भी इस निर्णय को नहीं सराहा है ।

सरकार ने उन राज्य सरकारों दल या समाज में निहित स्वार्थों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने खाद्यान्नों की वसूली के काम में सहयोग नहीं दिया है ।

राष्ट्रीयकरण स्वयं इस सरकार की त्रुटियों के कारण असफल रहा है । हम देश के लोगों को राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रमों में बिलकुल विश्वास नहीं रहा चाहें यह बैंककारी उद्योगों अथवा कोयला उद्योग या किसी अन्य उद्योग का हो । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सिद्ध कर दिया है कि सरकार जनता को लाभ नहीं पहुंचा रही है ।

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की लाभ की मात्रा पर कड़ा नियंत्रण लगाया था । मैं चाहता हूं कि सरकार हमें बताये कि क्या वह इस बात को सुनिश्चित करेगी, कि इन के मूल्यों को विनियमित कर दिया जाये तथा उन्हें उस पर सख्ती से नियंत्रण लागू कर दिया जाये ।

कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने कहा है कि खाद्यान्नों का आयात नहीं किया जायेगा । इसके साथ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि खाद्यान्न का आयात किया जा रहा है । सरकार को स्वयं यह मालूम नहीं है कि उसके पास खाद्यान्न का कितना भंडार है ।

सोवियत संघ ने भी जिसे 1972 में भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, गत वर्ष अच्छी फसल होने के बावजूद विदेशों से काफी मात्रा में गेहूं खरीदा था । अर्जन्टाइना ने गेहूं बेचने की पेशकश की थी जिसे हमें मान लेना चाहिये था । उस समय केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी । यदि हमने इस बारे में अर्जन्टाइना से समझौता कर लिया होता, तो हमें गेहूं के लिये अधिक मूल्य न देना पड़ता जिसे हम अन्य देशों से आयात कर रहे है । और दूसरा कुछ राज्यों में लोगों को इस प्रकार भुखमरी का शिकार न होना पड़ता ।

जहां तक तमिल नाडु का संबंध है, हम पड़ौसी राज्यों को धान की सप्लाई करते थे । किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस पर रोक लगा दी । हम अन्य वस्तुओं के बदले में धान देने को तेयार हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने पर रोक लगा दी गयी है । इसके साथ ही पश्चिम बंगाल को नेपाल से चावलों का आयात करने की अनुमति दी गयी है । मुझे यह बात मालूम नहीं है कि ऐसा करना किस प्रकार सम्मत है । पश्चिम बंगाल की सरकार गैर-सरकारी एजेंटों से चावल खरीदेगी । रिजर्व बैंक इसके लिये आवश्यक धन की मंजूरी देने के लिये सहमत हो गया है । जहां एक ओर तो देश के विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती, वहां दूसरी ओर एक राज्य को किसी अन्य देश से व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है । मेरी समझ में यह तर्क नहीं आया ।

इस व्यापार को ले लेने के पूर्व तमिल नाडु की सरकार को प्रति मास 35,000 टन गेहूं प्राप्त होता था हालांकि मांग बहुत अधिक थी । इस तथाकथित प्रगतिवादी पग को उठाने के पश्चात इस सप्लाई को कम करके 9,000 टन कर दिया गया । इस लागू की गयी नीति को केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ले लिया गया । इस नीति को जन साधारण के लिये नहीं अपितु, राजनितिक लाभ प्राप्त करने के लिये बनाया गया था ।

संबंधित राज्य से सलाह लिये बिना खाद्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसके अन्तर्गत खाद्यान्नों को इधर उधर ले जाने पर से प्रतिबंध हटा दिया गया । कुछ राज्यों को मोटा अनाज उपलब्ध करने के लिये उसने दूसरे राज्यों की सप्लाई पर रोक लगा दी । जिससे उन राज्यों के लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा । यह न तो बुद्धिमत्ता की ही बात और न ही यह कोई तर्कसंगत नीति है ।

गेहूं तथा चावल के लिये एक राज्य क्षेत्रों के संबंध में सरकार ने जो सिद्धान्त अपनाया है, उक मोटे अनाज के बार में भी लागू किया जाना चाहिये । गेहूं के मामले में सरकारन 50 प्रति शुल्से वसूल करने की नीति की घोषणा की है । किन्तु उसी सरकार ने राज्य सरकारों के इस अनुरोध

12—10 LSS(ND)/74

[श्री सी० टी० दंडपाणि]

को ठुकरा दिया है कि समाज के कमजोर वर्गों को अनाज उपलब्ध करने के लिये यह शुल्क मोटे अनाज पर भी वसूल करने दिया जाये। तमिल नाडु के लोग थोक व्यापारियों की दया पर निर्भर करते हैं।

मुंगफली और मुंगफली के तेल के बारे में भी मांग की गयी थी। आजकल खाद्य तेलों के मूल्य बहुत अधिक हैं और जनसाधारण उन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को मुंगफली तथा मुंगफली के तेल पर शुल्क लगाने की अनुमति केवल इस लिये नहीं दी ताकि टाटा तथा बिड़ला जैसे बड़े एकाधिकारी गृहों की सहायता की जा सके। हम इस की मांग इस लिये कर रहे हैं, ताकि गरीब वर्ग के लोगों को उचित मूल्यों पर इन वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। किन्तु इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

यह कहा गया है कि चावल के संबंध में सारे दक्षिण भारत के लिये अनिवार्य रूप से एक ही क्षेत्र बनाया जाना चाहिये। हम इसका जोर शब्दों में विरोध करते हैं। यदि इसे दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं उन में नही हूं जिनका सदैव यह विचार रहा है कि खाद्यान्न के थोक व्यापार को ले लेने के लिये घोषित पग एक क्रान्तिकारी पग था। आखिरकार इस बारे में क्या क्रान्तिकारी हुआ है? इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यापार संबंध को कम से कम खुदरा व्यापार तक रहने दिया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने थोक व्यापारियों के सामने हथियार डाल दिये हैं। श्री पीलू मोदी ने इस बात से सहमति प्रकट की है।

वास्तव में हम चाहते हैं कि किसान अपना अनाज स्वेच्छा से बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचे। इस संबंध में, हम तो थोक व्यापारी को बीच से हटाना चाहते हैं। इस प्रकार हम न केवल थोक व्यापारियों से संघर्ष कर रहे हैं बल्कि देश के किसानों से भी कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जिसमें किसान मजबूर होकर अन्न को कम मूल्य पर हमें बेचेंगे। प्रत्यक्ष है कि ऐसी स्थिति में हमें अन्न वांछित मात्रा में नहीं मिल सकता। अत: यह बात आश्चर्यजनक है कि स्वैच्छा से हमें 80 लाख टन की अपेक्षा 45 लाख टन अनाज मिल गया है।

हम थोक व्यापारियों पर लगाये गये प्रतिबंधों को पूर्णत: हटा रहे हैं; और फुटकर व्यापारी तो अपना काम कर ही रहे हैं देश में अब इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाना चाहिये जिससे सारे कृषकों को यह महसूस हो कि उन्हे अपना माल हमे ही बेचना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति राजनैतिक कार्यवाही द्वारा उत्पन्न करनी होगी। कुछ विरोधी दल तथा थोक व्यापारी ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें किसान यह अनुभव करें कि यदि वे अपना अनाज अपने पास रखे तो उन्हे अधिक मूल्य मिल सकते हैं। अन्य राजनैतिक दल भी ऐसी ही हालत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अत: यदि सरकार किसान को अपना अन्न सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए तैयार नहीं कर सकी है तो इस के लिए विरोधी दल उत्तरदायी हैं।

आज की स्थिति में परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। थोक व्यापारी प्रतिबन्धों में भी काम कर सकते हैं, हमने ऐसा कहा है। इस हेतु कुछ समन्वय की व्यवस्था की जा रही है। प्रश्न तो 60 करोड़ लोगों के पेट भरने का है। हमारी अर्थ-व्यवस्था मिश्रित है, कोई राज्य अर्थ-व्यवस्था अथवा एकाधिकार सहकारी अर्थ-व्यवस्था नहीं है। व्यापारी कुछ सीमा तक हमारी सहायता करते हैं जिनपर कुछ प्रतिबंध लगाये जाने चाहिये और कुछ नियम विनियम निर्धारित किये जाने चाहिये यदि प्रयत्न करें तो हम सफल हो सकते हैं।

गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेकर हमने कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया। इस नीति को बदल कर हमने जमाखोरों, मुनाफाखोरों के आगे भी घुटने नहीं टेके हैं। कठिन स्थिति में ही यह कदम उठाया गया है। आशा के अनुसार हम अनाज एकत्र नहीं कर पाये थे, अधिक अनाज की वसूली के लिये

हम कुछ अन्य तरीकों का सहारा ले रहे हैं ताकि अधिक अन्न की वसूली की जा सके और अनाज के भंडार बना सके। यह कदम सराहनिय है।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): We are discussing a very important issue. Last year Government took over wholesale trade in wheat. Now, a new policy has been adopted in this regard. There were four important factors which emerged from the policy announced by the Government last year. These four factors were :— (1) that there should be government control over marketable foodgrain; (2) that foodgrain should be procured on remunerative prices from the producers; (3) that foodgrain should be made available to the weaker section of the society on reasonable prices; and (4) that middlemen should be eliminated from the trade. There are some doubts in regard to certain important points of new policy. For example, how can it be ensured that wholesaler will honestly part with 50 per cent of wheat procured by him? Also what is the duck against the corrupt practices adopted in this regard by the officials who will look after this work? Again how will it be ensured that inferior quality of wheat is not supplied to the fair price shops? These points need be given serious thought by the Government.

The Food Minister said that the Government is thinking to distribute wheat through the fair price shops to low income group people only. Proper distribution of wheat should not only be ensured to industrial workers but also to the rural population.

We are passing through a difficult situation. The Government has not acted with firmness. The officials of the Food Corporation of India have been misusing their powers. These matters have already been discussed in this House.

It is said that Government has surrendered to the traders. This is not correct. The only thing Government did was that it modified its policy keeping in view the present situation. The Government should be vigilant against profiteers, hoarders and black-marketeers. They must be dealt with firmly.

The Government should also pay due attention towards increase in production.

Mr. Chairman : The hon. member should now conclude.

Shri Shankar Dayal Singh : The priceline has shown a downward trend after the annojuncement of new policy.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम कितने खुश होते यदि यह योजना सफल होती क्यों कि हम रोटीसे राजनीति को जोडने के पक्ष में नही हैं।

गेहूं के थोक व्यापार को हाथ में लेने का निर्णय सूझबूझ के साथ नही लिया गया। फिर भी अनेक माननीय सदस्यो ने इसे एक प्रगतिशील कदम कहा है, इस निर्णय से लोगों की परेशानी में वृद्धि हुई है, बिना पर्याप्त तैयारी के शुरू किया गया कोई भी कार्य साहासिक कार्य है और सरकार ने वैसा ही किया। सरकार का विचार था कि योजना सफल रहेगी। लेकिन यह बुरी तरह से असफल रही। इस निर्णय की प्रशंसा केवल साम्यवादी दल ने ही की है। अब एक विचित्र वातावरण बन गया है (**व्यवधान**) : सरकार प्रगतिवाद और समाजवाद का प्रमाणपत्र भारतीय साम्यवादी दल से लेती है। और साम्यवादी दल अपने एकेमात्र प्रजातंत्रीय दल होने के आशय का प्रमाणपत्र सरकार से लेता है।

स्वर्गीय नेहरूजी जो काम भयवश नहीं कर पाते थे, उसी काम की और वर्तमान प्रधान मंत्री व्यवहारिक पहलुओं की जांच किये बिना बढती है।

गेहूं के थोक व्यापार को हाथ में लेने के निर्णय से शुरू में ही असफलता निश्चित थी। इस निर्णय से पंजाब के मुख्य मंत्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य मुख्यमंत्री सहमत नही था।

[श्री शानन्दन मिश्र]

नई नीति से हमें अधिक आशा नही है। व्यापारियों को लाइसेंस देने से भ्रष्टाचार बढेगा प्रत्येक व्यापारी से 50 प्रतिशत लेवी किस प्रकार वसूल की जायेगी। इससे मूल्य अभूतपूर्व सीमा तक बढेंगे जिससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है । कहा गया है कि राजसहायता दिये जाने की कोई आवश्यकता नही पडेगी। ठीक ही कहा गया है कि इसे सरकारी कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देकर समाप्त कर दिया जायेगा। इस हेतु संतुलन बनाये रखना अनिवार्य है जो हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए किस सीमा तक हितकारी होगा, यह अभी देखना है।

समझ में नही आता कि 105 रुपये मूल्य निश्चित करने के पीछे क्या औचित्य है जबकि कृषि मूल्य आयोग ने 90 और 100 रुपये की बीच मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी। कहा जाता है कि थोक व्यापारी लगभग 350 लाख टन अनाज देंगे । पहले इन्होनें 65 लाख टन देने का वायदा किया था। यह कमी जो की गयी है, इसका क्या कारण है? इस पर क्या विचार किया जा रहा है?

उत्पादन में कमी तथा निर्धारित मूल्य का बाजार में आने वाली फसल पर उलटा प्रभाव पड़ेगा हम देखते है कि इस वर्ष पहली बार उत्पादकों के लिए कोई निम्तम मूल्य निर्धारित नही किया गया है । यदि किया गया होता तो पता नही उत्पादक को इससे प्रोत्साहन मिलता अथदा नही। लगता है कि कोई अधिकतम मूल्य भी निर्धारित नही किया गया है ।

अन्न एकत्र करने वाले थोक व्यापारियों पर निर्भर रहने के बजाय प्रतेक बाज़ार और थोक व्यापारी पर लेव्ही लगायी जानी चाहिये। व्यापारीयों से 50 प्रतिशत गेंहूं वसुल करने का कार्य व्यापारियों और इन्सपैक्टरों पर नही छोडना चाहिए। इस सम्बन्ध में सही सही हिसाब लगाया जाना चाहिए। आशा है कि व्यापारी इस सम्बन्ध में सरकार से सहयोग करेंगे।

उपभोक्ता से, किसी भी दशा में, चाहे अन्न सरकारी अथवा गैर सरकारी एजेन्सी की मार्फत बेचा जाए 12 प्रतिशत से अधिक मुल्य नही लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो भी करने जा रही है वह अनुचित है क्योंकी वह विपणन व्यय के रुप में 25 प्रतिशत जोडना चाहिती है।

Mr. Chairman : Congress members should not take more than seven minutes time each because this discussion is to be concluded today.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagour): The policy regarding the procurement of foodgrains and the minimum price of the agricultural products to farmers is very important in view of the present situation developed in the country. I feel the margin between the price paid to farmers and that charged from the consumers should have been reduced. The hon. Members of oppositions instigate the farmers not to cooperate with the Government saying that the price fixed by the Government is very low and thus they try to achieve their political ends.

I do not contribute to the apprehension expressed by Shri Mishra to the effect that the agricultural production would be only 60 per cent of the estimated production this year. I have visited almost all the parts of the country and I am certain that the production of wheat this year is expected to be 4 million tonnes more as compared to last year. So far as the question of minimum price to the farmers is concerned, we have taken all the aspects of agricultural expenditure into consideration and have fixed Rs. 105.

This price is quite reasonable. I have met farmers and they are satisfied with this policy. Consumers are also happy so far as the distribution of foodgrains is concerned. Government should maintain public distribution system only for the

poor. Persons having more income than a certain limit should purchase foodgrains from the open market at the rate of Rs. 125 which is justified and practicable. I think with this policy, Government would be able to deal with the food problem.

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसीरहाट) : मैं इस नीति की,जिसकी घोषणा की गई है, सफलता की कामना करता। मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि ग्रामीण जनता समझती है की उनको ठगा जा रहा है। वे मानते हैं कि शहरी लोग ग्रामीण लोगों का शोषण करते हैं। सम्पत्ती की अधिकतम सीमा संबधी कानून ग्रामीण क्षेत्रो मे लागू किया गया है परन्तु नगरो मे लागू नहीं किया गया। उनकी यह भी शिकायत है कि सरकार उन्हें कृषि कार्यो के लिये आवश्यक सामुग्री सप्लाई नहीं करती किन्तु निर्धारित मुल्य पर खाद्यान्नखरिदने के कार्य में दृढता से कदम उठाती है। मेरा सुझाव है कि सरकार ग्रामीण जनता की इन शिकायतों की ओर पूरी तरह ध्यान दे।

खाद्य नीति के बारे में मेरा सुझाव है कि वह खाद्यान्नों के उत्पादनके आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।जापान में खाद्यान्न का उत्पादन खपत से कम था किन्तु वहाँ की सरकार ने किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई तथा सारी राजसहायता से उनका सभी खाद्यान्न स्वंय खरीदा। परिणामतः आज वहाँ उनकी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। हमारे देश मे भी ऊर्वरकों का अधिकाधिक उत्पादन होना चाहिये तथा अधिकाअधिक भुमिके लिए सिचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिये। इन उपायों से हमारें देश में खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत वृध्दि हो सकती है।

सरकारने पहले भी देश की सारी जनता को खाद्यान्न सप्लाई करने का उत्तरदायित्व नहीं लिया था, केवल समाज के कमजोर वर्गो को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लिया था। अब भी सरकार द्वारा घोषित नीति का उद्देश समाज के कमजोर वर्गो को खाद्यान्न उपलब्ध करना है। अतः सरकार की नीति में वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल कार्यकरण की विधि में परिवर्तन हुआ है क्योंकि पहली प्रकिया के अन्तर्गत लोगों से खाद्यान्नों को छुपा लिया। अब छुपाए गए खाद्यान्न को बाहर निकालना है तथा इस परिवर्तन का ध्येय यही है।

गत वर्ष खाद्यान्न की कमी के कारण महाराष्ट्र में दंगे हुये। वहाँ खाद्यान्न का भाव 10 रुपया प्रति किलो ग्राम तक हो गया। यदि सरकार जनता की भावनाओं का आदर करते हुये अपनी नीति में परिवर्तन करती है तो वह अवश्य सफल होगी।

अंत में मै दो-तीन सुझाव देना चाहुंगा। सरकार ने पहले की भाति व्यापारियो को व्यापार करने की अनुमती दे दी है। व्यापारियों को खरीदे गये खाद्यान्नमें से आधा खाद्यान्न सरकार को देना है। किन्तु सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि व्यापारी आधा खाद्यान्न सरकार को देही दे ? मैं इस संबध में सरकार से आश्वासन चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि सरकार थोक व्यापारीयों के साथ इस सम्बन्ध में एक करार करे तथा अन्य कोई थोक व्यापारी ऊस करार का उल्लंघन करे तो उसे कडी सजा दी जाए।

कोई नहीं जानता कि ये थोक व्यापारी कल क्या रवैया अपनाएंगे। पन्द्रह दिन पहले दिल्ली में 2.50 रुपया प्रति किलो के भाव से गेहूं बिका था तथा कल उसका भाव 1.75 रुपया था। सरकार की नीति का इतना अच्छा प्रभाव पडा है। किन्तु सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करे कि देश में यही स्थिति बनी रहे तथा व्यापारी कोई समस्या न उत्पन्न करें।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I feel that in the present atmosphere, the evils of corruptions, extravagance, bribary and profiteering are bound on flourish in the public and private trade in foodgrain. The hon. Members should not be proud of the new policy, because of the fact that this nominal reduction in the price of foodgrains is not due to the policy but due to the season.

[Shri Madhu Limaye]

The objects of the foodgrains trading policy have not been adequately highlighted. The present food policy should seek to achieve mainly three objections. The growers should get a fair price for their produce, of things, like fertilizers, seeds, pesticide, water etc., which are essential for increasing agricultural production, should be made available to them at fair prices so that the country may attain self-sufficiency in foodgrains.

Secondly, the poor people in the urban and rural areas should get foodgrains at cheap rates. The Government distribution machinery has completely failed in the rural areas for a long time. The hon. Minister should give special attention to the rural population.

Thirdly, there should be a balance between the prices of agricultural commodities, and the commodities manufactured in the factories. No food policy would be successful unless their three objectives are achieved.

I think, Government should not hesitate to admit that their previous policy has proved a total failure. No State Government except Punjab and Hariyana could achieve 60 per cent of the target. I suggest that Government should find out the reasons for this failure.

Now Government have agreed to pay Rs. 105 per quintal to the wholesale traders. We have been demanding that Government should at least pay Rs. 90 per quintal to the farmers but all in vain. If Government had adopted stringent measures against traders holding surplus stocks, it could have achieved the targets of procurement. Now, I do not think, the poor farmers would get their due share from this increase in price.

Now, I would like to refer to the production. During the period of five years from 1966-67 to 1970-71 production of wheat doubled in the country but after 1970-71 it became stagnant. I feel this stagnation in production has been caused by the gradual increase in the prices of agricultural commodities. The Agricultural Price Commission has failed to look after the needs of the farmers. So far as the import of foodgrains is concerned, no one else but the defective policy of the Government is responsible for the increase in imports of foodgrains in the year 1973. Besides, Government had to import 2 million tonnes of wheat from U.S.S.R. on loan basis.

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed): 4.1 million tonnes of wheat includes imports from U.S.S.R.

Shri Madhu Limaye : But it is not clearly mentioned in the statement, corruption is rampant in the public distribution system. I also made a reference on the last Friday in this regard. Supply Inspector, demand Rs. 5 to 15 per bag. The chairman of Maharashtra Cooperative Federation has told me that the flatterers of the Chief Minister of Punjab demanded Rs. 15 per quintal as bribe. (*Interruptions*) Unless corruption and malpractices are eschewed out of the public distribution machinery and bureaucracy, no system would prove to be effective.

In regard to the policy of being an agriculturist, it does not benefit the growers and, therefore, it should be reconsidered. I would like to suggest that radical changes should be made in the policy of imposing tax on agricultural inputs. Government should adopt the policy of imposing tax on income. I also feel that it would be more beneficial to the growers and the country as well if Government implement the crop insurance scheme. It is only the development of agriculture which would remove the problem of unemployment and would make the industrialisation successful.

Dr. Kailas (Bombay South): I rise to congratulate the hon. Minister of agriculture and the Central Cabinet. Actually, we are very much interested in the proper supply of foodgrains to the vulnerable section of the Society on reasonable prices.

Last year, Government decided to take over the whole sale trade in foodgrains. All the political parties supported the decision but Jansangh Party was opposed to this decision. The same political party is opposing this proposal also. So far as the shortfall in the procurement target in the last year is concerned. I personally feel that this procurement price of Rs. 86 offered to the growers was low. Now the Government has taken a good step by increasing the price to Rs. 105 per quintal. I think growers should not hesitate in selling their produce at this rate.

Secondly, the Government should have removed the Psychology of shortage in the country.

Thirdly, the announcement of ban on imports of foodgrains should have been made after attaining self-sufficiency in foodgrains.

Fourthly, the surplus state did not achieve their procurement targets while the deficit states demand foodgrains above their requirements, something in hoarding and black marketing in the country. All there evils can be removed from the country only if the production of foodgrains is increased considerably.

I would like to suggest that the State Governments should be instructed to implement the central policies properly. It is correct that we can not have blind faith in the private traders. But it is also necessary to make them feel that national interests are more valuable than individual ones.

I would like to know from the hon. Minister the figures of production and procurement in the last year and also the figures of procurement before and after the implementation of the policy.

Secondly, will the Government be vigilant regarding the purchase and salt to be made by the traders?

Thirdly, is there any proposal to appoint a Public vigilance committee? What will be the issue price? I request the hon. Minister to reply to these points.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): Last time also we draw the attention of the Government to the need of reorienting the Government machinery responsible for this situation. The main point to be discussed here now is whether the traders, would actually supply foodgrains to the consumers at the rate of Rs. 150 or not. They have declared that they would supply at the rate of Rs. 150. But I do not think they would abide by their promise.

Agriculturists in Punjab are unable to get diesel at the time when it is badly required. Government should make some arrangements in this regard. The State Government of Punjab is prepared to supply foodgrains. Last year also we supplied foodgrains to the extent of 2.7 million tonnes.

The Government's permission to sell at Rs. 150 per quintal is dangerous. Traders have given a warning to increase the prices.

The Government should make improvements in the present distribution system.

The traders are ready to purchase from the farmers even at Rs. 110 per quintal. They have asked the farmers to stock as much foodgrains as they can. The wheat should be purchased by Co-operative Societies and Marketing Societies. The Government should not remain at the mercy of the traders.

The Punjab Government should be given the facilities if requires in this connection. It will achieve the targets fixed for it.

[Shri Darbara Singh]

We are thankful to the Government for the incentive given to the farmers. The farmer get Rs. 29 per quintal whereas the wholesale traders get Rs. 45 per quintal. The Government should remain more vigilant in this matter. It should try to find out some solution to this national crisis.

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj): The Government's policy with regard to take over of wrolesale trade in wheat has failed. This is the main reason why Government has changed its policy.

Last year, the price of wheat was fixed at Rs. 76 per quintal and wholesale trade in wheat was taken over by the Government. When that policy failed, the price has been fixed at Rs. 105 per quintal and it has been decided that the wheat would be distributed to the Consumers at Rs. 125 per quintal. It will be good if the farmers are given as much benefit as possible because 80 percent of our people live in villages. But this system has led to corrupt practices. The poor farmers suffer because they get less price for their foodgrains, than the price fixed by the Government. The big traders are benefitted by the present policy. The Government should stop this system of procurement. It should evolve such a system by which it may purchase foodgrains direct from farmers and supply them to the consumers at reasonable rates.

The Hon. Minister has stated that the Government has made arrangements for the distribution of foodgrains in cities only. 80 per cent of our people lives in villages. So, the Government should have first made arrangements to provide foodgrains to those people. It is clear that the Government is playing in the hands of a few capitalists and the distribution system of wheat is determined in consultation with them.

I want to know the steps Government has taken to stop corruption in Governmental Machinery. The Government should ensure that the traders who have been given licences will not resort to corrupt practices and adequate foodgrains will be made available in the market. The Government should clearly state the minimum and maximum quantity of wheat which a farmer can keep for his own requirements.

The Government should ensure that the various inputs like fertilizers, water, power etc. needed for increasing agricultural production are made available to the farmers at reasonable prices.

Shri Natwarlal Patel (Mehsana): Before framing a policy the policy framers should consider whether that policy would be useful for the public or not. We should not blame any one for the conditions prevailing in the country after the takeover of wholesale trade in wheat, because at that time the question of procurement was before us. We wanted to procure wheat at the rate of Rs. 85 per quintal, when even the price of coarse grain was as high as Rs. 150 per quintal in the market. Then, how could a farmer give wheat at Rs. 85 per quintal? Before framing any policy regarding foodgrains the Government must take into consideration the interests of the farmers and the common man. (*Interruptions*)

The condition of the farmers today is quite miserable. If they had any alternative they would have left farming. The Government should frame such a policy as may be beneficial to the consumers also. If after implementing a certain policy, the Government finds that it has not proved successful, it may modify it.

Shri Chiranjib Jha (Seharsa): It is not correct to say that the policy regarding take over of wholesale trade in wheat has been a complete failure. Taking into consideration the low price fixed last year and the opposition by the traders in this respect, the success that we have achieved is very significant.

We have the apprehension that the big traders to whom licences have been issued will not act honestly. So, we must keep a watch on them. People's Committees

should be formed at the state, district and block levels to look into the working of the new scheme.

For the success of this scheme the most important thing is to gear up the administration.

The expenditure on the purchase of wheat should be reduced and the work of purchase should be entrusted to Cooperative Societies of educated unemployed. The Government should make arrangements to the effect that no levy should be imposed on the farmers having less than ten acres of land.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : It is not correct to say that the food policy of the Government has been a total failure. The Government took the wholesale trade in wheat to assist the farmers and to do away with the middlemen. The opposition parties are propagating against our policy.

Conditions in areas situated on the border of two states have been very unsatisfactory. Uttar Pradesh Government do not send foodgrains in sufficient quantities to District Ballia. The attitude of the Bihar Government towards that state is almost the same, as a result of which the prices of foodgrains in those places are going up. The ban on Inter-State movement of coarse grains has been lifted. Similarly, the ban on other foodgrains should also be lifted. If it is not possible, then at least inhabitants of border areas of two states should be allowed free movement of foodgrains.

The hon. Minister in an interview over A.I.R., told that they would be able to supply foodgrains in industrial areas. I want to remind the hon-Minister that we are committed for the welfare of weaker sections and particularly Harijans. We should not ignore drought prone areas. Adequate arrangements should be made for supplying foodgrains to poor people.

Government has declared Rs. 105 per quintal as procurement price. A provision should be made that a declaration will have to be made by the businessmen regarding quantity of the foodgrains purchased by them and Government should have full knowledge about the godowns of foodgrains so that evasion of 50 per cent levy could be avoided.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : I support the food policy of the Government. But a system should be evolved so that purchase by the traders could be restricted. Wheat purchased by them should be kept in godowns and these godowns should be locked. Duplicate keys should be given to traders and the District Magistrate. A receipt should be issued against procurement of wheat from farmers. These should be checked from time to time by District officer or District Magistrate. This is the only way to improve the situation.

About 500 villages of Sitamarhi have been affected by heavy rains. Crops have been destroyed. I would request the hon. Minister to make arrangements for the supply of wheat to the people living in those areas.

I request the hon. Minister to have a sympathetic approach towards poor farmers.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मुझे प्रसन्नता है कि मुझे माननीय सदस्यों की गलतफहमी को दूर करने तथा अपने वक्तव्य को स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि खाद्य समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। हमें लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और

[श्री फखरुद्दीन अली अहमद]

उनको हल करना चाहिए। हमें ऐसे तरीकों पर विचार करना चाहिए जिससे जनता को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न मिल सके और खाद्यान्न की कमी की समस्या दूर की जा सके।

जो नई नीति सदन के समक्ष रखी गई है, उस पर पहले से सोच विचार नहीं किया गया था। यह नई नीति पेश करने का मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर सुलभ करना है। कुछ लोगों का विचार है कि हमने अपनी नीति का परित्याग कर दिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। विरोधी पक्ष ने हमारी पहली खाद्य नीति की आलोचना की थी और वे नई नीति की भी आलोचना कर रहे है। लेकिन विरोधी पक्ष ने किसी बेहतर नीति की ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाया है।

हमने देश के विकास के लिए समाजवाद का पथ अपनाया है। हम यह मार्ग किसी मूल्य पर नहीं छोड सकते, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पडे। हम लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लेंगे।

पहली खाद्य नीति की असफलता के कई कारण थे। खाद्य नीति की आलोचना करने वाले माननीय सदस्यों ने देश में ऐसा वातावरण पैदा किया जिसके कारण हमें किसानों से गेहूं प्राप्त न हो सका। खाद्य नीति को सफल बनाने का एक मार्ग तो यह है कि भारत में तानाशाही कायम की जाए और लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाए और दूसरा मार्ग लोगों को राजी करके नीति को सफल बनाने का है। हमारा देश प्रजातांत्रिक गणराज्य है और हमारी नीति की सफलता जनता की स्वीकृति में निहित है। हमें अधिक से अधिक सहकारी समितियां खोलनी होंगी ताकि न केवल गेहूं कि वसूली की जा सके बल्कि किसानों को खाद, बीज आदि देने की व्यवस्था भी की जा सके। जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते, तब तक जनता हमारी खाद्य नीति को स्वीकार नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं गांवों में जाएं और वहां सहकारी समितियां खुलवाने के लिए प्रयत्न करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि देश में उत्पादन कम हो गया है। परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। माननीय सदस्य तथ्यों से अवगत नहीं है। हमने वर्ष 1970-71 में 10 करोड़ 80 लाख टन खाद्यान्न का लक्ष्य पूरा किया। वर्ष 1971-72 में गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ 80 लाख टन हुआ जब कि वर्ष 1970-71 में यह लगभग 2 करोड 30 लाख टन था। वर्ष 1972-73 में यह घट कर लगभग 2 करोड 50 लाख टन रहा गया। परन्तु यह आंकडे सही नहीं थे। खाद्यान्न व्यापार के सरकारी करण के परिणाम स्वरूप किसानों के मन में एक भय सा उत्पन्न हो गया कि यदि वे अधिक उत्पादन दिखाऐंगे तो उन्हें अधिक उपकर देना पडेगा। अतः उन्होंने जान बूझकर गलत आंकडे दिए। इस वर्ष भी ऐसा ही हो रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार ने कहा था कि वह 3 करोड टन का लक्ष्य प्राप्त करेगी परन्तु हमने कहा था कि ऐसा सम्भव नहीं है। सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए 150 करोड़ रुपये व्यय किए परन्तु फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जब हम सरकार की आलोचना करते है तो कहां जाता है कि हम देश का अहित कर रहे है लेकिन जब सरकार बढा चढा कर आंकडे प्रस्तुत करती है तो उस समय देश का अहित नहीं होता।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य शांतिपूर्वक मेरी बात सुने। मैं यह कह रहा था कि हमारा वर्ष 1973-74 में 11 करोड़ 30 लाख से 11 करोड़ 40 लाख टन के बीच उत्पादन होने का अनुमान है। खरीफ का लक्ष्य 6 करोड़ 70 लाख टन निश्चित किया

गया था। सदन की जानकारी के लिए, मै बताना चाहता हूं कि हमने लक्ष्य पूरा कर लिया है। जहां तक चावल की फसल का सम्बन्ध है, इस वर्ष बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। हमने 4 करोड़ टन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। मक्की के उत्पादन में अवश्य कमी आई है परन्तु इससे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं पडी है।

जहां तक रबी की फसल का सम्बन्ध है, 4 करोड़ 70 से 80 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। गेहूं उपजाने वाले क्षेत्रों में बढ़िया किस्म के बीज बोये गए है और हमें आशा है कि उत्पादन में वृद्धि होगी। अतः यह कहना ठीक नहीं कि उत्पादन कम हो रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं। लाखों लोगों की भुखमरी के जिम्मेदार मंत्री महोदय ही होंगे। (**व्यवधान**)।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य जनता में भ्रान्ति फैला रहे हैं कि उत्पादन में कमी हो रही है। इस प्रकार माननीय सदस्य समस्याओं को और भी उलझा रहे हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में विचार किया जाएगा। मैंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि वे योजनाओं की क्रियान्विति के लिए प्रयत्न करें।

माननीय सदस्यों को यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि प्रगति नहीं हो रही है। हम बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई योजनाओं के माध्यमों से किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। लघु सिंचाई योजनाओं से हर वर्ष दस लाख हेक्टेयर भूमि को जल मिल रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिति में और सुधार किया जाएगा। जहां तक बिजली सप्लाई का सम्बन्ध है, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह 20 लाख किलोवाट बिजली राज्यों को प्रदान करेंगे। आशा है इससे भी स्थिति में सुधार होगा।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, यह सच है कि राज्यों की मांगों को पूरा नहीं किया जा सका है। हमारी समता 22 लाख टन उर्वरक पैदा करने की है, परन्तु गत वर्ष हम केवल 13 या 14 लाख टन उर्वरक ही पैदा कर सके। बिजली की कमी तथा कारखानों में हड़तालों के कारण ऐसा हुआ। अगर यह रुकावटें दूर कर दी जाएं तो हम आगामी वर्ष अधिक उर्वरक पैदा कर सकेंगे। उर्वरक सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए मैं मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उसमें यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश की उर्वरक मांग को पूरा करने के लिए उर्वरक और खाद को मिलाकर उपयोग में लाया जाए। मैंने उनसे यह भी कहा है कि वे केवल उर्वरक और खाद पर ही निर्भर न रहें बल्कि गाय के गोबर और पास के जंगलों से पत्ते इकट्ठे करके खाद तैयार कराएं और कम्पोस्ट खाद के रूप में उसे प्रयोग में लाए। साथ ही उनको घासपातनाशी दवाईयों को प्रयोग में लाना चाहिए ताकि उनसे बनने वाले उर्वरक पौधों के विकास के लिए प्रयोग में लाए जा सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि और अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उत्पादकों पर उपकर लगाया जाए। परन्तु मेरे विचार में इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। उदाहरणतः पंजाब के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र में उपकर लगाने से हमें केवल 12.5 लाख टन खाद्यान्न ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हरियाणा से 6.6 लाख टन तथा उत्तरप्रदेश से 7.8 लाख टन प्राप्त होगा। इस प्रकार उपकर लगाने से हमें गत वर्ष से भी कम खाद्यान्न प्राप्त होगा। सुझाव देना आसान है परन्तु हमें इन सुझावों को तथ्यों और आंकड़ों के प्रसंग में देखना होगा।

[श्री फकरुद्दीन अली अहमद]

गत वर्ष हमने बिहार और मध्य प्रदेश में यह प्रणाली शुरू की। गरीब किसान इसकी लपेट में आ गए और अमीर किसान छूट गए। उप-कर लगाने के लिए हमें जबर्दस्ती करनी होगी और इसके लिए भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने होंगे। हमने इस विषय के पक्ष–विपक्ष पर पूरी तरह विचार कर लिया है। इसके लिए संयुक्त समिति भी बैठाई गई थी परन्तु माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं इस समिति का सदस्य नहीं हूं। राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार समिति भी गठित की गई है लेकिन मेरा नाम उसमें नहीं है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए थे परन्तु कुछ बातें ऐसी थी जिनकी वजह से हम निर्णय न ले सके। गत वर्ष मई 1973 और जनवरी 1974 के बीच तक हमने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया था, तो गेहूं के मूल्य में प्रति क्विंटल 65 से 100 रुपये की वृद्धि हुई थी। मूल्यों में हुई वृद्धि विभिन्न राज्यों में अलग अलग थी।

माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस विशेष नीति को अपनाने से मूल्यों में वृद्धि होगी और इसका प्रभाव मूल्य सूचकांक पर पडगा। परन्तु उनको याद रखना चाहिए कि मूल्य सूचकांक न केवल उचित मूल्यों की दुकानों पर बिकने वाले गेहूं तथा मोटे अनाज के मूल्यों पर निर्भर है अपितु यह खुले बाजार में बिकने वाली इन वस्तुओं के मूल्यों पर भी निर्भर करता है। यदि हम दोनों के अन्तर को कम कर सकें तो मूल्य सूचकांक के बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सप्लाई किए जाने वाले गेहूं के मूल्यों में वृद्धि से मंहगाई भत्ते के बढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, माननीय सदस्य ने प्रति क्विंटल 105 रुपये मूल्य निर्धारित करने का आधार जानना चाहा है। हमने चावल का मूल्य निर्धारित करते समय इसमें 33 1/2 प्रतिशत की वृद्धि की थी। गेहूं के मूल्य में इतनी वृद्धि करने पर 105 रुपये दर बनती है। इसके अलावा यह मूल्य निर्धारित करने में अनेक लोगों से सलाह ली गई थी, हम इस कीमत पर गेहूं उत्पादकों से खरीदेंगे, मैं उत्पादकों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम मूल्य 105 रुपये से कम नहीं होने देंगे, यदि कोई व्यापारी इससे कम मूल्य देता है तो उत्पादक अपना संपूर्ण माल हमें बेच सकता है।

भारतीय खाद्य निगम के लिए कमोबेश मूल्य पर खरीदना संभव नहीं है। हमने थोक व्यापारियों को इसकी अनुमति दी है। सहकारी संस्थाओं जैसे सरकारी निकायों को भी हमने यही सुविधा दी है।

जब हम यह कहते हैं कि थोक व्यापारी को 105 रुपये प्रति क्विंटल से खरीदा गया गेहूं का 50 प्रतिशत भाग हमें देना पडेगा तो यह ठीक पूछा गया है कि हम उस पर किस प्रकार नियंत्रण रखेंगे। पंजाब, हरियाणा और काफी सीमा तक उत्तर प्रदेश में नियंत्रित बाजार हैं। किसानों के साथ किये गये सौदों का तीन स्थानों पर पंजीकरण होता है। व्यवस्था यह है कि थोक व्यापारी को अनाज खरीदने के बाद उसका आधा भाग हमें देना पड़ेगा वहां हमारे आदमी जांच पड़ताल के लिए होंगे जो इस अनाज को सीर्फ भारतीय खाद्य निगम को सौंप देंगे, मैं न केवल इन केन्द्रों में बल्कि सीमा चौकियों पर भी गैर सरकारी समितियों की स्थापना के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहा हूं जो कि अनाज की तस्करी की रोकथाम में मदद देंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप गैर–सरकारी व्यापारियों से यह वचन क्यों नहीं ले लेते है कि वे एक निश्चित मात्रा में अनाज सरकार को देंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह गलत तस्वीर पेश की गई है कि हमने अनाज व्यापारियों के साथ किसी प्रकार का समझौता किया है, हमारी नीति यह है कि इन थोक व्यापारियों को ईमानदारी से काम करने का मौका दिया जाये ताकि वे अपनी जीविका भी कमा सकें परन्तु मेरी उनको चेतावनी है कि जमाखोरी करने की स्थिति में हम अपनी नीति भी बदल सकते हैं। उनको हमारा विश्वास बनाए रखना चाहिए और हम उनको अपेक्षित सहायता देने में पीछे नहीं हटेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप उनसे वचन ले लीजिए कि वे आपको साप्ताहिक अथवा मासिक आधार पर अनाज का कोटा दिया करेंगे। इन्सपैक्टरों पर यह काम छोडने से बात नहीं बनेगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने उनसे कहा है कि वे जो भी अनाज वसूल करते है उसका 50 प्रतिशत भाग हमें दें।

श्री नटवर लाल पटेल : उन्हें किसानों से सीधे खरिदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए नहीं तो हमारे लिए जांच पड़ताल करना कठिन हो जायेगा। उन्हें मंडियों से खरीद करनी चाहिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक राज्यों का संबंध है, अनाज की खरीदारी नियमित ढंग से की जाती है, फिर भी हम हर संभव उपाय कर रहे हैं कि वे सीधे किसानों से न खरीदें इसके लिए हम गैर–सरकारी समितियों से भी सहायता लेंगे।

Shri Satpal Kapur (Patiala): May I know whether the Punjab Government has indicated that they do not want to revive the wholesaler system? If so, will you compel them to do so?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जो अस्तित्व में ही नहीं है उसे कुछ देने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि कोई लाइसेंस मांगने के लिए हमारे पास आता है तो हम राज्य सरकारों से ही परामर्श करके ऐसा करेंगे।

Shri Satpal Kapur: The growers of Punjab are not in favour of wholesalers. Then, why not give those facilities to cooperatives ant Public agencies which they want to give to the wholesalers?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : क्या मैंने यह नहीं कहा है कि थोक व्यापारियों को मिलने वाली सुविधा सहकारी संस्थाओं को दी जाएगी ? यदि सहकारी संस्थाएं अपने उत्तरदायित्व को निभाती है तो इससे मुझे प्रसन्नता होगी ? जहां तक निर्गम मूल्य का संबंध है, इस बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारी नीति अधिक से अधिक राज सहायता देने की थी। राज सहायता की दर बढ़ाने के बारे में विचार किया गया था। यदि हम राज सहायता बढ़ाते हैं तो इससे घाटे की अर्थ व्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए, इस पद्धति से लोग खुले बाजार से भी अनाज खरीद सकते है।

श्री परिपूर्णानन्दन पैन्यूली (टिहरीगढ़वाल) : अनेक माननीय सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की है कि थोक व्यापारी अच्छा गेहूं अपने पास रख कर खराब गेहूं सरकार को बेच सकता है। सरकार ने इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यही तो मैं कह रहा हूं कि जैस ही व्यापारी गेहूं खरीदता है। वह तत्काल ही उसका 50 प्रतिशत भाग हमें दे देगा।

Shri N. P. Yadav: There were hail storms at Sitamarhi, Motihari and other places. What steps are you taking to help them?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं राज्य सरकार से इस संबंध में बातचीत करूंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है ? क्या बिहार को और अधिक अनाज भेजा जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने पिछले महीने और इस महीने बिहार को अधिक खाद्यान्न भेजा है । कुछ दिनों में वहां गेहूं बाहर आ जाएगा और तब बिहार में खाद्यान्न की कोई कठिनाई नहीं रहेगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मूल्यों की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अभी हमने मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है । हम उन्हें अनुचित लाभ नहीं उठाने देंगे ।

Shri Chiranjib Jha: Will the hon. Minister give directions to cooperative department to allow the educated unemployed in the villages to form cooperative Societies ?

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): It is proposed to allow wholesalers to take wheat to deficit states from surplus states on the basis of permit. Will such permission be given to cultivators also ? Also. will the Government allow to sell wreats in deficit states at the rate of Rs. 150 per quintal or more than this rate?

Shri F. A. Ahmed: So far as the deficit states are concerned, wheat purchased there will not be allowed to be taken out. As regards the surplus states, we will take care to supply wheat to the needy States.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1974/15 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, April 5, 1974/ Chaitra 15, 1896 (Saka).

भा० स० मु० ना०—वि० 2—10 लोक सभा/74—30-7-74—490

P.L.S. 48. XXXVII. 30. 74 (N)
490

© 1974 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422006 द्वारा मुद्रित ।

© 1974 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK–422006